CONTENTS

Fifteenth Series, Vol. XII, Fifth Session, 2010/1932 (Saka)
No. 25, Monday, August 30, 2010/ Bhadra 8, 1932 (Saka)

SUBJECTS	PAGES
MESSAGE FROM RAJYA SABHA	2
REPORT ON PARTICIPATION OF INDIAN PARLIAMENTARY DELEGATION IN THE 122ND ASSEMBLY OF THE INTER-PARIAMENTARY UNION (IPU)	2
COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES	
Study Tour Report	3
STATEMENT BY MINISTER	
Status of implementation of the recommendations contained in the 4th Report of the Standing Committee on Rural Development on Demands for Grants (2009-10), pertaining to the Ministry of Panchayati Raj. Dr. C.P. Joshi	4
SUBMISSIONS BY MEMBERS	
(i) Re: Functioning of CBI	5-7
(ii) Re: Provisions of the Enemy Property (Amendment and Validation) Bill, 2010	9-14
COMMITTEE ON AGRICULTURE	8
12th Report	
GOVERNMENT BILLS - Introduced	
DAM SAFETY BILL, 2010	15

INSTITUTES OF TECHNOLOGY (AMENDMENT) BILL,2010	15
DIRECT TAXES CODE, 2010	36

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Need to include Bhojpuri and Rajasthani languages In the Eighth Schedule to the Constitution	24-35
Shri Sanjay Nirupam	24-28
Shri Ajay Maken	24,33,35
Dr. Raghuvansh Prasad Singh	28-30
Shri Jagdambika Pal	30-33
Shri Pranab Mukherjee	34-35

MATTERS UNDER RULE 377

(i)	Need to set up food processing industries and cold storages in Cuddalore Parliamentary Constituency, Tamil Nadu.	
	Shri S. Alagiri	37
(ii)	Need to include water as a subject in Concurrent list or Union list by suitably amending the Seventh Schedule to the Constitution.	
	Shri Rajaiah Siricilla	38
(iii)	Need to open a C.G.H.S. Dispensary in Vasundhra, Ghaziabad, Uttar Pradesh.	
	Shri Jaywant Gangaram Awale	39
(iv)	Need to expedite completion of Alappuzha by-pass project in Kerala.	
	Shri K.C. Venugopal	40

(v) Need to improve the BSNL landline services in Kuttanadu Taluk of Alappuzha district, Kerala.

Shri Kodikkunnil Suresh 41

(vi) Need to provide financial assistance from Prime Minister's Relief Fund to the people affected due to cloudburst, torrential rains and landslides in Uttarakhand.

Shri Vijay Bahuguna 42

(vii) Need to step to check illegal immigration of Bangladeshi nationals into the country.

Yogi Aditya Nath 43

(viii) Need to review the proposal of widening of NH4-A in Goa keeping in view the interest of large number of residential and commercial establishments facing dislocation.

Shri Shripad Yesso Naik 44

(ix) Need to open Central Government & Railway Hospitals in Jalore and Sirohi districts of Rajasthan and provide adequate funds for the upgradation of the medical facilities in the region.

Shri Devji M. Patel 45

(x) Need to shift Bauxite Dumping Yard from residential area in Lohardaga Parliamentary Constituency, Jharkhand.

Shri Sudarshan Bhagat 46

(xi) Need to review the proposed setting up of sewage treatment plant at Sathawan, Varanasi, Uttar Pradesh keeping in view its potential adverse impact on the ecology of the area.

Shri Ramkishun 47

(xii) Need to set up training institutes for carpet weaving in Bhadohi, Uttar Pradesh and look into the problems being faced by carpet exporters.

Shri Gorakhnath Pandey 48

(xiii) Need to open a Kendriya Vidyalaya in Supaul Parliamentary Constituency, Bihar.

Shri Vishwa Mohan Kumar 49

(xiv) Need to shift the toll tax center near Collectorate Office in Krishnagiri district, Tamil Nadu to a place outside the city limits.

Shri E.G. Sugavanam 50

(xv) Need to declare Thrissur in Kerala as a Heritage district.

Shri P.K. Biju 51

(xvi) Need to set up a Steel Plant of SAIL in Keonjhar, Orissa.

Shri Yashbant Laguri 52

(xvii) Need to expedite rural electrification work under Rajiv Gandhi Gramin Vidyutikaran Yojana in Jaynagar Parliamentary Constituency, West Bengal.

Dr. Tarun Mandal 53

GOVERNMENT BILLS – Deferred

(i) ENEMY PROPERTY (AMENDMENT AND VALIDATION) BILL, 2010	54
(ii) ORISSA (ALTERATION OF NAME) BILL, 2010	54
(iii) CONSTITUTION (ONE HUNDRED AND THIRTEENTH AMENDMENT) BILL, 2010 (Amendment of Eighth Schedule) - DEFERRED	54

DISCUSSION UNDER RULE 193

(i) Flood and drought situation in the country

Shri A.T. Nana Patil	60-64
Shri Hansraj G. Ahir	65-66
Shrimati Jyoti Dhurve	67-69
Shri Naranbhai Kachhadia	70
Shri Kaushalendra Kumar	71-78
Shri Ram Singh Kaswan	79-80
Shri Ravindra Kumar Pandey	81-82
Shri P. Chidambaram	83-86

(ii) Situation arising out of increasing atrocities against Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the country

Shrimati Sumitra Mahajan	94-96
Shri Ashok Tanwar	97-99
Shri Premdas	100
Shri Ramashankar Rajbhar	101-102
Shri Bhudeo Choudhary	103-104
Shri Naranbhai Kachhadia	105
Shri Ram Singh Kaswan	106-107
Dr. Sanjeev Ganesh Naik	108
Shri Arjun Ram Meghwal	109-112
Shri Jagdambika Pal	113-117
Shri Prasanta Kumar Majumdar	118-120

Shri Madhu Koda	121-122
Shri Sansuma Khunggur Bwiswmuthiary	123-124
Shri Tarun Mandal	125-126
Shrimati Sushila Saroj	127-128
Shri Hansraj G. Ahir	129-130
Shri Pakauri Lal	131-132
Dr. Vinay Kumar Pandey	133
Shri Sukhdev Singh	134-136
Shri Ashok Kumar Rawat	137-138
Shri Bishnu Pada Ray	139
Shrimati Jyoti Dhurve	140-141
Dr. Charles Dias	142
Shri Satpal Maharaj	143-145
Shri P. Chidambaram	146-166

HALF-AN-HOUR DISCUSSION
Availability of fertilizers

Shri Rudramadhab Ray	167-170
Shri Hansraj G. Ahir	171-172
Shri Dharmendra Yadav	173
Shri Mahendrasinh P. Chauhan	173-174
Shri Shailendra kumar	174
Shri Srikant Jena	175-180

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Meira Kumar

THE DEPUTY SPEAKER

Shri Karia Munda

PANEL OF CHAIRMEN

Shri Basu Deb Acharia

Shri P.C. Chacko

Shrimati Sumitra Mahajan

Shri Inder Singh Namdhari

Shri Francisco Cosme Sardinha

Shri Arjun Charan Sethi

Dr. Raghuvansh Prasad Singh

Dr. M. Thambidurai

Shri Beni Prasad Verma

Dr. Girija Vyas

SECRETARY-GENERAL

Shri P.D.T. Achary

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Monday, August 30, 2010/ Bhadra 8, 1932 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MADAM SPEAKER in the Chair]

MADAM SPEAKER: Papers to be laid on the Table of the House.

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY-GENERAL: Madam Speaker, I have to report a message received from the Secretary-General of Rajya Sabha:

> "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 27U August, 2010 agreed without any amendment to the Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill, 2010 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 12th August, 2010."

11.01 hrs.

REPORT ON PARTICIPATION OF INDIAN PARLIAMENTARY DELEGATION IN THE 122ND ASSEMBLY OF THE INTER-PARLIAMENTARY UNION (IPU)

SECRETARY-GENERAL: Madam, I beg to lay on the Table (Hindi and English versions) of the Report on the participation of Indian Parliamentary Delegation in the 122nd Assembly of the Inter-Parliamentary Union held in Bangkok (Thailand) from 27th March to 1st April, 2010.

11.01½ hrs.

COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES STUDY TOUR REPORT

SHRI GOBINDA CHANDRA NASKAR (BANGAON): Madam, I beg to lay on the Table (Hindi and English versions) of the Report on-the-spot study visit of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes to Mirchpur village, District Hissar, Haryana on 2nd July, 2010.

MADAM SPEAKER: Shri Basudeb Acharia --- Absent
Shri Prabodh Panda --- Absent

11.02½ hrs.

STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of the recommendations ontained in the 4th Report of the Standing Committee on Rural Development on Demands for Grants (2009-10), pertaining to the Ministry of Panchayati Raj

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT AND MINISTER OF PANCHAYATI RAJ (DR. C.P. JOSHI): I am making this Statement on the status of implementation of recommendations contained in the Fourth Report (15th Lok Sabha) of the Standing Committee on the Rural Development in pursuance of the direction 73A of the Hon'ble Speaker, Lok Sabha vide Lok Sabha Bulletin-Part-II dated September 1, 2004.

The Fourth Report of the Standing Committee on Rural Development (15 Lok Sabha) was presented to the Lok Sabha on 17.12. 2009. The report relates to examination of Demands for Grants of Ministry of Panchayati Raj for the year 2009-2010,

Action taken statements on the recommendations/observations contained in the report of the Committee had been sent to the Standing Committee on Rural Development in March, 2010.

There are 30 recommendations made by the Committee in the said report where action is called for on the part of the Government. These recommendations mainly pertained to allocation and utilization of funds during 10th and 11th Plans and Annual Plans, Capacity Building of Panchayats, Re-structuring of Centrally Sponsored Schemes, Devolution of funds, functions and functionaries, professionalizing DPCs, Effective implementation of PESA, Twelfth Finance Commission Grants, issues related with Backward Regions Grant Fund etc.

The present status of implementation of the various recommendations made by the Committee is indicated in the Annexure to my Statement which is laid on the Table of the House. I would not like to take the valuable time of the House to read out all the contents of this Annexure. I would request that this may be considered as read.

(Placed in Library, See No. LT 3097/15/10)

11.03 hrs.

SUBMISSIONS BY MEMBERS

(i) Re: Functioning of CBI

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): अध्यक्ष महोदया, आप अच्छी तरह जानती हैं कि पिछले सत्र से हम इस बात पर बार-बार जोर देकर मांग कर रहे हैं कि सीबीआई की कार्यशैली पर चर्चा करायी जाए। आप यह भी जानती हैं कि पिछले सत्र की बीएसी की मीटिंग में इस विषय को स्वीकार भी कर लिया था और कार्यावली में यह चर्चा लगा भी दी गई थी। कार्यसूची में यह चर्चा दो हफ्ते तक लगती रही। लेकिन किसी न किसी कारण से यह चर्चा टलती रही और हम यह चर्चा नहीं कर पाए। इस बार भी आपको याद होगा कि सत्र शुरू होने से पहले आपने जब पार्टी नेताओं की मीटिंग बुलायी थी और हम से यह जानना चाहता था कि हम किन विषयों पर चर्चा कराना चाहते हैं तो एक प्रमुख विषय के रूप में मैंने इसे रखा था कि हम सीबीआई की कार्यशैली पर चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन अब सत्र समापन की ओर बढ़ रहा है। यह दो दिन का एक्सटैण्डिड सैशन है, लेकिन अभी तक हमें कोई चर्चा नहीं मिली है। कल एक प्रकरण ऐसा घटा, जिसके कारण यह चर्चा बहुत प्रासंगिक हो गई। गुजरात के एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ... * ने यह आरोप लगाया है और यह समाचार पत्रों में बहुत प्रमुखता से छपा है कि सीबीआई के अधिकारी उन पर प्रैशर डाल रहे हैं, दबाव बना रहे हैं कि वह वहां के बड़े नेताओं का नाम लें ताकि वे उन्हें फंसा सकें और यदि वह ऐसा नहीं करेंगी तो वे गीता जौहरी को फंसाएंगे। इससे ज्यादा गंभीर आरोप कोई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी नहीं लगा सकता है। हम बार-बार इस बात को कहते रहे हैं कि यह सरकार सीबीआई का राजनैतिक दुरूपयोग करती है, अपने लोगों को बचाती है, विरोधियों को फंसवाती है और कुछ लोगों पर तलवार लटका के रखती है...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: The name will not go on record.

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप कृपया किसी का नाम न लें।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : कुछ राजनेताओं के सिर पर तलवार लटका देती है ताकि उनसे अपना हित साधन कर सके। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आपने दो दिन के लिए सत्र बढ़ाया है, संसदीय कार्य मंत्री बैठे हैं, एक दिन के लिए और सत्र बढ़ा दीजिए, लेकिन हमें यह चर्चा चाहिए। दो दिन आप विधायी कार्य कर लीजिए, लेकिन सीबीआई की कार्यशैली पर चर्चा के बिना यह सत्र का समापन न हो, यह मेरी आपसे मांग है। मैं चाहती

---

* Not recorded

हूं कि संसदीय कार्य मंत्री इस पर रिस्पौण्ड करें। एक दिन के लिए सत्रावधि बढ़ाने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन सीबीआई की कार्यशैली उभर कर यहां आनी चाहिए।...(व्यवधान) हम सदन के माध्यम से देश को बताना चाहते हैं कि सीबीआई का राजनैतिक दुरुपयोग इस सरकार द्वारा कैसे किया जा रहा है?...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए, मंत्री महोदय कुछ कहना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : सतीश शर्मा, ओताावियो क्वात्रोची को बचा लो और बाकी सब को फंसा दो। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, हम इस सदन के माध्यम से चर्चा करके देश को बताना चाहते हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: मंत्री महोदय कुछ कहना चाहते हैं, आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : यहां संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूं कि आप एक दिन के लिए और सत्र बढ़ा दीजिए।...(व्यवधान)

11.06 hrs.

At this stage, Shri Ganesh Singh and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table

संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): अध्यक्ष महोदया, नेता विपक्ष ने याद दिलाया है कि यह विषय पिछले सत्र में लिस्ट ऑफ बिजनैस में लगा था, मैं श्रीमती सुषमा जी को यह याद दिलाना चाहता हूं कि जिस वक्त उन्होंने कहा, उसी वक्त सरकार ने उसे कबूल कर लिया था कि हम चर्चा चाहते हैं। इसलिए इस बात का, इस ढंग का एक भ्रम है कि शायद सरकार नहीं चाहती। पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं, यह कहना कि सरकार नहीं चाहती, यह गलत है। सरकार ने यह बात हमेशा कही है और यह बात चर्चा के जरिए भी कही जा सकती थी, जो हमारे ऊपर किसी ढंग का आरोप लगता है, यह बेबुनियाद है।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार ने कभी भी सीबीआई का दुरुपयोग नहीं किया और न ही कभी करेगी, यह बात मैंने पहले भी कही है और आज भी कह रहा हूं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: मंत्री महोदय की पूरी बात सुन लीजिए।

...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल: सीबीआई एक ऑटोनोमस बॉडी है। ...(व्यवधान) ये चर्चा की बात नहीं कर रहे, ये वैल में आने की बात करते हैं। ...(व्यवधान) आपने देख लिया है कि ये चर्चा नहीं चाहते, क्योंकि चर्चा में सब बातें सामने आ जाएंगी। ...(व्यवधान) ये चर्चा नहीं चाहते, ये यह चाहते हैं, जो ये कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, ये चर्चा नहीं चाहते, ये यही चाहते हैं, जो ये कर रहे हैं।...(व्यवधान) ये अपनी बात कहने के बाद दूसरों को अपनी बात भी नहीं कहने देते। ...(व्यवधान) ये अपनी बात कहने के बाद सरकार को अपनी बात भी नहीं कहने देते। ...(व्यवधान) यही इस बात से साबित होता है कि ये व्यवधान चाहते हैं, चर्चा नहीं चाहते है।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) … *

MADAM SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 12 Noon.

11.08 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Twelve of the Clock.

---

* Not recorded

12.00 hrs.

The Lok Sabha re-assembled at Twelve of the Clock.

(Dr. M. Thambidurai *in the Chair*)

MR. CHAIRMAN : The House will now take up item no. 4, Papers to be laid on the Table.

Shri Basu Deb Acharia.

… (*Interruptions*)

SHRI T.R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Sir, my Calling Attention has not been taken up for the last one month. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Shri Basu Deb Acharia is on his legs.

… (*Interruptions*)

12.0½ hrs.

COMMITTEE ON AGRICULTURE
12th Report

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मैं संविधान (एक सौ ग्यारहवां संशोधन) विधेयक, 2009 के बारे में कृषि सम्बन्धी समिति का बारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

SHRI T.R. BAALU : Sir my Calling Attention has not been taken up for the last one month. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Shri Baalu, you please raise this issue in the Business Advisory Committee meeting.

… (*Interruptions*)

12.01 hrs.

SUBMISSION BY MEMBERS – Contd.

(ii) Re: Provisions of Enemy Property (Amendment and Validation) Bill, 2010

MR. CHAIRMAN: Now, matters of urgent public importance.

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): सभापति महोदय, भारत सरकार शत्रु जायदाद बिल लोक सभा में ला रही है। यह एक खतरनाक बिल है, जो मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश है। पाकिस्तान से 1965 की लड़ाई के बाद कांग्रेस सरकार एक बिल लाई थी, जिसका नाम एनिमी प्रोपर्टी बिल रखा गया था, इस बिल के अनुसार अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान चला गया है तो उसकी जायदाद का वारिश उसका बेटा, बेटी, पत्नी, पिता तथा अन्य रिश्तेदार न होकर यह जायदाद सरकार की होगी। इसके तहत 2600 से अधिक जायदाद मुसलमानों की सरकार के पास चली गईं, जिसमें लगभग 1800 मुस्लिम परिवार अकेले यू.पी. के हैं।

इस बिल के खिलाफ एक मुकदमा चला था, जो उच्चतम न्यायालय में मुसलमानों ने लड़ा, जिसका फैसला 2005 में उच्चतम न्यायालय के दो जजों की बेंच न्यायमूर्ति श्री अशोक भान एवं श्री अलतमास कबीर ने दिनांक 21.10.2005 को दिया था। जिसके मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार हैं:

1. अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता रखता है और वह किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं रखता है तो वह एनिमी नहीं हो सकता है। संविधान की धारा 2ए तथा धारा 2बी और 2सी के तहत उसकी शत्रु जायदाद नहीं हो सकती है।
2. कस्टोडियन सिर्फ देखभाल करने का कार्य कर सकता है। वह मालिक नहीं हो सकता है। कस्टोडियन को यह जायदाद उस मालिक को वापस करनी होगी, जो विदेशी नहीं है।
3. माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि कस्टोडियन ने जिन लोगों की जायदाद किराये पर दी है, उनको खाली कराकर वारिश को आठ हफ्ते में वापस करानी होगी।
4. माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से उत्तर प्रदेश के 1800 मुसलमानों को फायदा हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश के पूर्व एम.एल.ए. एम.ए.एम.खान उर्फ सुलेमान राजा मेहमूदाबाद भी शामिल हैं, लेकिन मुसलमानों के हित को सरकार यह बिल लाकर छीनना चाहती है, जिसकी संविधान इजाजत नहीं देता है।

गृह मंत्री, भारत सरकार श्री पी.चिदम्बरम इस मुकदमे में मुसलमानों एवं एम.ए.एम. खान, राजा मेहमूदाबाद के खिलाफ वकील थे तथा भारतीय जनता पार्टी के दो नेता भी इनके साथ वकील थे। माननीय उच्चतम न्यायालय में मुकदमा हारने के बाद गृह मंत्री पी. चिदम्बरमम अन्य नेताओं के साथ मिलकर लोक सभा में एक बिल ला रहे हैं। इस बिल से पूरे देश के मुसलमानों का नुकसान होगा और इस बिल से मुसलमानों में

हीनता की भावना पैदा होगी, जो इस मुल्क की धर्मनिरपेक्षता के लिए सही नहीं है। यह कांग्रेस की मुसलमानों के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है। वह मुसलमानों का हक इस बिल के माध्यम से छीनना चाहती है।

इस देश के मुसलामनों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाना चाहती है। इस देश में मुसलमान की स्थिति वैसे ही दयनीय है तथा इस तरह के बिल लाकर उनके अंदर हीन भावना पैदा करके कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को गलत रास्ते पर जाने का कार्य करवाना चाहती है। …(व्यवधान) आप क्यों बोल रहे हैं? हम तो कांग्रेस के बारे में कह रहे हैं।

यह विधेयक माननीय उच्चतम न्यायलय के फैसले के खिलाफ लाया जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों के हक में फैसला किया है। इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस सरकार मुसलमानों को नुकसान व हीन भावना पैदा करने के लिए उनको अपनी जायदाद से बेदखल करने के लिए यह बिल लाया रही है। इस बिल को तुरन्त रोकने की आवश्यकता है।

इस बिल के कुछ बिंदुओं पर भी प्रकाश डालना आवश्यक है। इस बिल में यह कहा गया है कि मुसलमान को 120 दिन में अपनी नागरिकता बतानी होगी। यह गलत है। बार-बार मुसलामनों से इस तरह की डिमांड क्यों रखी जाती है? मुसलमान इस देश में सच्चे हिंदुस्तानी हैं तथा हिंदुस्तान के खिलाफ उठने वाली आवाज के खिलाफ अपनी जान की कुर्बानी भी देन के लिए तैयार हैं। इस तरह की डिमांड मुसलमानों से क्यों की जा रही है?

जिन मुसलमानों को माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से उनकी जमीन जायदाद मिलेगी, उन्हें उसे खाली कराने का अधिकार प्राप्त नहीं है। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जब कोई भी हिंदुस्तानी अपने किरायेदार को अपनी जायदाद खाली कराने के लिए कह सकता है, तो मुसलमान अपने किरायेदार से अपनी जायदाद खाली क्यों नहीं करा सकता है? इस तरह का भेदभाव केवल मुसलमानों के साथ ही क्यों किया जा रहा है?

इस बिल में कांग्रेस पार्टी तथा अब साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी दोनों के हाथ मिले हुए हैं तथा आनन-फानन में इस बिल को लोकसभा में पास करवाकर और राज्यसभा में पास कराकर कानून बनाना चाहते हैं जिससे मुसलमान तरक्की तथा अधिकार से वंचित हो जाए। यह भारत के संविधान के अनुकूल नहीं हैं। …(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : There should be order in the House.

… (*Interruptions*)

श्री मुलायम सिंह यादव : इस बिल को तुरन्त स्टैंडिंग कमेटी को भेजने की कृपा करें।..(व्यवधान) अब साबित हो गया है कि इस देश की कांगेस पार्टी और बीजेपी एक साथ हैं। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please take your seat. I have called Shri Jaswant Singh. He is on his legs.

… (*Interruptions*)

श्री मुलायम सिंह यादव : यह सही है। कांग्रेस के दूसरे सदन के दोनों नेता हैं और राज्य सभा के मेंबर हैं, ये मिलकर कांग्रेस पार्टी, मैं बीजेपी का नाम पहले नहीं लेना चाहता था, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि कांग्रेस पार्टी जो मुझसे कहा गया और बीजेपी दोनों मिलकर मुसलमानों के खिलाफ ...(व्यवधान) कुछ कर रहे हैं ...(व्यवधान) यह मुसलमानों के खिलाफ है। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Shri Mulayam Singh Yadav, please take your seat. You have already mentioned your point.

… (*Interruptions*)

संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): महोदय, मैं मुलायम सिंह जी को बता देना चाहता हूं कि इसमें संशोधन दिए गए हैं। ...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : कुर्बानी देने वालों में अब्दुल हमीद से लेकर कभी मुसलमान पीछे नहीं रहा। आजादी की लड़ाई में कभी मुसलमान पीछे नहीं रहा, लेकिन आज अफसोस है कि कांग्रेस पार्टी, बीजेपी से मिलकर ...(व्यवधान) इस बिल को ला रही है। यह मुसलमानों के खिलाफ है।...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : सलमान खुर्शीद जी ने और बहुत से सदस्यों ने इस बात का जिक्र माननीय गृह मंत्री जी और माननीय फाइनेंस मिनिस्टर से किया था। ...(व्यवधान) उसके बाद सरकार ने अपने ...(व्यवधान) संशोधन पेश कर दिए हैं ...(व्यवधान) और इन संशोधनों के बाद इनको किसी बात की चिंता नहीं रहनी चाहिए, बल्कि हम सब मिलकर उनको दरख्वास्त करेंगे कि बीजेपी भी इसमें सपोर्ट करे। ...(व्यवधान) हम सभी मिलकर यह बात कहें कि संशोधन उसके बाद इसमें आ गए हैं। ...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद (सारण): इस बिल की कोई जरूरत नहीं है ...(व्यवधान) यह मुसलमानों के खिलाफ साजिश है। ...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : उसके बाद आपको कोई चिंता या आशंका नहीं रहनी चाहिए। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Shri Mulayam Singh Yadav, please take your seat. You have already mentioned your point.

… (*Interruptions*)

श्री पवन कुमार बंसल : जो संशोधन हैं, कृपा करके आप उनको भी देख लीजिए। ...(व्यवधान) जो बात आपने कही, उसके बाद वह बात नहीं रह जाती है। ...(व्यवधान) उन चीजों का बिलकुल ध्यान रखा गया है। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Shri Mulayam Singh Yadav, please take your seat. You have already mentioned your point.

… (*Interruptions*)

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): सभापति महोदय, एक मिनट हमारी बात सुनिए। ...(व्यवधान)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: What I am saying is that the views expressed by Shri Mulayam Singh Yadav have been taken care of in the amendments which are officially being moved. Notice of those amendments has been given. The amendments have been circulated. I am sure all the hon. Members must have read those amendments. That must clarify all the doubts about it. There is nothing left after that. We must unanimously pass this Bill. … (*Interruptions*)

श्रीमती सुषमा स्वराज : सभापति महोदय, जो बात मुलायम सिंह जी ने उठायी है, उसका जवाब देते हुए ...(व्यवधान) संसदीय कार्य मंत्री जी, आप सुनिए। ...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : सुप्रीम कोर्ट का आदर होना चाहिए। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Shri Bansal, please come to your seat.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Mr. Minister, please come to your seat.

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : संसदीय कार्य मंत्री जी, आप अपनी सीट पर आइए।...(व्यवधान) यह राय-मंत्रणा बाहर कीजिए।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Only Shrimati Sushma Swaraj to speak

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except what Shrimati Sushma Swaraj says.

(Interruptions) ... *

श्रीमती सुषमा स्वराज : सभापति जी, मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि अगर बिल मूल रूप में आएगा तो हम उसका विरोध करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि हम उसमें संशोधन ला रहे हैं। अगर आप संशोधन लाएंगे तो हम उसका विरोध करेंगे।...(व्यवधान) इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि यह बिल आज लिस्टेड है। आप इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेजिए, क्योंकि संशोधन आने के बाद यह नया बिल बन जाएगा।...(व्यवधान) अगर आर्डीनैंस मूल रूप में आएगा तो हम उसका समर्थन करेंगे, संशोधन के साथ आएगा तो हम विरोध करेंगे।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: I would request the hon. Minister to come to his seat.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please take your seats. Your leader is on her legs. Let her speak.

… (*Interruptions*)

श्रीमती सुषमा स्वराज : अगर संसदीय कार्य मंत्री जी को मंत्रणा करनी है तो हाउस ऐडजर्न कीजिए, बाहर बात होगी।...(व्यवधान) यह सीट टू सीट, सीट टू सीट क्या हो रहा है?...(व्यवधान) वे लोगों को एक-एक सीट पर जाकर समझा रहे हैं।...(व्यवधान) सभापति जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Madam, you speak.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: She is on her legs. Please take your seat.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except what Shrimati Sushma Swaraj says.

(Interruptions) ... *

---

* Not recorded

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Sir, this Bill has been listed for discussion today. … (*Interruptions*) My request is that let us discuss the Bill first. Let us discuss the provisions of the Bill.… (*Interruptions*) It is Zero Hour. However, this matter has been permitted. Let us take it up for discussion at the relevant time today only.… (*Interruptions*) It has been listed in the Business. … (*Interruptions*) It is there in the List of Business. Let us take it up for discussion and then come to a conclusion.… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Right.

श्रीमती सुषमा स्वराज : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि हमारे नियम यह कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति स्पीकर की तरफ पीठ करके खड़ा नहीं हो सकता। पार्लियामैंट्री अफेयर्स मिनिस्टर दस-दस मिनट स्पीकर की तरफ पीठ करके खड़े रहे।...(व्यवधान)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL; I would apologize for that.

…(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : अगर उन्हें राय-मंत्रणा करनी है तो वे हाउस ऐडजर्न करवाएं और जिससे राय-मंत्रणा करनी है, करें।...(व्यवधान) सदन के अंदर सीट टू सीट, सीट टू सीट जाकर वे राय-मंत्रणा कर रहे हैं।...(व्यवधान) यह नियमों के विरुद्ध है।...(व्यवधान) दूसरा, मुझे यह कहना है कि मुलायम सिंह यादव जी ने कहा।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Only Shrimati Sushma Swaraj's version will go on record. Nothing else will go on record.

(Interruptions) … *

श्रीमती सुषमा स्वराज : सभापति महोदय, अभी मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि अगर बिल मूल रूप में आयेगा, तो हम विरोध करेंगे। ...(व्यवधान) संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि हम उसमें संशोधन ला रहे हैं। ...(व्यवधान) मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि अगर आप संशोधन लायेंगे, तो हम विरोध करेंगे। ...(व्यवधान) इसलिए इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाये, जहां एक-एक धारा पर चर्चा हो। ...(व्यवधान) उसके बाद यह बिल आना चाहिए। ...(व्यवधान) आज यह बिल न लिया जाये। ...(व्यवधान)

---

* Not recorded

12.15 hrs.

At this stage, Shri Lalu Prasad, Shri Shailendra Kumar and some other Hon. Members came and stood on the floor near the Table

---

12.16 hrs.

(i) DAM SAFETY BILL, 2010*

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for proper surveillance, inspection, operation and maintenance of all dams of certain parameters in India to ensure their safe functioning and for matters connected therewith or incidental thereto.

MR. CHAIRMAN (DR. M. THAMBIDURAI): The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for proper surveillance, inspection, operation and maintenance of all dams of certain parameters in India to ensure their safe functioning and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: I introduce the Bill.

… (*Interruptions*)

(ii) INSTITUTES OF TECHNOLOGY (AMENDMENT) BILL, 2010 *

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRIMATI D. PURANDESWARI): Sir, on behalf of Shri Kapil Sibal, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Institutes of Technology Act, 1961.

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Institutes of Technology Act, 1961. "

The motion was adopted.

SHRIMATI D. PURANDESWARI: I introduce ** the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary Part-II, Section-2 dated 30.08.2010

** Introduced with the Recommendation of the President

MR. CHAIRMAN: The House stands adjourned to meet again at 2 p.m.

12.17 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen *of the Clock.*

14.00 hrs.

The Lok Sabha re-assembled at Fourteen of the Clock.

(Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*)

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण): महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जब हाउस चल रहा था और विपक्ष की नेत्री हाउस को संबोधित कर रही थीं, तब हमारे संसदीय कार्यमंत्री जी ने एक नियम का उल्लंघन किया है। Rule 349 (xii) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha clearly says:

> "Whilst the House is sitting, a member shall not sit or stand with his back towards the Chair:"

Sir, if he wanted to have discussions with hon. Members, he could have called them to the Lobby, he could have called them to his chamber, but it is very unfortunate that being the Parliamentary Affairs Minister he has indulged in unparliamentary behaviour and conduct. … (*Interruptions*)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): महोदय, सभी लोग सदन में इधर से उधर आते-जाते हैं।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, ये असंगत बातें कर रहे हैं।...(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार : महोदय, मैं जो कह रहा हूं, वह असंगत बात नहीं है, ये जो कह रहे हैं, वह असंगत बात है।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप लोग बैठ जाइए। शांत रहिए।

...(व्यवधान)

SHRI ANANTH KUMAR : Therefore, by upholding the high traditions of this hon. House, I urge the hon. Parliamentary Affairs Minister to apologise for his behaviour because this went on for more than 10 minutes. … (*Interruptions*) We don't expect this from the hon. Parliamentary Affairs Minister. Therefore, I want him to apologize to the entire House. … (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The Minister wants to say something. Please take your seat.

… (*Interruptions*)

SHRI ANANTH KUMAR : Mr. Deputy-Speaker, Sir, I have raised a point of order and I want your indulgence on this to let the Parliamentary Affairs Minister respond to my point of order and apologize to the House. … (*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को बोलने दीजिए।

…(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : संसदीय कार्यमंत्री को हरेक मेंबर के पास जाने का व्यवहार है।…(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

SHRI H.D. DEVEGOWDA (HASSAN): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I do not want to raise any point of order. But I will only support his case. … (*Interruptions*) Sir, about three days back, the hon. Speaker has called a meeting of the leaders of all the political parties where the Leader of the Opposition was also present. About 48 hours were wasted during this Session and this was discussed in the presence of all the senior leaders of this House, including the Leader of the House and the Leader of the Opposition. Every day, we are witnessing disturbances in this House. We have not come here only to sign and take our Daily Allowance. I am very much hurt by what is happening here. … (*Interruptions*) He is a senior leader. He is now advising us how to behave in this House. He is now telling the Parliamentary Affairs Minister as to how he has breached the rules of this House. … (*Interruptions*) I am so sorry, this is not the way especially for the recognized Opposition Party to cooperate. … (*Interruptions*)

SHRI ANANTH KUMAR : Sir, I do not know why he is standing up. … (*Interruptions*)

श्री लालू प्रसाद (सारण): विपक्ष सरकार का अंग हुआ करता है। कोई मंत्री अगर किसी मसले पर विपक्ष के सदस्यों से, लीडर से बात करता है, तो वह कोई अपराध नहीं है। …(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार : वह बात लॉबी में करें, अपने चेंबर में करें। अध्यक्ष की ओर पीठ करके बात करना ठीक नहीं है।…(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया आप बैठ जाएं।

श्री शरद यादव (मधेपुरा): उपाध्यक्ष जी, अनंत कुमार जी ने अभी एक सवाल उठाया है। यह ठीक है कि सदन के चलते संसदीय कार्य मंत्री विपक्ष के नेताओं से मिलते हैं, लेकिन खड़े होकर नहीं, उनकी बगल में बैठकर मिलते हैं और विचार विमर्श करते हैं। यह एक परम्परा रही है कि अगर कोई जरूरी बात हो तो उन्हें पूरा हक है सबके पास जाकर, बैठकर बात करें, क्योंकि हाउस चलाने की मुख्य जिम्मेदारी उनकी है। लेकिन उन्हें बैठकर बात करनी चाहिए, खड़े होकर नहीं, क्योंकि यह सदन की गरिमा के खिलाफ है।

श्री सुदीप बंदोपाध्याय (कोलकाता उत्तर): डिप्टी स्पीकर साहब, हम तमाम दलों के नेताओं ने बीएसी की मीटिंग में इस सत्र का कार्यकाल दो दिन और बढ़ाने का निर्णय लिया था। इस बारे में हम सबकी बातचीत भी हुई थी कि संसद का यह सत्र दो दिन और बढ़ाया जाए या नहीं, लेकिन हमने दो दिन के लिए इसे बढ़ाया है। हमें आशा थी कि सरकार के जो बाकी बिल्स हैं और अन्य जरूरी काम है, उन्हें निपटाया जाए। हमने यह भी तय किया था कि इस दौरान हम चर्चा में भाग लेंगे और सदन को सुचारू रूप से चलाएंगे, लेकिन आज सुबह ही स्थिति बिगड़ गई। संसदीय कार्य मंत्री का काम है कि हाउस सही ढंग से चले और इस सिलसिले में वह विपक्ष के नेताओं से जाकर मिल सकते हैं। हमें यह देखना है कि इस सत्र का कार्यकाल जो दो दिनों के लिए बढ़ाया गया है, तो सदन अच्छी तरह से चले। बंसल जी किसी नेता के पास जाकर सदन को सुचारू ढंग से चलाने का अगर प्रयास करते हैं तो इसमें कोई गलत बात दिखाई नहीं देती है। अगर सदन की कार्यवाही ठप हो जाए तो यह ठीक नहीं होता है। संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो काम किया, वह पूरी तरह से ठीक किया।

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): Sir, with all the humility at my command, I want to assure this House, I want to assure the hon. Speaker, to you and through you to everybody who is in some way or the other associated or concerned with the running of the Parliament that I hold the traditions of the Parliament in the highest esteem.

Sir, it is always my endeavour to adhere to those very scrupulously and during all this period I have tried and at times I had to go to the Leader of Opposition, at times I had to go to the Leaders of various other political parties. As you all are aware, in the morning there was some commotion, on some points there were sharp difference of opinion between the leaders of the BJP and the leaders of various other political parties. I think, I was performing a duty when I went there, but, Sir, as I observe now and I am reminded of that. I was also reminded of that by the hon.

Leader of Opposition, by Shri Ananth Kumar that I did commit a little impropriety totally inadvertently that I turned my back towards the Chair, which was never my intention and can never be my intention.

I must thank Shri Lalu Prasad and Shri Mulayam Singh Yadav. But there was no space to sit there. The occasion was such; the situation was not that the House was in order the way it is now at this moment that I could go to some hon. Member and sit with him to discuss a point. The situation was to try to bring the House in order, which, of course, is not my responsibility as such. But that was a humble effort on my part to try and inform the hon. Members that the amendments which the Government had proposed should take care of their view points. But there was a different view expressed by the leaders of the Opposition and I do not know whether the hon. Leader of Opposition was standing or speaking at that time. It was total commotion, I remember that very vividly. My only sincere endreavour was to see that we put an end to that.

But in the process if I turned my back, and I say, very inadvertently, at all, it was not a deliberate thing on my part. I meant no disrespect to anyone. If my back was turned, I certainly feel bad about it and I apologise for that. But there was nothing, whatever, on my part to ...

I would only take this opportunity further to say, I take it in the right spirit, and I would honestly wish that if these were the traditions which we were to uphold, the rules which the hon. Member read, if we were to uphold those during all our working time – that is what Sudip Bandyopadhyay *ji* said – we will really present a different picture altogether, and I will have never to go to anyone any time. That is what the hon. Speaker endeavoured the day before.

SHRI JASWANT SINGH (DARJEELING): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I had been called earlier before some passions of domestic politics intervened and the House was adjourned. I wish, with your permission, Sir, to switch from domestic concerns to some issues which I think are of very high national importance covering the foreign policy of the country, the security policy of the country.

I would refer, Mr. Deputy-Speaker, to two aspects. One is the denial of visa on grounds of Jammu and Kashmir being sensitive or disputed territory as per and by the authorities of the People's Republic of China. This is totally unacceptable.… (*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष जी ने इन्हें बुलाया था, लेकिन हल्ला-गुल्ला होने की वजह से ये उस समय बोल नहीं पाए थे, इसलिए अध्यक्ष जी की अनुमति के आधार पर हमने इन्हें बुलाया है, इनके बाद कॉंलिंग अटेंशन चलेगा, आप बैठ जाइये।

SHRI JASWANT SINGH : Mr. Deputy-Speaker, it raises issues of very high national importance. It also impinges on our territorial integrity and national security besides, in my view, being an example of grossly provocative conduct on the part of a neighbouring country.

The hon. the Raksha Mantri who is my dear friend of many years' standing and whom I hold in high regard, found it fit to not really take this matter with sufficient seriousness. I do not want to repeat what he said. … (*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। कॉलिंग अटेंशन चलेगा, इनके बाद तुरंत चलेगा और ये बहुत देर तक बोलने वाले नहीं हैं।

SHRI JASWANT SINGH : But I do wish to say, Sir, that principally, amongst the functions of the Raksha Mantri, along with the discharge of his duties and responsibilities, is also to safeguard the interest, honour and welfare of all senior officers of the Indian Army, Navy and Air Force. The officer who has been denied a visa is a Lieutenant-General, is an Army Commander of our Northern Army, and is one of the principal officers of the Indian Army. This, Sir, is a slur not just to an individual; as he wears the uniform of the Republic of India, in that sense it is a slur upon India. I do wish and I do so sincerely that the hon. the Raksha Mantri hadn't taken it so lightly.

The second aspect which I wish to also emphasise is about recent events in certain parts of the northern territory of Jammu and Kashmir – and Jammu and Kashmir is an integral part of India – and northern territories are still treated by us as

part of undivided Jammu and Kashmir. I refer to areas of Gilgit and Baltistan in which, I am informed, Islamabad has reportedly handed over *de facto* control of the Gilgit and Baltistan region to People's Liberation Army. As we know, the People's Liberation Army is very much an extension of Chinese national interest and the Policies of the People's Republic of China. Consequently, Mr. Deputy-Speaker, Sir, certain sections of the western portions of Jammu and Kashmir, Pak-occupied Kashmir, stretching from Gilgit in the north to Baltistan in the south have been closed even to citizens of the area including the Army personnel of the Pakistan Army.

All access to this area is now reportedly being controlled by the PLA through the PRC. Reports about these developments have originated very sadly, I say, from a variety of foreign intelligence sources, foreign and Pakistani journalists and also Pakistani Human Rights activist. But I am saddened that till date, not a word has emerged from the Government of India. It is a matter vitally concerning our national interest, and I would really have very much hoped that the Government would have come forward rather than somebody else from abroad informing us, about this.

I might add, Mr. Deputy-Speaker, that the Government has a duty to inform the country, and we have a right to know what the Government has to say in this regard.

There are three additional important aspects. I would not take long to say them.

Sir, this development in the Gilgit and Baltistan area is also accompanied by a kind of simmering rebellion in Gilgit, and there has been firing as also imposition of curfew. What information does the Government have in this regard?

I am informed, secondly, that there is an influx in that area of Gilgit and Baltistan of about 11,000 soldiers of the People's Liberation Army, who are now constructing barracks for permanent residences.

Thirdly, reports have appeared that there are 22 tunnels being dug there, which tunnels could be for the convenience of the passage of rail, road or also possibly for the storage of missiles. I would like to know from the Government what information do you have.

Sir, I wish to add, in conclusion, very briefly but manifestly, the People's Republic of China wants a tight grip on this region so as to further encircle India and to acquire an assured and unfettered road and rail access to the Arabian Sea and the Gulf through Pakistan.

I wish to further add that when the intended high speed rail and road links through Gilgit and Baltistan are completed, China will be able to transport cargo, civil or military, from Eastern China to the new Chinese built ports of Gwadar, Pasni and Ormara within 48 hours from the east coast of China to the Makran coast is directly for us a national issue.

Mr. Deputy-Speaker, these issues are of vital national importance. The Prime Minister recently informed us that the Government's policy is not 'reciprocal'. I am intrigued by the use of such delphic phrases. Would the Prime Minister kindly inform us what he means by the policy not being 'reciprocal' when we are being encircled by the People's Republic of China? We are confounded by what the Government is saying. May I add, Sir, a word of caution and advice to the hon. Prime Minister? Statecraft is a very cruel business. Good-nature is bungler at it and Pusillanimity is no alternative to sound policy.

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Sir, I would like to associate myself with the issue raised by Shri Jaswant Singh ji. We would like to get a response to this from the Government.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri B. Mahtab and Shri Rajendra Agarwal are associating with the issue raised by Shri Jaswant Singh ji.

14.19 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Need to include Bhojpuri and Rajasthani languages in the Eighth Schedule to the Constitution

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, we shall take up item no. 6 – Calling Attention.

Shri Sanjay Nirupam.

SHRI SANJAY NIRUPAM (MUMBAI NORTH): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I call the attention of the Minister of Home Affairs to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon:

> "The need to include Bhojpuri and Rajasthani languages in the Eighth Schedule to the Constitution."

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): महोदय, भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में भाषाओं को शामिल किए जाने के लिए संविधान में कोई मानदंड निर्धारित नहीं किया गया है। इस समय भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल की गई हो। इनमें से शुरू में संविधान में 14 भाषाएं शामिल की गई थीं। सिंधी भाषा 1967 में शामिल की गई है। इसके बाद 3 और भाषाओं अर्थात कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को वर्ष 1992 में शामिल किया गया था। तत्पश्चात् वर्ष 2004 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाएं जोड़ी गई थीं। इन भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने का आधार उस समय की परिस्थितियां और लोगों की मांगें थीं। इस समय भोजपुर और राजस्थानी भाषाओं सहित 38 और भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की मांगें लंबित हैं। भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में और अधिक भाषाओं को शामिल किए जाने के उद्देश्य मानदंडों को निर्धारित करने के लिए श्री सीताकांत महापात्र की अध्यक्षता में सितम्बर, 2003 में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने वर्ष 2004 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति की रिपोर्ट, केंद्र सरकार के संबंधित विभागों के साथ परामर्श करने के लिए विचाराधीन है। भोजपुर और राजस्थानी भाषाओं सहित अन्य भाषाओं को आठवीं अनुसुची में शामिल किए जाने की लंबित मांगों पर निर्णय, अन्य बातों के साथ-साथ समिति की सिफारिशों और उन पर सरकार के निर्णय के आधार पर लिया जाएगा। भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में और अधिक भाषाओं को शामिल किए जाने की मांगों पर विचार करने के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

श्री संजय निरुपम : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जो बयान है, पिछले कई वर्षों से जो लिखित जवाब हमारे पास आता है, उसी तरह का है। भोजपुरी, राजस्थानी, दो भाषाएं बाकी तमाम 39 भाषाओं की तरह भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल होने के लिए अरसे से संघर्ष कर रही हैं। मैं कॉलिंग अटैंशन में दो भाषाओं के संदर्भ में अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। विशेषकर भोजपुरी मेरी मातृभाषा रही है।

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): अब भी है?

श्री संजय निरुपम : अभी भी है। ...(व्यवधान) वहीं इंतजाम करत हैं कि आगे जाकर भोजपुरी में बोलें पार्लियामेंट में, रुको जरा सा। ...(व्यवधान) अगर भोजपुरी में बोलेंगे तो यहां इन्टरप्रेटेशन नहीं होगा इसलिए यह इंतजाम किया जा रहा है। इस देश में भोजपुरी हिंदी के बाद दूसरी बड़ी भाषा है जो लगभग 1000 साल पुरानी भाषा है। हमारे पास 7वीं सदी के इसका इतिहास उपलब्ध है। पूरी दुनिया में हिन्दुस्तान के अलावा लगभग पांच ऐसे कंटीनेंट हैं जहां भोजपुरीभाषी लोग रहते हैं। अगर दुनिया में पापुलेशन देखी जाए तो लगभग 18 करोड़ लोगों की भाषा भोजपुरी है। भारत के अलावा लगभग 12 देशों में भोजपुरी बोली जाती है। यह भाषा बिहार और यूपी में रहने वालों की भाषा है लेकिन इसके साथ यह हमारे जैसे लोगों की भाषा है जो मुम्बई, कोलकाता या दिल्ली में रह रहे हैं। यह उन लोगों की भाषा है जो आज से 150 साल पहले हिन्दुस्तान से अलग देशों में किरमिटया मजदूर बनकर गए थे। मॉरिशस, सूरीनाम, फिजी और ट्रिनिदाद गए और सूरीनाम से बहुत से लोग आकर हॉलैंड में रह रहे हैं, ऐसे लोगों की घर और बोलचाल की भाषा, आपस के व्यवहार की भाषा भोजपुरी है। ऐसी भाषा के बारे में पिछले दिनों बिहार में सर्वे हुआ, जहां भोजपुरी सबसे ज्यादा बोली जाती है और सर्वे के बाद बिहार में भोजपुरी नंबर वन रही। यहां तक कि बिहार में हिन्दी राष्ट्रभाषा से ज्यादा भोजपुरी भाषा बोली जाती है और इसकी संख्या 24 प्रतिशत के आसपास है। एक प्रांत में सबसे ज्यादा भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं, यूपी का पूर्वांचल भोजपुरी इलाका हो गया है। हिन्दुस्तान में लुधियाना, सूरत, बड़ौदा शहरों में भोजपुरी भाषी लोग मिलते हैं। इस आधार पर एक अरसे से मांग उठ रही है कि इस भाषा को संविधान की आठवीं सूची में शामिल किया जाए। सिर्फ लोग बोलते हैं इसलिए नहीं, बल्कि इस भाषा को अपना एक इतिहास, संस्कृति, व्याकरण और परंपरा है, इसकी लिपि सिर्फ देवनागरी है। अन्यथा सोचें तो इस भाषा का बहुत समृद्ध इतिहास है। हमारे देश में लगभग 1000 के आसपास भोजपुरी राइटर्स हैं। पूरी दुनिया में भोजपुरी लिखने वाले लोग हैं। लगभग आठ विश्वविद्यालयों में भोजपुरी भाषा में पढ़ाई हो रही है, पटना, मगध, जौनपुर, कोलकाता यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती है। इग्नू की तरफ से फाउंडेशन कोर्स शुरू किया गया है।

इस आधार पर हमारी सरकार से बार-बार यह मांग रही है कि आप भोजपुरी और राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करें। राजस्थानी भाषा का भी अपना एक इतिहास रहा है। राजस्थानी

भाषा की अपनी एक संस्कृति और परम्परा है। यह एक पूरे प्रांत की भाषा है। पूरी दुनिया में मारवाड़ी समाज के लोग गये, लेकिन आज भी जब मारवाड़ी समाज के लोग एक-दूसरे से मिलते हैं तो अपनी मारवाड़ी भाषा में बात करते हैं। इस तरह से उस प्रांत की भाषा, उस समाज की भाषा, इन दोनों भाषाओं को एक सम्मान देने का आग्रह करने के लिए मैं यहा खड़ा हुआ हूं। किसी भी समाज को सम्मान देने के लिए, किसी भी समुदाय को सम्मान देने के लिए उसकी भाषा बहुत महत्वपूर्ण होती है। कबीर को आदिकवि माना जाता है। कबीर की जो मूल भाषा थी, वह भोजपुरी भाषा थी। सन् 1200 में उन्होंने खुद कहा था कि मेरी भाषा भोजपुरी भाषा है। फिर ऐसी भोजपुरी भाषा, जिसकी पढ़ाई-लिखाई में लोगों की रुचि है, ऐसी भोजपुरी भाषा जिससे लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। इस भाषा को जितनी जल्दी हो सके संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने का एक निर्णय सरकार द्वारा लिया जाए।

महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो बयान दिया है, उस बयान में उन्होंने कोई एक समय सीमा निर्धारित नहीं की। इस पर मैं दुख प्रकट करता हूं। सीताराम महापात्र कमेटी को बताया गया था कि आप क्राइटीरिया तय करें कि किसी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए क्या क्राइटीरिया हो सकता है।

हमारे संविधान में 14 भाषाओं को पहले शामिल किया गया था और उसके पांच-दस साल के बाद अन्य भाषाओं को शामिल किया गया था। इस तरह से 22 भाषाओं को शामिल करते समय कभी क्राइटीरिया तय नहीं किया गया। लोगों की जो डिमांड है, लोगों की जो भावना है, उनकी मांग को ध्यान में रखकर ऐसा किया गया था। सीताराम महापात्र कमेटी को कहा गया था कि आप एक क्राइटीरिया तय करके बतायें कि किस आधार पर इन भाषाओं को रखना चाहिए।

मेरा मंत्री जी से पहला सवाल है कि सीताराम महापात्र कमेटी की रिपोर्ट इस समय कहां हैं? आपने अपने बयान में कहा है कि 2004 में यह रिपोर्ट सबमिट की गई। आज वर्ष 2010 चल रहा है। पिछले छः वर्षों से इस रिपोर्ट को स्वीकार क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या इस रिपोर्ट में भोजपुरी और राजस्थानी जैसी भाषाओं के बारे कुछ सकारात्मक विचार प्रकट किये गये हैं? इस कमेटी को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स एक क्राइटीरिया तय करने के लिए कहा गया था। क्या उस क्राइटीरिया के बारे में कमेटी ने कुछ कहा है। इससे पहले 1996 में अशोक पाहवा कमेटी बनी थी। मंत्री जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। अशोक पाहवा कमेटी से यही सवाल पूछा गया था कि क्या क्राइटीरिया हो सकता है, क्या आधार हो सकता है, क्या मानदंड हो सकते हैं? उसने कहा था -

"The official language of the State may be included in the Eighth Schedule on the condition it should be spoken by substantial proportion of the population of a particular State."

आज हमने मैथिली भाषा को रखा है। मैथिली भाषा बिहार की भाषा है। बोड़ो, कोंकणी, डोगरी भाषाओं को रखा है। इन तमाम भाषाओं को जो सम्मान दिया जा रहा है, मैं उसका स्वागत करता हूं। ऐसा अवश्य होना चाहिए। लेकिन इन भाषाओं को बोलने वाले लोग लाखों की संख्या में हैं, जब कि भोजपुरी भाषा इनसे ज्यादा बड़े पैमाने पर लोगों द्वारा बोली जाती है। ऐसे में जिस प्रकार से बोड़ो भाषा को सम्मान दिया गया, जिस प्रकार से मैथिली भाषा को सम्मान दिया गया, बिल्कुल उसी प्रकार से भोजपुरी भाषा का भी सम्मान होना चाहिए।

दूसरी बात कही गई कि जिस भाषा को आठवीं अनुसूची में लेना है, उसका अपना साहित्य होना चाहिए, ग्रामर होनी चाहिए। मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूं कि आज तक भोजपुरी को बहुत ज्यादा सरकारी मान्यता नहीं मिली है, सरकारी सहयोग, सरकारी समर्थन तथा सरकारी वित्तीय सहयोग नहीं मिला। पिछले हजार वर्षों से भोजपुरी भाषा में साहित्य लिखा जा रहा है। यह बहुत समृद्ध साहित्य है, इसमें बहुत अच्छी कविताएं लिखी जाती हैं, बहुत अच्छी कहानियां और निबंध लिखे जाते हैं। ऐसे में मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि अशोक पाहवा कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जो एक क्राइटीरिया तय किया गया, वह क्राइटीरिया सही साबित होता है। इसलिए भोजपुरी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने का प्रयास करना चाहिए। भोजपुरी एक ऐसी भाषा है जिसे सरकार ने मान्यता नहीं दी, लेकिन इसके चार-चार टीवी चैनल्स चल रहे हैं। भोजपुरी एक ऐसी भाषा है, जिसे सरकार ने मान्यता नहीं दी, लेकिन भोजपुरी का अपना सिनेमा है और यह सिनेमा लगभग पांच सौ करोड़ रुपये के बजट का सिनेमा है। इस तरह से प्रशासन और सरकार के सहयोग के बगैर जो भाषा इतनी समृद्ध हो रही है, यदि उसे सरकार ने सहयोग दिया, समर्थन दिया, मान्यता दी तो निश्चित तौर पर उस भाषा का स्थान और बढ़ेगा और उस भाषा के साथ संबंध रखने वाले लोगों की भावनाओं की एक कद्र होगी। इसलिए भोजपुरी समाज की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और राजस्थानी समाज की भावनाओं को ध्यान रखते हुए इन दोनों भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की दिशा में तत्काल प्रयत्न हों, तत्काल टाइमफ्रेम तय हो और जितना जल्दी हो सके मंत्री महोदय इसके बारे में एक निर्णय लें।

अध्यक्ष महोदया : डॉ. विनय कुमार पाण्डेय, श्री अर्जुन राम मेघवाल, श्री पन्ना लाल पुनिया, श्री लालचन्द कटारिया, श्री देवजी एम. पटेल और श्री राम सिंह कस्वां इस विषय से अपने आपको सम्बद्ध करते हैं।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी (वाराणसी): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे समझ में नहीं आता कि इन्होंने भोजपुरी में भाषण क्यों नहीं किया?

श्री संजय निरुपम : मैं वचन देता हूं कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल कर लेने के बाद मैं भोजपुरी में भाषण दूंगा।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): उपाध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान की धारा 343 से 351 तक भाषा संबंधी अनुच्छेद हैं। उसमें सब से पहले कहा गया है कि हिन्दुस्तान की राजभाषा हिन्दी होगी। हम चाहते हैं कि हिन्दी राज भाषा के बाद राष्ट्रभाषा हो, नहीं, नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, इसे विश्वभाषा का दर्जा प्राप्त हो, यू.एन.ओ.की भाषा हिन्दी बने। जहां तक भोजपुरी का सवाल है, यह लोक भाषा है, बोली नहीं रह गई है, यह भाषा हो गई। विभिन्न छोटी-छोटी भाषायें इसकी सहायिका भाषा और बहन की तरह भोजपुरीह हिन्दी की सहयोगी भाषा हैं। संत कबीरदास, हिन्दी के प्रकांड विद्वान डॉ. हज़ारी प्रसाद द्विवेदी, डॉ. नामवर सिंह, डॉ. केदार नाथ सिंह, भोजपुरी के शैक्सपियर और कालीदास श्री भिखारी ठाकुर जो बिहार से आते हैं, सब ने इस भाषा को समृद्ध किया। श्री महेन्द्र मिसी जिनके साहित्य से हिन्दुस्तान की संस्कृति परिलक्षित होती है। बिहार के 9 जिले, उत्तर प्रदेश के 14 जिले, मध्य प्रदेश के 2 जिले के लोगों की भाषा भोजपुरी है। उसके बाद लगभग 15 देशों में इस भाषा को बोलते हैं। विभिन्न शहरों में इस भाषा को बोलने वाले लोग हैं। भोजपुरी में विभिन्न साहित्य की रचना हुई है.। आंकलन किया गया है कि हिन्दुस्तान के 17 करोड़ लोगों की भाषा है। दुनिया में करीब 25 करोड़ लोग भोजपुरी भाषा बोलते हैं। मारिशस,फिजी, सूरीनाम,गुआना में भोजपुरी का बहुत महत्व है। मारिशस द्वारा अपनी राजभाषा में भोजपुरी भाषा के लिखने के लिये बिल प्रस्तुत किया गया है। इसी तरह से इस भाषा-भाषी के शुरु में बाबू कुंवर सिंह आये, बाबू जगजीवन राम, देश के प्रथम राष्ट्रपति ड़ॉ राजेन्द्र प्रसाद, लोकनायक जय प्रकाश नारायण, इतिहास के विभिन्न महान नेता लोग उस इलाके से आये हैं। स्व. चन्द्रशेखर जी उस क्षेत्र के भाषा-भाषी रहे हैं। मैं सच्चाई का इज़हार करना चाहता हूं। इसका इतना समृद्ध साहित्य है कि बहुत से लोगों द्वारा लोक भाषा के रूप में भोजपुरी बोली जाती है। लगभग 8 विश्वविद्यालयों में इसकी पढ़ाई हो रही है। अभी तक इसे 8वीं अनुसूची में शामिल करने का दर्जा क्यों नहीं मिला? मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि आठवीं अनुसूची में 14 से 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, जब कि उसमें शामिल आठ भाषाओं से बोलने वालों से ज्यादा भोजपुरी भाषा बोलने वालों की है, इसे क्यों दर्जा नहीं दिया गया है? यह बताया गया कि भोजपुरी के बारे में 2003 में रिपोर्ट आयी जिसे सरकार ने अपने पास जमा कर लिया। क्या सरकार 6 साल से इस पर विचार ही कर रही है? मैं साक्षी हूं कि वर्ष 2006 में इस सदन में श्री शिवराज पाटील ने कहा था कि इसे शीघ्र शामिल किया जायेगा, मेरा सरकार से सवाल है कि शीघ्र का क्या मतलब होता है? इसी प्रकार श्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने उधर से कहा कि तुरंत होगा। मेरा सरकार से सवाल है कि शीघ्र और तुरंत का क्या मतलब है? सरकार ने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट है, फिर इसमें देरी क्यों है, जब इसे जन समर्थन है। लोग कहते हैं कि कमेटी की रिपोर्ट है तो क्या मापदंड है? क्या पैरवी और सिफारिश पर मापदंड तय होता है? राजनैतिक कारणों से होता है? इससे देश नहीं चला करता है। भाषा एक संवेदनशील मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, हम ये सब सवाल उठा रहे हैं। हम यह स्पेसिफिक सवाल उठा रहे हैं। क्या कारण है कि भोजपुरी के बारे में महापात्र कमेटी रिपोर्ट और उस पर ये सभी विभागों से वर्षों से राय ले रहे हैं? सिंध कितने लोगों की भाषा है, नेपाली हिन्दुस्तान में कितने लोगों की भाषा है? इन भाषाओं की जब दरख्वास्त आयी तब वह मंजूर होती गयी और जब भोजपुरी का सवाल आया है तो कहते हैं कि हमने जांच कमेटी बिठायी है और हम कमेटी की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श कर रहे हैं, राय नहीं आयी है, इसलिए निर्णय नहीं हुआ है। हम पूछते हैं कि जब भोजपुरी का इतना व्यापक जन समर्थन है।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : यह हिन्दी भाषा की सहायक भाषा है। इसी से हिन्दी समृद्ध होगी।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जगदम्बिका पाल।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : वह इसी से ताकतवर राष्ट्र भाषा और विश्व भाषा बनेगी।...(व्यवधान) मैं समाप्त कर रहा हूं। चौदह में आठ भाषाओं को जोड़ने में कोई छानबीन नहीं और भोजपुरी के लिए कानून, कमेटी आदि बता रहे हैं। ये बहुत बात बता रहे हैं। इसलिए मैं सवाल पूछना चाहता हूं। हम लोग मानने वाले नहीं हैं। हम जान गये हैं कि सिवाय लड़ाई के दूसरा रास्ता नहीं है। इसीलिए भीषण जनसंग्राम होगा।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जगदम्बिका पाल जी।

...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, वह संघर्ष फिर ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। इन्हीं बातों के साथ ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। आपने अपनी बात रख ली है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : उसी तरह से यहां भी भोजपुरी भाषा के लिए...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य की बात रिकॉर्ड में नहीं जायेगी।

...(व्यवधान) *

उपाध्यक्ष महोदय : जगदम्बिका जी, आप बोलिये।

---

*Not recorded.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : लड़ाई होगी, संघर्ष होगा, नहीं तो सरकार बताये कि इंसाफ कब मिलेगा? हिन्दुस्तान के और दुनिया के 25 करोड़ लोगों के लिए कब न्याय मिलेगा? नहीं तो संघर्ष के लिए तैयार हो जाये। इन्हीं बातों के साथ भोजपुरी लोक भाषा जिन्दाबाद, लोक भाषा, लोकतंत्र, लोक वेशभूषा, लोक भोजन तब मजबूत होगा। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : इस पर सरकार ध्यान दे। नहीं तो फिर संग्राम के लिए तैयार हो जाये।...(व्यवधान) राजस्थानी भाषा 2500 वर्षों की पुरानी भाषा है।...(व्यवधान) यहां पर राजकाज राजस्थानी भाषा में चलता था। यह देश में लोकप्रिय है इसलिए राजस्थानी भाषा की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। इसलिए भोजपुरी और राजस्थानी दोनों का सवाल है। नहीं तो फिर संग्राम होगा, तैयार हो जाइये।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हो गया, आप बैठ जाइये।

श्री जगदम्बिका पाल : महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं। आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से सर्वाधिक लोगों में बोली जाने वाली भोजपुरी और राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव इस सदन के समक्ष विचाराधीन है। माननीय मंत्री जी ने इस कालिंग अटैंशन का उत्तर देते हुए कहा कि आजादी के बाद या आजादी के समय केवल चौदह भाषाएं संविधान की आठवीं अनुसूची में थीं और आज चौदह के स्थान पर बाइस भाषाएं संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल हुई हैं- चाहे वह नेपाली हो, मणिपुरी हो, कोंकणी हो, सिंधी हो, बोडो हो, डोगरी हो, संथाली हो या मैथिली हो, इन भाषाओं का समावेश किया गया। इन भाषाओं को शामिल करने के लिए सम्मानित सदन स्वागत करता है, हम स्वागत करते हैं, लेकिन अगर आज यह सदन गंभीरता से सदन की भावनाओं को दृष्टिगत करे तो आज सदन में बहुमत लोगों की भावनाएं हैं कि भोजपुरी और राजस्थानी दोनों को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए। माननीय मंत्री ने एक बात कही है। माननीय मंत्री जी ने एक बात कही है कि संविधान की आठवीं अनुसूची में जो शामिल किया गया, वह परिस्थितियों और मांग के अनुसार किया गया। स्वयं माननीय मंत्री जी ने कहा है। तो पूरे सदन की मांग 14वीं लोक सभा में उठी जिसका ज़िक्र माननीय रघुवंश जी ने किया और उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री ने कहा कि हम संविधान की आठवीं अनुसूची में भोजपुरी को सिद्धांततः शामिल करने का निर्णय करते हैं, तो सरकार की कंटीन्यूटी होती है। अगर चौदहवीं लोक सभा से यह बात 15वीं लोक सभा में उठ रही है तो उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन सदन की संपत्ति हैं, सरकार की संपत्ति हैं, उस आश्वासन पर तत्कालीन गृह मंत्री के मौजूदा गृह मंत्री को आज सदन में स्पष्ट

घोषणा करनी चाहिए कि हम संविधान की आठवीं अनुसूची में भोजपुरी और राजस्थानी को शामिल करेंगे, इस बात का आश्वासन इस सदन में मिलना चाहिए।

मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि आज यह बात चाहे संजय निरुपम जी ने उठाई हो या हमने उठाई हो, यह बात सिर्फ तीन सदस्यों ने नहीं उठाई है, यह सदन के तमाम सदस्यों की भावनाएँ हैं। आज वे तमाम भाषाएँ जिनका हमने स्वागत किया है कि अगर वे सीमित दायरे में बोली जाती हैं - चाहे वह कोंकण क्षेत्र में बोली जाती हो, मैथिली क्षेत्र में बोली जाती हो, संथाल परगना क्षेत्र में बोली जाती हो, अगर उन भाषाओं को हम संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने का स्वागत कर सकते हैं तो आज भोजपुरी और राजस्थानी उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, झारंड हो या छत्तीसगढ़ हो, दिल्ली हो, मुम्बई हो, कोलकाता हो या हिन्दुस्तान के सभी राज्यों में बोली जाती है और यहाँ तक कि सूरीनाम में भी बोली जाती है, त्रिनिदाद में बोली जाती है, मारीशस में बोली जाती है, साउथ अमेरिका में बोली जाती है, कैरिबियन देशों में बोली जाती है, गुयाना में बोली जाती है और जो भाषा 18वीं-19वीं शताब्दी से देश विदेश तक चली गई, इसको आठवीं अनुसूची में शामिल करने पर कोई खर्चा नहीं आएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया संक्षेप में बोलें।

श्री जगदम्बिका पाल : कृपया सुन लीजिए,मेरा बहुत बहुमूल्य सुझाव है। मैं जानता हूँ कि सरकार का जवाब इस पर पॉज़िटिव आएगा। मैं कहता हूँ कि अभी तमाम माननीय साहित्यकारों के नाम लिए गए, कालजयी साहित्यकारों का नाम लिया। अरे! लालू यादव जी भी तो कालजयी हैं, और भी कई सदस्य इस सदन में मौजूद हैं। दारा सिंह चौहान भी उसी इलाके से हैं, सदन की पीठ पर बैठे हुए आप भी उसी इलाके से ताल्लुक रखते हैं। खुद इस पीठ की अध्यक्ष मीरा कुमार जी भी उसी इलाके से ताल्लुक रखती हैं। कम से कम सौ लोक सभा के संसद सदस्य इसी भोजपुरी बोलने वाले इलाके से जीतकर आते हैं। यह पहली बोली है, मैं इसका व्याकरण भी लेकर आया हूँ। यह संक्षिप्त भोजपुरी व्याकरण है। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन अगर यह कहा जाए कि भोजपुरी बोली है और जैसा कहा गया कि मैथिली भी बोली है। लेकिन आज वह बोली भाषा हो गई जब इसकी लिपि चलने लगी। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : संक्षेप में बोलिये।

श्री जगदम्बिका पाल : आज इसका व्याकरण भी हो गया है। हमारी इंटरनैट साइट पर पूरे भोजपुरी का व्याकरण दिया गया है। जैसे हमारे साथियों ने कहा कि 1000 साल का इस बोली कि इतिहास है या तमाम साहित्य है। अगर मारीशस में विश्व भोजपुरी सम्मेलन हो सकता है, अगर दुनिया के दूसरे मुल्कों में भोजपुरी पढ़ाई जा सकती हो, मारीशस में महात्मा गांधी एकैडमिक सोसाइटी है, अगर वहाँ पुरस्कार दिया जा सकता हो, दिल्ली

अकादमी वहाँ पुरस्कार दे रही हो, इसी तरह से मान्यवर, आज इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी में भी फाउंडेशन कोर्स चल रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कारण है कि इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी में फाउंडेशन कोर्स चल सकता है, मारीशस में कोर्स चल सकता है, हिन्दी साहित्य अकादमी से पुरस्कार मिल सकता है, लेकिन इसको व्यावहारिक रूप से और सरकारी रूप से आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है लेकिन व्यावहारिक रूप से पूरी दुनिया ने इसको अंगीकार कर लिया है, आत्मसात कर लिया है और इसको साबित कर दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें। आपने अपनी बातें रख दी हैं।

श्री जगदम्बिका पाल : मैं समाप्त कर रहा हूँ। ये हमारी भावनाएँ हैं। एक संख्या हो सकती है कि दुनिया में 25 करोड़ लोग भोजपुरी बोलते हों या राजस्थानी के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि कहाँ मारवाड़ी नहीं हैं, कहाँ राजस्थान के लोग नहीं हैं - चाहे वे बस्ती हो, डुमरियागंज हो, सिद्धार्थनगर हो। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया समाप्त करें।

श्री जगदम्बिका पाल : महोदय, अगर 22 भाषाएँ हो सकती हैं तो 24 भी हो सकती हैं। मैं माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि तत्कालीन गृह मंत्री जी ने कहा था कि हम इसको लागू करेंगे। यदि कमेटी बनाकर के, यदि कमेटी की रिपोर्ट न आती तो हम कह देते कि कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया है।...(व्यवधान) महापात्रा समिति की रिपोर्ट आ गयी। वर्ष 2003 में महापात्रा कमेटी की रिपोर्ट आई और वर्ष 2004 में कमेटी का गठन हुआ, छः साल से उस रिपोर्ट पर कौन सा विचार चल रहा है?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि छः साल से अगर किसी कमेटी की रिपोर्ट ठण्डे बस्ते में पड़ी है, तो आज कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने की घोषणा करनी चाहिए।...(व्यवधान) भोजपुरी और राजस्थान को इसमें शामिल करने की घोषणा करनी चाहिए। ...(व्यवधान)

14.46 hrs.

At this stage Shri Shailendra Kumar and Shri Bhisma Shankar alias Kushal Tiwari came and stood on the floor near the Table

उपाध्यक्ष महोदय : जो भी माननीय सदस्य स्वयं को इस बात के साथ एसोशिएट करना चाहते हैं, अपना नाम सभापटल पर भेज दें।

मंत्री जी, आप बोलिए।

...(व्यवधान)

14.47 hrs.

At this stage Shri Shailendra Kumar and Shri Bhisma Shankar alias Kushal Tiwari went back to their seats

श्री अजय माकन : उपाध्यक्ष महोदय, आप हाउस आर्डर में लाएं, मैं तो बोलने के लिए तैयार हूं।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : केवल मंत्री जी की बात ही रिकार्ड में जाएगी।

...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, आप रिप्लाई दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री अजय माकन : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा देश एक अद्भुत देश है। यहां अलग-अलग भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। हमारे देश की विविधता में ही एकता है। हमारा देश एक ऐसा गुलदस्ता है, जहां पर अलग-अलग भाषाओं की बोलियां और फूल मिलकर एक गुलदस्ता बनाते हैं। कोई भाषा किसी से कम नहीं है, कोई भाषा किसी से ज्यादा नहीं है। सभी भाषाएं हमारे देश की भाषाएं हैं और सभी भाषाएं हमारे राष्ट्र की भाषाएं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि हमारे...(व्यवधान) आप हाउस आर्डर में लाइए, मैं तभी बोल सकूंगा।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप लोग जवाब नहीं सुनना चाहते हैं, तो हम अगला आइटम ले लेंगे।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, आप बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री अजय माकन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूं। मैं बोल रहा हूं, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा है...(व्यवधान) आप हाउस आर्डर में लाएंगे, तभी कुछ बात मैं सदन में रख सकता हूं।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, क्या आपने जवाब दे दिया।

...(व्यवधान)

---

* Not recorded

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Sir, I understand the sentiments of the hon. Members. This is an important issue, particularly, the demand of Rajasthani and Bhojpuri languages to be included in the Eighth Schedule, but the scope of the Calling Attention in this House is limited.

Therefore, I respectfully submit to the hon. Members that we can have this discussion on a substantive motion as the time is not available in this current Session. We can have … (*Interruptions*) We can have a substantive discussion in the next Session because we do not take any decision under the Calling Attention. If you want to have any, then there are other Parliamentary mechanisms through which you can have the discussion. … (*Interruptions*)

श्री लालू प्रसाद (सारण): यह आप मान रहे हैं, तो शासन से कह कर इसे लागू कीजिए।...(व्यवधान)

SHRI PRANAB MUKHERJEE : Laluji, I cannot accept just at this moment. On the spur of the moment, the Government cannot accept or the Government cannot relegate. My most respectful submission is if you want to have a meaningful discussion, you can bring it in any form of substantive discussion, under Rule 193 or so, and then all the Members will have the opportunity to express or give their views. The Minister, at the end of the debate, would then be in a position to respond and articulate. Today we have spent enough time on non-issues. Limited time is now left, and it is three o'clock. There are certain other issues. Please transact some business because the House has been extended to transact certain essential Government Business. My respectful submission to all the Members would be that let the normal business be carried on.… (*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए। सिर्फ मंत्री जी की बात रिकार्ड में जाएगी।

...(व्यवधान)*

श्री अजय माकन : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले कहा है।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि जहां तक भोजपुरी और राजस्थानी भाषा का सवाल है, इन भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए सरकार विचार कर रही है। सरकार इसके ऊपर

* Not recorded

विचार कर रही है और जो भी फैसला होगा, उसे हम हाउस के अंदर बताएंगे। सरकार विचार कर रही है और सीताकांत महापात्र कमेटी रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर हम लोग विचार कर रहे हैं।

[Placed in Library, See LT No. 3098/15/10]

14.52 hrs.

(iii) DIRECT TAXES CODE, 2010*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Pranab Mukherjee to introduce the Bill.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to consolidate and amend the law relating to direct taxes.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to consolidate and amend the law relating to direct taxes."

The motion was adopted.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II Section-2 dated 30.08.2010

<u>14.53 hrs.</u>

MATTERS UNDER RULE 377*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, matters under Rule 377 shall be treated as laid on the Table of the House. Those Members who are desirous of laying their matters under Rule 377 on the Table of the House may send slips at the Table within 20 minutes. Only those matters for which slips have been received at the Table shall form part of the proceedings and rest of the matters shall be treated as lapsed.

(i) Need to set up food processing industries and cold storages in Cuddalore Parliamentary Constituency, Tamil Nadu

SHRI S. ALAGIRI (CUDDALORE): There is a scope to set up Food Processing Industries based on Banana and Cashew nut in my Parliamentary Constituency Cuddalore, Tamil Nadu. Crores of rupees, supposed to be earned from Cashew nut and Banana is being lost every year due to non-availability of Food Processing Industries and Cold Storage facilities. The Department of Food Processing Industries must explore the possibility for setting up of Food Processing Industries in the area. The Cold Storage facilities are also not available to the farmers so as to enable them to protect their foodgrains, fruits and vegetables from getting perished. Since, this Parliamentary Constituency falls under the coastal area, the sea food industries can also be set up here for which demand is increasing in the foreign countries.

I urge upon the concerned Minister to take necessary steps for setting up Food Processing Industries and Cold Storages in my Parliamentary Constituency of Cuddalore in Tamil Nadu.

---

*Treated as laid on the Table

(ii) Need to include water as a subject in Concurrent list or Union list by suitably amending the Seventh Schedule to the Constitution

SHRI RAJAIAH SIRICILLA (WARANGAL): It is well known that there is no culture without agriculture. There is no agriculture without water. Water is an important natural costliest component among all other resources. We know, we cannot create water and it is available naturally. Fortunately, India has abundant rainfall. It is about around 1000 MM per annum. There are certain countries which does not have rainfall at all i.e. close to zero. We are facing the peculiar situation wherein one part of the country is affected by drought and the other part by floods. Both are causing damage and threat to the country. As per the statistics, 10 to 15 per cent of the available water only is being utilized for the agriculture purpose and 85% to 90% available water is going into sea. But there are several disputes in inter-state or Inter-regional sharing of water. Several dispute and awards are pending at various courts and committees. It is consuming several years, man hours and court hours in settlement of the issues. It was published in journals that there will be a world war on account of want of drinking water in 2045. There are several agitations in each State for water. As such, the subject of Water Resources was kept under State list in order to inculcate interest and manage the water resources and to use it for cultivation.

Therefore, there is dire necessity to think and initiate debates and discussions on water conservation and include water as a subject in Concurrent or Union list by bringing suitable amendments in the Seventh Schedule to the Constitution.

(iii) Need to open a C.G.H.S. Dispensary in Vasundhara, Ghaziabad, Uttar Pradesh

श्री जयवंत गंगाराम आवले (लातूर): दिल्ली के पास वसुन्धरा (गाजियाबाद) क्षेत्र में एक सीजीएचएय डिस्पेंसरी खुलने के लिए सरकार द्वारा मंजूरी दी गई थी, परंतु कई प्रयासों के बाद भी आज तक वह लंबित पड़ी है। उपरोक्त कालोनी 1997-98 में निर्मित की गई थी। डिस्पेंसरी खोलने हेतु स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार को निवेदन भी किया गया था, किंतु अभी तक अपेक्षित परिणाम नहीं मिले हैं।

तेरहवीं लोक सभा की याचिका समिति ने भी 22 जुलाई, 2003 को यहां डिस्पेंसरी खोले जाने की अनुशंसा की जिस पर भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। वसुन्धरा क्षेत्र के आसपास की सारी कालोनियां इससे लाभान्वित होंगी। इस क्षेत्र में 2500 सीजीएचएय कार्ड धारक हैं जो डिस्पेंसरी के अभाव में काफी परेशान हैं। यह क्षेत्र दिन ब दिन और जनसंख्या के हिसाब से बढ़ रहा है। महोदय, उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर शीघ्र सीजीएचएस डिस्पेंसरी खोलने की शीघ्र कार्यवाही की जाये, जिसके लिए पर्याप्त स्थान भी सेक्टर 6 में उपलब्ध है।

(iv) Need to expedite completion of Alappuzha by-pass project in Kerala

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Alappuzha Bypass project, which was started in 1980s has not yet been completed even after the 30th year of its commencement. The construction works are still pending due to many reasons such as four-laning works of NH 47, land acquisition and completion of Railway Over Bridges. The National Highway Authority of India (NHAI) have connected NH 47 to the said bypass project. The bypass project is proposed through the beach side of Alappuzha and aiming to protect beach while road projects are realized. The Ministry of Road Transport and Highways had assigned one consultancy before six months for the feasibility study of constructing a two lane fly over bypass in this area. Its report is still awaited. It is clear that, if the four laning works of NH is clubbed with bypass project it will be delayed for many years. But the bypass is a necessity of the entire residents of the district and also the travellers. The one and only option for its prompt competition is that the project should be taken up by the Ministry of Road Transport and Highways apart from the other NH projects and to complete the bypass works separately. So the Government should take necessary steps to expedite the completion of this project.

(v) Need to improve the BSNL landline services in Kuttanadu Taluk of Alappuzha district, Kerala

SHRI KODIKKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): I would like to draw the kind attention of the Government regarding the deterioration in and restoration of landline telephones services in Kuttandu Taluk of Alappuzha (Kerala).

There is a severe crisis prevailing in the mofussil areas under the SSA-Alappuzha (Kerala). The services particularly pertaining to landline connections in the areas under SSA-Alappuzha are very much affected. Telephone Landlines under various telephone exchanges of Kuttandu Taluk are in precarious condition.

. The customers are surrendering their landline connections due to the poor service which is mainly because of poor circle management of Kerala Telecom circle. The immediate and necessary steps are required to be taken to win back the confidence of BSNL customers.

I, therefore, urge upon the Government to restore normalcy in landline services in Kuttanadu Taluk of Alappuzha SSA.

(vi) Need to provide financial assistance from Prime Minister's Relief Fund to the people affected due to cloudburst, torrential rains and landslides in Uttarakhand

श्री विजय बहुगुणा (टिहरी गढ़वाल): उत्तराखंड राज्य में लगातार हो रही मूसलाधार बरसात, बादल फटने तथा भूस्खलन से समस्त जनपदों में जन जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। पहाड़ी क्षेत्रों के कई स्थानों में निवासरत लोगों के घर, दुकानें, बाजार, मोटर मार्ग/सम्पर्क मार्ग तथा खेत खलिहान पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके हैं और आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं।

उत्तराखंड राज्य के जनपद उत्तरकाशी में गंगोत्री से पहले भटवाड़ी बाजार एवं गांव दैवीय आपदा की भेंट चढ़ गया। लोगों के घर, दुकानें तथा खेत सभी भू धंसाव से नष्ट हो गए। ऐसी घटनाएं राज्य के अन्य कई जनपदों में भी हुई हैं।

जिनके मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं राज्य सरकार द्वारा उन्हें मात्र रू0 2000/- तथा जिनके मकान पूर्ण रूप से ध्वस्त हुए हैं, उन्हें मात्र रू0 35,000/- की सहायता राशि प्रदान की जा रही है जो कि बहुत ही कम है। इस धनराशि से किसी भी मकान की मरम्मत तथा निर्माण असंभव है। जिनकी दुकानें नष्ट हो गईं उन्हें किसी भी प्रकार की सहायता राशि प्रदान नहीं की जा रही है।

उत्तराखंड सरकार से अनुरोध करने के बाद भी पीड़ितों को दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाने हेतु अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है।

मेरा प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि उत्तराखंड में आपदा से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों को देखते हुए जिन लोगों के मकान व दुकानें ध्वस्त हो गई हैं तथा खेत कट गये हैं, उन्हें जम्मू कश्मीर में लेह की भांति प्रधानमंत्री राहत कोष से राज्य सरकार से सूची मंगा कर तत्काल सहायता राशि प्रदान कराने की कृपा करें।

(vii) Need to take steps to check illegal immigration of Bangladeshi nationals into the country

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ की समस्या आज केवल भारत-बांग्लादेश सीमा तक ही सीमित नहीं रही है। देश के विभिन्न भागों में इनकी राष्ट्रविरोधी गतिविधियां न केवल कानून व्यवस्था की दृष्टि से अपितु अन्य दृष्टि से भी सबकी चिंता का विषय बन गई है। आज पूरे देश में लगभग ढाई करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए अवैध तरीके से रह रहे हैं। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों तथा पश्चिम बंगाल और बिहार में इन घुसपैठियों ने जन-सांख्यिकी संतुलन ही बिगाड़ दिया है। इन अवैध घुसपैठियों ने अपने नाम मतदाता सूचियों में दर्ज करा लिए हैं तथा राशनकार्ड भी बनवा लिए हैं। आज पूरे देश में 20 लोक सभा क्षेत्रों तथा लगभग 125 विधान सभा क्षेत्रों में ये घुसपैठिए चुनाव परिणाम को प्रभावित करने वाली स्थिति में आ गए हैं। राजधानी दिल्ली में भी इनकी संख्या लाखों में है, जो आए दिन कानून व्यवस्था के लिए समस्या बनते जा रहे हैं। विभिन्न अपरोधों तथा राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में अनेक बांग्लादेशियों के समूह लिप्त पाए गए हैं।

कृपया माननीय गृहमंत्री जी से यह मांग है कि राष्ट्रविरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने तथा बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजने के संबंध में सरकार उचित कदम उठाये।

(viii) Need to review the proposal of widening of N.H. 4-A in Goa keeping in view the interest of large number of residential and commercial establishments facing dislocation

श्री श्रीपाद येसो नाईक (उत्तर गोवा): गोवा स्थित एन.एच.-4 तथा एन.एच.-17 राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने के लिए सरकार द्वारा नये राजमार्ग एन.एच.-4ए का चौड़ाईकरण करने का निर्णय लिया गया है। इसका मोलेम से पणजी तक का सर्वे आदि भी किया गया है। यह सर्वे करने से पहले अथॉरिटी ने राज्य सरकार अथवा अन्य किसी भी सरकारी एजेंसी को जानकारी में नहीं रखा। पूर्व में इस राजमार्ग की चैड़ाई 45 मीटर रखने का प्रस्ताव था जिसके कारण फोंडा से पणजी तक के सैंकड़ों मकान, दुकान, मंदिर, मस्जिद, गिरिजाघर आदि टूटने के कगार पर आ गये थे। किंतु, सरकार ने अब इसकी चौड़ाई 45 मीटर से बढ़ाकर 60 मीटर करने का निर्णय लिया है। सरकार के इस निर्णय से इस क्षेत्र के हजारों मकानों के टूटने की संभावना है तथा लोगों के बेघर होने की संभावना है, जिससे क्षेत्र के लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है।

इस राजमार्ग के बनने से हजारों लोगों के बेघर होने की संभावना को देखते हुए मेरा सरकार से अनुरोध है कि उक्त दोनों राजमार्गों को जोड़ने के लिए जो राजमार्ग एन.एच.-4ए का चौड़ाईकरण किया जा रहा है उसके लिए किसी अन्य विकल्प पर विचार किया जाये जैसे फोंडा सिटी आने से पहले ही फोंडा से वेर्णा तक नया रास्ता बनाकर उक्त दोनों राजमार्गों को जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा भी कई अन्य विकल्प मौजूद हैं।

अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि प्रदेश के लोगों की भावनाओं को देखते हुए राजमार्ग बनाने के कार्य को तुरंत रोक कर अन्य विकल्प पर विचार कर उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग एन.एच.-4ए का चौड़ाईकरण किया जाये।

(ix) Need to open Central Government & Railway Hospitals in Jalore and Sirohi districts of Rajasthan and provide adequate funds for the upgradation of the medical facilities in the region

श्री देवजी एम. पटेल (जालौर): मेरे संसदीय क्षेत्र जालोर सिरोही (राजस्थान) के अंतर्गत स्थानीय, तहसील एवं जिला स्तर पर अस्पतालों की स्थिति अत्यंत खराब है। अत्याधुनिक सुविधाओं, उपकरणों, ब्लड बैंक इत्यादि का ठीक प्रबंध नहीं है। क्षेत्र की जनता का स्वास्थ्य खराब होने पर 200 से 300 कि0मी0 यात्रा तय कर जोधपुर, अहमदाबाद, मुम्बई इत्यादि स्थानों पर इलाज हेतु जाना पड़ता है। गरीब जनता के पास पैसे का अभाव होता है, जिसके कारण इतने रूपये खर्च कर तथा अधिक दूरी होने के कारण वे इलाज नहीं करा पाते हैं। फलस्वरूप अनहोनी घटनाएं घटित होती रहती हैं।

अतः सदन के माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध है कि जालोर एवं सिरोही जिलों में स्थानीय, तहसील एवं जिला स्तर के अस्पतालों में अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध कराने हेतु धन मुहैया कराने का कष्ट करें। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय या रेलवे अस्पताल को इस क्षेत्र में खोला जाये ताकि वहां की जनता इससे लाभान्वित हो सके।

(x) Need to shift Bauxite Dumping Yard from residential area in Lohardaga Parliamentary Constituency, Jharkhand

श्री सुदर्शन भगत (लोहरदगा): मेरे संसदीय क्षेत्र लोहरदगा अंतर्गत बाक्साईट का डम्पिंग यार्ड है, जिससे क्षेत्र की जनता के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। यह डम्पिंग यार्ड एक निजी खनन कम्पनी का है। इस डम्पिंग यार्ड के मेरे लोक सभा क्षेत्र लोहरदगा शहर के बीचोंबीच होने के कारण लगातार खुदाई होने से क्षेत्र में पीने के पानी हेतु जलस्तर में काफी गिरावट आई है तथा शहर में पेयजल की समस्या उत्पन्न होनी शुरू हो गई है। इस डम्पिंग यार्ड के कारण शहर में धूल के कण फैलने के साथ साथ ध्वनि और वायु प्रदूषण की मात्रा काफी बढ़ गई है और क्षेत्र की जनता की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में भी बढ़ोत्तरी हुई है। इस डम्पिंग यार्ड के कारण क्षेत्र में सुबह से शाम तक भारी वाहनों का आवागमन जारी रहता है, जिसके कारण क्षेत्र में गंभीर दुर्घटना तथा जाम की समस्या आम हो गई है। आज इस डम्पिंग यार्ड के कारण क्षेत्र में आम जनता का जीना दूभर हो चुका है। मैं पहले भी अपने स्तर पर काफी बार इसको स्थानांतरित करने हेतु आग्रह कर चुका हूं। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए इसको शहर से दूर स्थानांतरित करने हेतु यथाशीघ्र उचित कार्रवाई करने का कष्ट करें।

(xi) Need to review the proposed setting up of sewage treatment plant at Sathawan, Varanasi, Uttar Pradesh keeping in view its potential adverse impact on the ecology of the area

श्री रामकिशुन (चन्दौली): उत्तर प्रदेश के जनपद वाराणसी स्थित सथवाँ सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण के लिए आसपास के आधा दर्जन से ज्यादा गांवों के किसानों की उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, जिससे वहां के किसानों में आक्रोश व्याप्त हो गया है और वे बड़े पैमान पर आंदोलन और प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रस्तावित सथवाँ ट्रीटमेंट प्लांट के आसपास ही सारनाथ बौद्ध धर्म की स्थली तथा कई राष्ट्रीय स्मारक व संग्रहालय स्थित हैं जहां पर प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में बौद्ध भिक्षुक एवं विदेशी पर्यटक आते रहते हैं। इसी सथवाँ के पास मुन्शी प्रेमचंद राष्ट्रीय साहित्यकार की जन्मस्थली भी है, जिसका सौन्दर्यीकरण किया जा रहा है। मुंशी प्रेमचंद जी की जन्मस्थली पर प्रतिवर्ष देश के महान साहित्यकार एवं रचनाकार घूमने के लिए आते हैं। यहां का पर्यावरण काफी शुद्ध व पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत ही सुंदर है। जनपद वाराणसी के दीनापुर में पहले से ही एक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है जो कार्यरत है। इस सीवर प्लांट के लगाये जाने से निकलने वाले पानी को सिंचाई के लिए उपलब्ध कराये जाने से फसल के उत्पादन तथा फल-सब्जियों पर बड़े पैमाने पर प्रतिकूल असर पड़ता है। उन सब्जियों और फलों को खाने से जनता में कई गंभीर बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। इस प्लांट के लगने से आसपास के क्षेत्र में दूषित पानी लोगों को पीने के लिए मिल रहा है। भूजल में बड़े पैमाने पर पानी दूषित हो रहा है। सीवर के निर्माण से कई प्रकार की गंदगियां, बीमारियां तथा बड़े पैमाने पर मच्छर-मक्खियों की संख्या असपास के क्षेत्र में बढ़ रही है, जिससे आसपास के रहने वाले लोगों के जीवन को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। जिसका विरोध यहां के नागरिकों द्वारा किया गया, जिससे सीवर प्लांट का पानी सिंचाई के लिए बंद कर दिया गया परन्तु पर्यावरण अभी भी दूषित हो रहा है। यदि सथवाँ सीवर प्लांट को लगाया गया तो यहां के लोगों के जीवन स्तर पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, खेती बर्बाद हो जायेगी तथा यहां के लोगों को तरह-तहर की बीमारियों से गुजरना पड़ेगा।

अतः सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त विषम स्थिति एवं जनता के हित को देखते हुए सथवाँ सीवर प्लांट के लिए की जा रही किसानों की सैंकड़ों हैक्टेयर उपजाऊ और कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण न किया जाये। प्रस्तावित सीवर ट्रीटमेंट प्लांट को ऐसे स्थान पर लगाया जाये जो ऊसर एवं बंजर हो तथा घनी आबादी से दूर हो।

(xii) Need to set up training institutes for carpet weaving in Bhadohi, Uttar Pradesh and look into the problems being faced by carpet exporters

श्री गोरखनाथ पाण्डेय (भदोही): मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि देश में कालीन का व्यवसाय वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण प्रभावित हुआ है। किंतु, इधर विश्व में कालीन की मांग बढ़ी है। मेरा संसदीय क्षेत्र भदोही कालीन व्यवसाय में अग्रणी रहा है। किंतु, मैं इसकी कुछ समस्याओं की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि इस उद्योग में कुटीर उद्योग के रूप में गांव में बुनकर अपने परिवार के साथ कालीन बनाते थे। बाल श्रमिकों की समस्या के कारण उन्होंने अपने बच्चों को बुनाई सिखाना बंद कर दिया, जिससे करोड़ों रूपये के कालीन का निर्यात नहीं किया जा रहा है।

अतः इस उद्योग में अच्छे व प्रशिक्षित कारीगर लाने के लिए सरकार प्रशिक्षण केन्द खोलकर युवाओं व महिलाओं को प्रशिक्षित कराने का कष्ट करें। इसके अलावा कालीन निर्यात से 500 करोड़ से अधिक रूपये विदेशों में फंस गया है और निर्यातकों को भुगतान में विलम्ब हो रहा है। अतः उधार माल की बिक्री पर रोक लगाकर वर्ष 2002 की नीति के अनुसार उधार निर्यात पर रोक लगाया जाये और निर्यात केवल बैंक गारंटी के बाद ही दिया जाये। हम सरकार से मांग करते हैं।

(xiii) Need to open a Kendriya Vidyalaya in Supaul Parliamentary Constituency, Bihar

श्री विश्व मोहन कुमार (सुपौल): माननीया अध्यक्षा जी के माध्यम से माननीय मानव संसाधन मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र सुपौल के जन मानस की चिर-परिचित मांग केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए आग्रह करना चाहता हूं कि नेपाल सीमा से लगे मेरे संसदीय क्षेत्र सुपौल के अंतर्गत सुपौल एवं मधेपुरा जिला आता है। यहां बेहतर शिक्षा हेतु केन्द्र प्रायोजित एक भी विद्यालय नहीं है, जिसके कारण मेधावी एवं ग्रामीण अंचल के गरीब, असहाय, छात्रों को शिक्षा से वंचित रहना पड़ता है। मेरे संसदीय क्षेत्र में केन्द्र सरकार के कई प्रतिष्ठान, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय के कार्यालय भी हैं, जिसमें कार्यरत कर्मचारियों के सैंकड़ों बच्चे प्रतिवर्ष बेहतर शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। जबकि ऐसी जगहों पर बहुत पहले से ही केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए थी।

अतः माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि सुपौल में शीघ्र केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु पहल करें, जिससे कि उत्तम शिक्षा लोगों को मिल सके एवं मैं भी अपने अधिकार का उपयोग कर क्षेत्र के दो बच्चों का नामांकन विद्यालय में कराकर उत्तम शिक्षा दिला सकूं।

(xiv) Need to shift the toll gate centre near Collectorate Office in Krishnagiri district, Tamil Nadu to a place outside the city limits

SHRI E.G. SUGAVANAM (KRISHNAGIRI): Madam, in my Krishnagiri District in Tamil Nadu many large, medium and small industries are located. Industries of various kinds such as electrical, electronic, automobile, mechanical, iron and steel are flourishing here which are providing employment to a large number of people.

However, the people of the district are facing problems as they have to pay toll tax even for travelling within the town. In Krishnagiri district, toll gate is situated near the Collectorate office on NH 47. If one has to go to Collectorate Office from the town, first he has to cross the toll gate by paying the toll tax. Large number of offices are situated there and people going to Bangalore from Tamil Nadu, are using this toll gate only. It fetches huge revenue than any other toll gate in the State. As the toll gate is close to the town limit, people are often forced to pay toll tax which results in frequent tussle with the authorities. As a result, the poor agriculturists whose lands are situated beyond the toll gate, traders, students and local of people have to cross the toll gates several times for one reason or the other suffer.

I, therefore, urge upon Hon'ble Minister of Road Transport and Highways to direct the authorities for shifting the toll gate from near Collectorate office, Krishnagiri to a place far beyond the town limit.

(xv) Need to declare Thrissur in Kerala as a Heritage district

SHRI P.K. BIJU (ALATHUR): Thrissur occupies an important place in the history and culture of Kerala and is known as the Cultural Capital of the State. From very early times, Thrissur became an important centre of Sanskrit learning. The great Sankara Acharya had taught Advaita here.

The history of Thrissur district since 12th century has seen the rise and growth of Perumpadappu Swarupam. The 14th and 15th centuries constituted a period of aggressive wars in the course of which the Zamorins of Calicut acquired a large part of the present Thrissur district. In the subsequent centuries the Portuguese dominated the scene. Later European powers like the Dutch and the English came on the scene. From the very beginning, Thrissur was in the fore front of the national movement. The famous Guruvayur Satyagraha is a memorable episode in the history of the National Movement. The present Trichur District was carved out of a bigger district of the same name on 1st April, 1958.

Kerala's architecture has grown here also and the temple features low, tiled roofs, an abundance of wood work, and the famous 'Koothambalam' or theatre hall with sloping roofs of metal plates within which is performed the dramatic art from 'Chakiarkoothu'. The famous Kerala Kalamandiram, Cheruthuruthi, founded by the late poet Vallathol Naryana Menon, is in Trichur district and is an approved Deemed University. It is a centre of performing arts, specifically significant to Kerala culture. The Kerala Sahitya academy and Kerala Sangeetha Nadaka Akademi are situated in Trichur district.

I urge upon the Government to declare Thrissur as a heritage district.

(xvi) Need to set up a Steel Plant of SAIL in Keonjhar, Orissa

श्री यशवंत लागुरी (क्योंझर): सेल भारत में स्टील का उत्पादन करता है एवं यहां उत्पादन के लिए कच्चे माल की आपूर्ति उड़ीसा के क्योंझर, सुन्दरगढ़ एवं झारखंड के सिंहभूम जिलों से होती है जिसमें क्योंझर से 70 प्रतिशत आपूर्ति होती है। खेद की बात है कि जहां से कच्चा माल निकलता हे वहां पर सेल ने अभी तक कोई प्लांट नहीं लगाया है जबकि कच्चे माल की प्राप्ति से बहुत दूर दुर्गापुर, राउरकेला, विशाखापट्टनम में स्टील प्लांट लगाये गये हैं, जिसके कारण कच्चा माल प्राप्त कर इन प्लांटों में ले जाने के लिए यातायात की बहुत लागत आती है और इनके माल ले जाने के लिए प्रदूषण भी फैलता है। सेल स्टील के उत्पादन को दुगुना करने का विचार कर रही है। अगर क्योझर में यह प्लांट लग जाये तो कच्चे माल के ले जाने में यातायात लागत और इससे होने वाले प्रदूषण से बचा जा सकता है। इस क्षेत्र के आदिवासी लोगों में व्याप्त बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। उक्त प्लांट को लगाने के लिए यहां पर प्लांट लगाने की सारी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। सड़क है, रेल मार्ग है, पानी की व्यवस्था है।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध हे कि क्योंझर में इस्पात आधारित उद्योग लगाने के लिए सेल शीघ्र कार्यवाही करें।

(xvii) Need to expedite rural electrification work under Rajiv Gandhi Gramin Vidyutikaran Yojana in Jaynagar Parliamentary Constituency, West Bengal.

DR. TARUN MANDAL (JAYNAGAR): Rajiv Gandhi Gramin Vidyutikaran Yojana has met with a limited success in my constituency, Jaynagar under South 24-Parganas district of West Bengal. While it was promised to complete the work of rural electrification by the year 2010, merely 40% of the target has been reached till date. Paucity of pillars, wires, transformers and other accessories are hindering works. I have learnt that more than Rs. 13,000 crores under the scheme remain unspent with the State Government.

As inconvenience caused to the people due to lack of electricity in this backward Sunderban area are immense, I shall request concerned Ministries of Government of India to take up the matter with State Government of West Bengal and speed up the work of rural electrification.

14.54 hrs.

GOVERNMENT BILLS - DEFERRED

(i) ENEMY PROPERTY (AMENDMENT AND VALIDATION BILL, 2010
(ii) ORISSA (ALTERATION OF NAME) BILL, 2010
(iii) CONSTITUTION(ONE HUNDRED AND THIRTEENTH AMENDMENT) BILL, 2010
(Amendment of Eighth Schedule) - DEFERRED

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House shall now take up Item No. 13. I call the Minister now.

… (*Interruptions*)

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): उपाध्यक्ष महोदय, आइटम नम्बर 10 का क्या हुआ?

उपाध्यक्ष महोदय: कल इसका जवाब नहीं हुआ था, इसलिए आज मंत्री जी उसका जवाब दे रहे हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज : आइटम नम्बर दस में जो शत्रु संपत्ति विधेयक लगा हुआ है, उसका क्या हुआ? क्रम से आइटम नम्बर दस लेना चाहिए।

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): Madam, I will respond to that.

Mr. Deputy-Speaker, Sir, this morning, the House is aware that some hon. Members raised some issues regarding the continuation of the discussion on the Enemy Property (Amendment and Validation) Act and the House had to be adjourned. This Act, of course, is a 1968 Act. The circumstances under which an Ordinance was promulgated is well-known to the hon. Members. It is stated in the Memorandum accompanying the Ordinance. After the Ordinance was promulgated and a Bill was introduced, some concerns were raised. We had extensive discussions. I can say without fear of contradiction that we had extensive discussions with many, many leaders and many Members of the House and some official amendments were introduced. This morning, after the House was adjourned, it was represented that Members would require more time to study the Ordinance along with the official amendments. Let me formulate their position. They say they want more time to study the Ordinance along with the official amendments and, therefore, they can take a more comprehensive view. After discussions we think that this is a reasonable request.

Therefore, my submission to the House is that we will bring a fresh Bill incorporating the official amendments in the Bill in the next Session, and in the meanwhile whatever legal steps have to be taken will be taken by the Government.

श्रीमती सुषमा स्वराज : सर, मुझे इस पर कुछ कहना है।

उपाध्यक्ष जी, हमारे यहां जब से स्टेंडिंग कमेटियों का गठन हुआ है, तब से यह नियम और परम्परा बन गई है कि हर नया बिल जब प्रस्तुत किया जाता है या पुराने बिल में कोई संशोधन प्रस्तुत किया जाता है तो उस बिल को स्टेंडिंग कमेटी को भेजा जाता है। एकमात्र अपवाद इसमें है, जब अध्यादेश को बिल बनाने के लिए परिवर्तित किया जाता है। इस बार भी यह बिल एनिमी प्रोपर्टी बिल, शत्रु सम्पत्ति विधेयक अध्यादेश के रूप में आया था और अध्यादेश को बिल के रूप में बदलने के लिए आप यहां आये थे, इसलिए हमने यह आग्रह नहीं किया था कि यह बिल स्टेंडिंग कमेटी को जाये। हमने कहा था कि आप जब बिल लेकर के आएंगे, हम अपनी बात वहां रखेंगे और उसके बाद इस बिल को हम मूल रूप में पारित करने के लिए तैयार थे, लेकिन इसके साथ ही सरकारी तौर पर कुछ एमेंडमेंट, कुछ सरकारी संशोधन प्रस्तुत कर दिये गये और वे संशोधन बिल के मूल चरित्र को ही बदल रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने यह कहा कि हम इस बिल को संशोधन के साथ पारित नहीं करेंगे।

आज जो बात आपने कही है, उसमें एक चक्र है, उसमें एक कैच है। मैं वह कैच आपसे पूछना चाहती हूं। आप यह चाहते हैं कि लोग ज्यादा समय इन संशोधनों पर चर्चा करें, इसलिए यह बिल नया बन गया है तो इन संशोधनों के साथ आप एक बिल स्टेंडिंग कमेटी को रैफर कर रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि आप विंटर सैशन में बिल लाएंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे कि इस अध्यादेश को लैप्स होने देकर एक नया आर्डिनेंस इन्हीं संशोधनों के लिए रीप्रोमलगेट कर रहे हैं। अगर आप वह कर रहे हैं तो हम उसका विरोध करेंगे। वह आपकी नीयत का खोट है, आपकी नीयत में खोट है। इसलिए मैं कहना चाहती हूं, मंत्री महोदय सीधा-सीधा बतायें, अगर आप यह चाहते हैं, आपको कुछ सदस्यों ने यह कहा है कि वह बिल के साथ जो संशोधन आपने दिये हैं, उन पर ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो एक ही तरीका है कि इस बिल को संशोधनों के साथ आप स्टेंडिंग कमेटी को रैफर कर दीजिए। वहां इन संशोधनों की कानूनी जांच भी हो जायेगी और इस पर विस्तृत चर्चा भी हो जायेगी। अगर संशोधनों के साथ बिल...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया चुप हो जायें, शान्त रहें।

श्रीमती सुषमा स्वराज : अगर संशोधनों के साथ संशोधित नया बिल स्टेंडिंग कमेटी को जाता है तो हम आपके साथ हैं, क्योंकि स्टेंडिंग कमेटी में इसके कानूनी पहलुओं की चर्चा भी होगी, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी सुनवाई भी होगी और हमें भी अपनी पूरी बात कहने का मौका मिलेगा। स्टेंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के बाद जब

बिल आयेगा, जिस भी रूप में आयेगा, हम अपनी बात रखेंगे। अगर आप स्टेंडिंग कमेटी को इन संशोधनों के साथ बिल भेज रहे हैं, जो आपने कहा है कि लोग ज्यादा समय चाहते हैं तो ज्यादा समय स्टेंडिंग कमेटी में मिल जायेगा। लेकिन आपका कैच तब आया, जब आपने कहा कि हम नया बिल शीतकालीन सत्र में लाएंगे, विंटर सैशन में लाएंगे तो बीच में क्या करेंगे? बीच में अगर आप इसे संशोधनों के साथ या इससे भी खराब संशोधनों के साथ कोई आर्डिनेंस रीप्रोमलगेट करना चाहते हैं और नया अध्यादेश लाना चाहते हैं तो यह आपकी नीयत में खोट झलकता है और मैं यहां कहना चाहती हूं कि हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। आप खुलकर बताइये कि आपकी मंशा क्या है?...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): उपाध्यक्ष महोदय, इस पर हम एतराज करते हैं। शत्रु सम्पत्ति नाम बदलकर इवैक्वी प्रोपर्टी एक्ट इसका नाम होना चाहिए। शत्रु सम्पत्ति अतार्किक और गलत नाम है, उसको बदल दिया जाये और इवैक्वी प्रोपर्टी उसको नाम दिया जाये।...(व्यवधान)

15.00 hrs.

SHRI P. CHIDAMBARAM : With great respect, there is no need to widen the debate now. I take note of the issues raised by the hon. Leader of the Opposition. I have great respect for her views. Legislations is proposed by Government – when hon. Members point out that they want more time to study the legislation, we think, it is reasonable. Therefore, we would bring forward, as I said, a Bill that incorporates these official amendments, which have been discussed extensively, in the manner in which consultations take place outside the House with Leaders of Parties. So, there is nothing new about it. There is nothing surreptitious about it. We discussed with everybody. Now, what should be done between now and the time when we are able to bring a new Bill incorporating amendments is a matter which the Government would consider, and certainly, we would keep in mind whatever the Leader of the Opposition said but I do not have to answer, I submit with respect, hypothetical issues. … (*Interruptions*)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): जो बात गृहमंत्री जी ने अभी कही, उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि स्टैंडिंग कमेटीज के बनने के बाद यह एक परम्परा बनी हुयी है कि जब कोई भी नया विधेयक आता है और विशेषकर ऐसा विधेयक जो महत्वपूर्ण है, जिसमें दो मत हो सकते हैं, तो अनिवार्य रूप से वह स्टैंडिंग कमेटी को जाता है। इसी कारण इसको स्टैंडिंग कमेटी के पास नहीं भेजा था, लेकिन आपने जो बात अभी कही, उससे लगता है कि अभी का जो आर्डिनेंस है, उसको तो लैप्स करने देना चाहते हैं, क्योंकि यह सभी को पता है कि अगर विधेयक नहीं आएगा, तो यह लैप्स हो जाएगा। लैप्स हो जाएगा, तो उसके बाद क्या करेंगे, यह हम नहीं जानते हैं, इसीलिए यह सवाल पूछा गया था कि क्या आप ये जो संशोधन किए गए हैं, उस स्वरूप में फिर से आर्डिनेंस लाने वाले हैं। If you do not reply to this, it only shows that the Government is determined to see that the law relating to this does not go to the Standing Committee. This is not right. Therefore, that she asked you very specifically, do you intend to bring this – because for all practical purposes, these amendments that you have proposed now undo the Ordinance, practically, and I am surprised because I was told that in this case, it was not only the *Rashtrapati* issuing a formal Ordinance but she, the people who met her, she discussed the matter with them also, and she said that this is the right Ordinance – I am sorry, I do not want to refer to that – but basically, I feel that this would be the first time, an Ordinance has been brought and the Bill to replace it is not being moved and basic amendments which change the nature of the Ordinance was being moved but now you don't propose move even that. I wish you come out clearly what do you intend to do.

SHRI P. CHIDAMBARAM: I think, we are looking for ghost where none reside actually. The point is, there was an Ordinance. Official amendments have been proposed after extensive consultation with every Leader of the House of different parties. Now, some leaders say, they want more time to look at it. What is unreasonable about it? In the meanwhile, what needs to be done, Government would reflect on what needs to be done and will take whatever steps need to be done in the meanwhile. Therefore, I do not think there is any need to harbour any suspicion or ill-will. We will come back to this House with whatever we have to bring to the House. … (*Interruptions*)

श्री लालजी टण्डन (लखनऊ): उपाध्यक्ष महोदय, 25 हजार करोड़ की संपत्ति है। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह हो गया।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इसका कोई निर्णय तो नहीं हुआ न।

...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): इस पर बहस नहीं हो रही है। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जब बहस होगी, तब आप अपनी बात कहिएगा।

श्री पवन कुमार बंसल : अभी इस पर चर्चा नहीं हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : जब इस पर बहस होगी, तब बोलिएगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जब बहस होगी, तब बोलिएगा। अभी तो बिल ही नहीं आ रहा है, बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): उपाध्यक्ष जी, अगर यह बोलेंगे, तो इधर से भी बोला जाएगा। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : अगर उधर से बोलेंगे तो इधर से भी बोलेंगे। आप हमें भी समय दीजिएगा। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कोई नहीं बोलेगा। आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री लालजी टण्डन : मान्यवर, आप मेरी बात सुन लीजिए।...(व्यवधान)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Leader of the Opposition and Shri Advani ji have both expressed their views. Let us move forward now. … (*Interruptions*)

श्री शैलेन्द्र कुमार : इनके बोलने के बाद हमें भी बोलने का मौका दीजिए। ...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, फिर वही शुरू हो जाएगा।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जब बिल नहीं आ रहा है तो उस पर बोलने की क्या जरूरत है। जब बिल आएगा तब हम बात करेंगे।

…(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: I have to make a submission regarding Item Nos.11 and 12 – those which are listed here regarding change in the name of the State and the language. Some hon. Members from Orissa had represented that there is a rethink on this matter on their part. Itwas, in fact, required that we should put it off for the time being. Therefore, we decided that we would take it up in the next Session. Therefore, I request that we may go to item No.13.

15.06 hrs.

DISCUSSIONS UNDER RULE 193

(ii) Flood and Drought Situation in the Country – Contd.

***श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगांव):** आज सूखा एवं बाढ़ से हमारे देश के कई हिस्से तबाह हो रहे हैं । लेकिन इसे रोकने के लिए हमारी सरकार गंभीर नहीं है । मैं पूछना चाहता हूँ कि केन्द्रीय जांच आयोग द्वारा 33 साल पहले बनाया गया बिल अभी तक विभिन्न राज्य सरकारों के सामने पास होने के लिए पड़ा हुआ है । यह बिल केन्द्रीय जांच आयोग ने 1975 में राज्य सरकारों के पास भेजा गया था । अगर यह बिल उस समय पास हो जाता तो आयोग को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को हटाने से लेकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का मुआयना, प्रभावित लोगों को मुआवजा, बाढ़ संभावित क्षेत्र में बसावट की नीति बनाने का अधिकार मिल जाता । जिससे कि बाढ़ की विभीषिका से बचा जा सकता था ।

मुझे लगता है नदियों के उद्गम स्थल पर बारिश न रूकी तो गंगा - यमुना के मैदान ही नहीं बल्कि ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र भी बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं । आज हम देख रहे हैं कि लगभग आधा दर्जन बड़ी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं । वहीं हम देखें तो दूसरी और नदियों के तटीय निचले हिस्सों में बाढ़ आ गई है । और तो और इन नदियों पर बने बैराज के फाटक खोलने से कई शहरों के निचले हिस्सों में पानी भर गया है । पहले सुखा और अब बाढ़ जैसी आपदा से खेती चौपट होने का खतरा है ।

गंगा की ज्यादातर सहायक नदियाँ खतरे के निशान के आसपास बह रही हैं । आज हम देख रहे हैं हर राज्य में हो रही लगातार बरसात से नदियों के उद्गम स्थल पर ही बाढ़ की स्थितियां पैदा हो गई हैं । इसमें कई राज्यों की स्थिति तो और भी चिंताजनक है । यह बारिश का सिलसिला अभी भी रूका नहीं है । गंगा जैसी कई प्रमुख नदियाँ खतरे के निशान को छूने लगी हैं । इन नदियों के किनारे के शहर, बस्ती में रहने वाले लोग तथा खेत पानी में डूबने लगे हैं ।

मै ंआपको बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड में यमुना अपने उद्गम स्थल से ही लबालब बह रही है । उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरपुर, हरियाणा में यमुनानगर और देश की राजधानी दिल्ली में यमुना ने खतरे का निशान पार कर लिया है । हरियाणा के ताजेवाला बैराज में पानी अधिक होने के कारण फाटक खोल दिए गए हैं । इससे यमुना के किनारे बसे छोटे-बड़े कस्बों और गॉवों में पानी घुस गया हे । राजधानी दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी भर गया है ।

---

*Speech was laid on the Table.

मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा कि देश के विभिन्न भागों में बाढ़ से प्रभावित राज्यों को तुरंत मुआवजा दिया जाए । हमारी सरकार सिर्फ बोलती है कि मुआवजा दिया जायेगा परंतु वो भी हमारी सरकार समय पर नहीं दे पा रही है इसके क्या कारण हैं ?

मैं बताना चाहूंगा कि हमारे देश में आज भी कृषि प्रमुखतः 68 प्रतिशत वर्षा जल पर निर्भर है, इसके बावजूद भूजल व सतही जल के अत्याधिक दोहन और ग्लोबल वार्मिंग से बदली परिस्थितियों ने देशभर में सूखे के दायरे को और व्यापक बनाया है । मैं आपको बताना चाहूंगा कि सूखे से बदहाल राज्यों के कई जिलों को अब बाढ़ ने घेर लिया है । किसानों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं । फसल नष्ट होने के साथ ही उनके सामने रोजगार का संकट पैदा हो गया हे । एक बार फिर रोजगार की तलाश में पलायन का सिलसिला शुरू हो गया हे । हम देख रहे हैं सैंकड़ों की तादाद में विभिन्न राज्यों के विशेषतः विदर्भ में किसानों की हालत हम सभी जानते हैं साथ ही मराठवाड़ा के गरीब किसान जो इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं उनके तुरंत सरकार द्वारा मुआवजा देना चाहिए पर हमारी सरकार वह भी समय पर नहीं दे रही है । मैं पूछना चाहता हूँ कि सरकार इसमें भी देरी कर किसानों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है क्यों ?

मुझे लगता है कि सूखा अकाल के इस मौसम ने बेपटरी आपदा प्रबंधन की पोल खोल दी हे । न कहीं कोई मानिटरिंग की व्यवस्था और न ही इंटरनल ऑडिट । स्थिति निंदनीय है कि आपदा का पैसा कैसे खर्च हो रहा है, कहाँ-कहाँ खर्च हो रहा है, इसकी जानकारी स्वयं आपदा प्रबंधन विभाग को ही नहीं है । नतीजतन राहत के लिए तत्काल जरूरी पूर्व में केन्द्र ने राहत पुनर्वास के लिए आवंटित धन 400 करोड़ रुपये के आवंटन पर ही ग्रहण लग गया है ।

सूखा अकाल से लोग मौत के मुंह में पहुंच रहे हैं । पिछले पांच वर्षों में आपदा राहत कोष के करीब 28 करोड़ रुपये विभिन्न ट्रेजरी से निकाल लिए गए, लेकिन यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि खर्च का विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया गया है मैं पूछता हूँ सरकार इस संबंध में क्या कर रही है ?

विभागीय आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2004-05 में 21.88 करोड़ रुपये की निकासी हुई, जिसका डीसी बिल जमा नहीं किया गया । इसी तरह वर्ष 2005-06 में 5.32 करोड़, 2006-07 में 47 लाख, 2007-08 में निकाले गए 23 लाख रुपये का कोई हिसाब-किताब विभाग के पास नहीं है ।

वर्तमान समय को देखते हुए अधिकांश राजनैतिक दल सुखाड़ राहत के लिए सर्वदलीय कमेटी बनाने की मांग कर रहे हैं । इस दिशा में भी मुझे लगता है कोई प्रयास शुरू नहीं हुआ है । दिनों दिन स्थिति और बिगड़ती जा रही है । सूखे के मद्देनजर सरकार कृषि, खाद्य आपूर्ति, ग्रामीण विकास जैसे मसलों पर स्वयं को केंद्रीत रखी हुई है फिर भी इन मदों में बजटीय प्रावधान के अनुरूप खर्च नहीं हो पा रहा है । चालू वित्तीय वर्ष

2009-10 में पूरा सूखे की चपेट में होने और सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद विकास की गाड़ी बहुत ही मद्धिम चल रही है ।

मैं बस इतना ही बताना चाहूँगा कि सरकार इन सभी पहलुओं पर तुरंत कोई नीति बनाए ताकि बाढ़ एवं सूखे से प्रभावित राज्यों में रहने वाले परिवारों को न्याय मिल सके ।

*__श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर):__ देश में बाढ़ और सूखे से उत्पन्न स्थिति के बारे में सदन में नियम 193 के अंतर्गत चर्चा की जा रही है । देश में एक तरफ बाढ़ और दूसरी तरफ अकाल की स्थिति दिखाई दे रही है । यह विपरीत स्थिति एक प्राकृतिक आपदा हे । मानव आज चांद और मंगल ग्रह पर गया है लेकिन वह प्रकृति के आगे विवश दिखाई देता है । इस प्राकृतिक आपदा के लिए कोई ग्लोबल वार्मिंग को दोषी ठहराता है । प्रपाकृतिक संसाधनों का असीमित दोहन भी आज इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है तो कुछ मानव निर्मित घटनाएं भी इसके लिए सहायक सिद्ध हो रही हैं । मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ पर भारी मात्रा में कोयले की खाने हैं । इन कोयले की खानों से निकलने वाले पत्थर, मिट्‌टी जिसको ओ.बी. डम्प कहा जाता है, हमारे यहाँ की नदियों के किनारे डालने से नदी संकरी होकर बाढ़ आ रही है । पूर्व में कभी भी बाढ़ नहीं आती थी वह क्षेत्र आज बाढ़ प्रभावित हुआ है । स्थानीय प्रशासन की घोर उपेक्षा और कोयला खान प्रबंधन की मुजोरी के कारण यह सब घटित हो रहा हे । हमने सरकार के संज्ञान में यह बात लाने के बाद भी कार्रवाई का अभाव हे । अगर ऐसी स्थिति बनती है, तो बेचारे किसान अपनी फसलों को डूबते देखने के अलावा क्या कर सकता है और ग्रामीण जनता विस्थापन का अनुभव लेने के अलावा क्या कर सकती है और हमारे यहाँ बाढ़ प्रभावितों को नुकसान, भरपाई, मुआवजा देने के नियम इतने कठोर हैं कि प्रशासन द्वारा महीनों, सालों के बाद ही दिया जाता है इससे लोगों में आक्रोश है । मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि सरकार इसको गंभीरता से ले और वे.को.ली. द्वारा हमारे क्षेत्र की नदियों के किनारे डाले गये ओ.बी.डम्प के पहाड़ों को हटाये और इसके कारण जिन गांवों तथा किसानों पर कुप्रभाव पड़ा उन्हें सहायता और उनके पुर्नस्थापन के लिए उचित धनराशि और विकास कार्य कराये।

मैंने शुरू में बाढ़ और सूखे की विपरीतता की बात कही थी । श्रद्धेय अटलजी के नेतृत्व वाली एन.डी.ए. सरकार ने इसका संज्ञान लेकर नदी जोड़ परियोजना चलाने का निर्णय लिया था । इससे सूखे क्षेत्र में पानी उपलब्ध कराने के साथ बाढ़ पर नियंत्रण पाया जा सकता था । लेकिन राजनीतिक हानि-लाभ का विचार कर यू.पी.ए. सरकार द्वारा उक्त परियोजना के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया । उस समय तत्कालीन मंत्री माननीय सुरेश प्रभु के नेतृत्व में गठित समिति द्वारा परियोजना के बारे में एक रिपोर्ट दी गई थी । सरकार इस रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही है । क्या नदी जोड़ परियोजना का काम इस सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। यह देश के लिए आवश्यक और महत्वाकांक्षी परियोजना के रूप में सामने आनी चाहिए ।

मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह राजनीतिक रूप से न सोचकर देशहित के बारे में सोचें और नदी जोड़ परियोजना का कार्य आरंभ कर इसे जल्द से जल्द पूरा करने के लिए संसाधन भी उपलब्ध करा दे ।

---

* Speech was laid on the Table

[*]श्रीमती ज्योति धुर्वे (बेतूल): आज देश की बाढ़ और सूखे की तात्कालिक वास्तविक स्थिति के बारे में आपके माध्यम से मैं इस सदन में यह बताना चाहूंगी कि आज हमारा देश जो वास्तविक आपदा से जूझ रहा है, वह प्राकृतिक आपदा का नाम, जिसे पूरा भारत का वह निचला भाग बाढ़ और सूखे की मार को झेलने वाले 13 राज्य जो 2010 के दौरान पाये गये और जिसमें उस वर्ष की कुछ जिले 80 जिसे सरकार द्वारा 8000 करोड़ रूपये की राशि उन राज्य सरकार को उस दौरान राहत स्वरूप दिये गये।

मेरा मानना है कि एक केन्द्रीय जांच आयोग की रिपोर्ट वर्षों-वर्ष पहल बनाया गया बिल आज भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। इससे यह ज्ञात होता है कि शायद इस बिल की आवश्यकता केन्द्र सरकार को नहीं है। यह भी ज्ञात होता है कि शायद केन्द्र सरकार को देश की वास्ताविक प्राकृतिक आपदा की जानकारी ही नहीं है और शायद यह बिल की पास होने की स्थिति में शायद उन अधिक से अधिक निचले राज्य डूब के राज्यों के प्रतिस्थापन, विस्थापन एवं मुआवजा उससे अधिक उस डूब राज्यों, जो प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को हटाने से लेकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का मुआयना आदि संबंधित नीति बनाने का अधिकार मिल जाता, जिससे कि बाढ़ की विभीषिका से बचा जा सकता है।

मेरा मानना है कि आज जितनी बड़ी नदियां हैं, वह सभी कि स्थिति प्रतिवर्ष बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में प्रदेश से लेकर उन जिलों को तबाह करता है। आज मैं देखती हूं कि लगभग सभी बड़ी नदियों की स्थिति एक समान सी हो गई है जो अपने समय में खतरे के निशान से ऊपर ही चलती है। क्या आजादी के बाद हमने इसका जिक्र संविधान के उन पन्नों में भी स्वर्ण अक्षरों से इंगित किया था और आज भी उन पन्नों में वही स्वर्ण अक्षरों से इंगित है। इससे यह बात की जानकारी होती है कि देश की भौगोलिक स्थिति का पूर्ण जायजा मालूमात दौरान ही संविधान के निर्माणकर्ताओं ने इसका उसमें उल्लेख किया था और उस ओर विशेष गति के साथ देश की लोक महत्व की रक्षा, जान माल की रक्षा एवं उनके विकास को ध्यान में रखकर इसकी विशेष रचना की।

मुझे आज यह बताते हुए बहुत तकलीफ हो रही है कि आज इतने बड़े देश का भूभाग आज भी बाढ़ और सूखे से जूझ रहा है। क्या कारण है कि आज भी हमारे पास इस ओर कार्य करने की इच्छाशक्ति क्या हमारे पास नहीं है या उन राज्यों को अपना हिस्सा मानने को तैयार नहीं है जो इस आपदा से प्रतिवर्ष जूझते हैं।

देश के विकास और विनाश की चिंता सरकार की प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए और उसकी योजना के लिए सरकार कटिबद्ध होना उसके आवश्यक गुण में होना नितांत आवश्यक है।

मेरा मानना है कि आज भी जिस प्राकृतिक आपदा के रूप में हम बाढ़ एवं सूखे का प्राकृतिक दर्शन करते हैं, परंतु पिछली लंबित संबंधित योजना पर शायद हम क्रियान्वयन करना नहीं चाहते। आज जहां बाढ़

---

[*] Speech was laid on the Table

है और जहां सूखा है क्या इस सामान्य करने की कोई योजना बनी ही नहीं या हमने उसका क्रियान्वयन करने पर विचार ही नहीं किया। नदियों को जोडने की योजना शायद लंबित पड़ी है इस योजना को भारत जेसे विशाल राष्ट्र को अतिआवश्यक है जिससे हम इस आपदा से निजात पा सकते हैं और एक विकासशील राष्ट्र को दुनिया में प्रखरता से रख सकते हैं।

आज पर्यावरण की स्थिति की चिंता दुनिया का हर देश कर रहा है। पानी को बचाने एवं वृक्ष को समान स्वरूप देने की चिंता दुनिया ने की है, परंतु यदि हम नदियों को समान स्वरूप यदि देना चाहते हैं तो इन नदियों को जोड़ने की योजना के माध्यम से हम देश को दोनों ही स्वरूपों के माध्यम से हम हर कार्य को सम्पूर्ण रूप प्रदान कर सकते हैं जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित होगा। पानी सुरक्षित होगा एवं देश के उन राज्यों को कमजोर की श्रेणी से विकास की श्रेणी में खड़ा करेंगे एवं देश की उन्नतिशील राज्यों के रूप में उनका पूरा स्वरूप बदलते हुए हम एक दुनिया के उन्नतशील राष्ट्र के रूप में खड़ा होने में हमें कोई नहीं रोक सकेगा।

आज देश की कही जाने वाली राजधानी की स्थिति उस निचले भूभाग वाले राज्यों जैसी हो गई, जहां यमुना जी भी राजधानी के उस निचले कमजोर तबके को अस्त-व्यस्त कर दिया, जिसे ठीक से खड़े होने की क्षमता या शक्ति ही नहीं है जब राजधानी जैसे उस तबाही के दर्शन की बात हो या उस विशाल नदियों की बात करे लगभग स्थिति को सहज रूप से देखे तो सभी समान रूप का दर्शन कराती है और फिर हम इसके लिए राज्यों को हम पूरा सहयोग और उन्हें पूरी तरह मजबूत करने के लिए सरकार का ध्यान इसमें समर्पित क्यों नहीं है।

आज देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाने वाला किसान इस बाढ़ एवं आपदा सूखे से ऐसा पीड़ित है कि या तो वह आत्महत्या कर लेता है या अपनी उस मां जैसे भूमि को छोडकर पलायन कर लेता है। ऐसा क्यों है महोदय। क्या उसकी इस दुगर्ति में संभावनाएं किसकी होती है उस प्राकृतिक आपदा या सरकार की क्रियान्वयन में कंजूसी हमें दिल को बड़ा करना होगा एवं उस कमजोर राज्य एवं किसानों की चिंता करनी होगी और वह समय आ चुका है कि आज हमें देश को जीवित रखने वाला किसान को विशेष महत्व देने के सा उसे वह सभी उन कार्यों को कानूनी रूप देकर उन्हें बचाना होगा।

मुझे लगता है कि सूखा-बाढ़ की प्रबंधन समिति का यहां सभी तथ्यों पर खुलासा सा हो गया है। आज भी इस प्रबंधन में कोई मॉनिटरिंग की व्यवस्था इंटरनेट आदि की व्यवस्था नहीं है। शायद यह निंदनीय है आपदा का पैसा कैसे खर्च हुआ, कहां हुआ और किस जगह हुआ इसकी जानकारी स्वयं आपदा प्रबंधन को ही नहीं है।

अतः आपसे अंतिम एवं वर्तमान समय को देखते हुए अधिकांश राजनैतिक दल सुखाड़ राहत के लिए सर्वदलीय कमेटी बनाने की मांग करते हुए इस दिशा में भी कोई अत्यंत महत्वपूर्ण सरकार कदम उठाकर महत्वपूर्ण नीति बनायें ताकि बाढ़ एवं सूखे से प्रभावित राज्यों में रहने वाले परिवारों को न्याय मिल सके।

***श्री नारनभाई कछाड़िया (अमरेली):** सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा कि बाढ़ और सूखे के संबंध में 193 के अधीन चर्चा कराई जा रही गई है ।

आज हमारे देश को आजाद होने के पश्चात से 63 वर्ष हो गए हैं और सरकार को यह भी पता है कि प्रत्येक वर्ष हमारे देश को सूखे या बाढ़ की स्थिति से ग्रसित होना पड़ता है । महोदय हमलोग यह अच्छी तरह से जानते हैं कि यह प्रकृति कि देन है और इसे रोका नहीं जा सकता, परन्तु इसके आपदा से लोगों को बचाया जा सकता है।

महोदय स्थिति के आकलन से यह पता चलता है कि हमारे देश में प्रत्येक वर्ष हजारों लोग इस आपदा के चपेट में आते हैं, और जब लोग चपेट में आते हैं तो सरकार मुआवजे की बात करती है । यहाँ सरकार मुआवजे के बजाय बाढ़ संभावित इलाकों के लोगों को पहले से ही सुरक्षित स्थानों में स्थानांतरित क्यों नहीं कर देती, इससे सरकार को मुआवजा भी नहीं देना पड़ता और लोगों की जान भी बच जाती ।

यह एक राष्ट्रीय आपदा है, और प्रत्येक वर्ष इस आपदा से हमारे देश को इस आपदा से करोड़ों का नुकसान एवं हजारों लोगों को अपने जान को जोखिम में डालना पड़ता है, तो कहीं दूसरी ओर हजारों लोग सूखे से ग्रसित हो जाते हैं और इस तरह से प्रत्येक वर्ष लोग बाढ़ और सूखे से ग्रसित होते रहते हैं, और सरकार मुआवजा देने की काम करती है और यह प्रक्रिया आजादी के 63वें वर्ष से चलती आ रही है ।

महोदय सरकार की वाटर डिजास्टर मैनेजमेंट की जितनी भी नीतियां है वह केवल पेपर तक ही सीमित है, और उनका वास्तविक रूप में कोई परिणाम नहीं आता है और मैं यहां सरकार से यह आग्रह करना चाहूँगा कि यह एक गंभीर चिंता का विषय है और इसपर सरकार को सभी पार्टियों के सहयोग से इस समस्या का स्थाई रूप निवारन होना चाहिए ।

---

*Speech was laid on the Table

[*]श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): आज पूरे देश में सूखा है कहीं-कहीं बाढ़ भी है । आखिर इसका कारण क्या है ? कभी इस कारण को जानने की कोशिश नहीं की गयी । पूरे देश में वर्षा से 4000 क्यूबिक मीटर पानी आता है, जिसका 18 प्रतिशत ही जमा हो पाता है, बाकी बरर्बाद हो जाता है । अगर इसका ठीक से प्रबंधन नहीं किया गया तो इसके बहुत भयंकर परिणाम होंगे । यह चेतावनी विश्व बैंक ने भारत को सन् 2005 में ही दे दी थी और इस पर अमल करने को बोला था । लेकिन आज इस चेतावनी को दिये पाँच वर्ष बीत गये, लेकिन अभी तक इस पर कोई अमल नहीं हुआ । आज जिस तरह प्रकृति से खिलवाड़ किया जा रहा है, जंगल काटे जा रहे हैं, केवल कंक्रीट का जंगल तैयार किया जा रहा है, यह पर्यावरण के लिए भयंकर खतरा है । आज रियल एस्टेट कम्पनियों के शेयर ऊपर चढ़ रहे हैं, रियल एस्टेट कम्पनियों द्वारा किसानों को बहला फुसलाकर उनकी कृषि योग्य सिंचित जमीन पर कंक्रीट का जंगल तैयार किया जा रहा है, यह बेहद अफसोसजनक बात है । सरकार भी रियल एस्टेट कम्पनियों को बढ़ावा दे रही है और किसानों को दबा रही है । आज किसान चारों तरफ से मजबूर हैं, प्रकृति की मार से मजबूर है, सरकार की मार से मजबूर है, भूमि के अधिग्रहण से मजबूर है, महंगाई की मार से मजबूर है, खाद नहीं मिलने की मार से मजबूर है, उनके कृषि उत्पादों का बेहतर मूल्य नहीं मिलने से मजबूर है । बिचौलियों की मार से मजबूर है ।

आज जिस तरह आधुनिकता आगे बढ़ रही है, वो प्रकृति को बुरी तरह से नष्ट कर रही है जिसका परिणाम, दूषित पर्यावरण हे, सूखा पड़ना तथा कभी ओले पड़ना, बादल फटना, जमीन फटना जैसी घटनाएं इत्यादि प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं । लेकिन सरकार इस ओर से आंख मूंदे हुए है, वो इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है ।

मेरे संसदीय क्षेत्र, नालन्दा में पिछले दो वर्षों से लगातार सूखा पड़ रहा है परिणामस्वरूप धान की फसल पर प्रतिकूल असर पड़ा है । केवल 24 प्रतिशत ही रोपाई है, पिछले वर्ष इससे भी भयंकर सूखा पड़ा था, केवल 16 प्रतिशत ही रोपाई हुई थी । अगर यही हाल रहा तो किसान की कमर ही टूट जायेगी । आधी तो टूट ही गई है, उन्हें कोई मुआवजा, केन्द्र सरकार के तरफ से नहीं मिलता है और न कोई बेहतर सिंचाई सुविधाओं के लिए कोई योजना । किसान इस धरती का सबसे सहनशील जीव होता है किसान की तुलना भगवान से की गई है, कृषि पेशा को सबसे उत्तम पेशा कहा गया है । लेकिन आज क्या उसका सही अर्थ रह गया है ? किसानों की रोजी रोटी छिनी जा रही है । उनको बेघर किया जा रहा है लेकिन फिर भी वो नहीं बोल रहे हैं और दुगुने

[*] Speech was laid on the Table

उत्साह से दूसरे फसल की तैयारी में जुट जाते हैं । प्रसिद्ध कथाकार मुंशी प्रेमचन्द की कहानी, "पूस की रात" भारतीय किसान का सही कथा-चित्रण पेश करती है ।

आज बेहतर जल प्रबंधन और सिंचाई सुविधा की जरूरत है लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नह दे रही है । सिंचाई मंत्रालय का नया नाम जल संसाधन मंत्रालय किया गया है लेकिन वो अपना पुराना काम भी नहीं कर पा रही है ।

बिहार के 38 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था यहां पर पिछले दिनों केन्द्रीय टीम भी गई थी। उन्होंने खुद मेरे संसदीय क्षेत्र में किसानों की स्थिति का अध्ययन किया है, उनसे पूछा जा सकता है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के किसान की हालत कितनी खराब है । अगर केन्द्रीय टीम की अनुशंसाओं को लागू भी किया जाता है तो पुराने दर पर ही मुआवजा दिया जाएगा जिसका कोई फायदा किसानों को नहीं पहुंचेगा ।

मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूँ कि शक्तिशाली मंत्री समूह खुद जाकर मेरे संसदीय क्षेत्र नालन्दा एवं साथ-साथ अन्य जिलों का दौरा करे तभी कड़वी सच्चाई सामने आ पायेगी । हर बार केन्द्रीय टीम जाती है, चल आती है और एक रिपोर्ट भर प्रस्तुत कर देती है, जिसका पुराने दर पर मुआवजा दे दिया जाता है लेकिन कभी उसके स्थायी हल पर नहीं सोचा जाता है । खुद शक्तिशाली मंत्री समूह जाएंगे तो उन्हें किसानों की सही स्थिति मालूम होगी ।

मैं केन्द्र सरकार से यह भी मांग करता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र नालन्दा जिले के प्रत्येक प्रखण्ड की हरेक पंचायत में पेयजल के लिए दस-दस डीप बोरिंग चापाकल तथा सिंचाई के लिए दो-दो डीप बोरिंग सवमर्सिबल पम्प सेट (20 एचपी का) लगवाने की व्यवस्था की जाये । तभी किसानों की जान बचेगी और उनके खेतों की सिंचाई हो सकेगी और उन्हें उनके बच्चे तथा पूरे परिवार को साफ, स्वच्छ जल, पीने को मिल सकेगा। अभी जब मेरे संसदीय क्षेत्र नालन्दा में पिछले दो वर्षों से लगातार सूखा पड़ने से किसी के घर में चावल नहीं है तो उन्हें कम से कम राशन की दुकान से प्रत्येक परिवार को महीना में कम से कम चालीस किलोग्राम चावल तथा बीस किलोग्राम गेहूँ एवं 20 लीटर किरासन तेल, केन्द्रीय सरकार बिल्कुल रियायती दर पर उपलब्ध कराये ताकि वो लोग जिन्दा रह सकें तथा उनके दोनों वित्तीय वर्षों का के.सी.सी. ऋण माफ किया जाये । उन्हें खाद, उत्तम बीज तथा कीटनाशक एवं खेती के अन्य सामानों की व्यवस्था केन्द्र सरकार करे । बेहतर सिंचाई के लिए छिड़काव यंत्र, (Sprinkle irrigated water instrument) किसानों को मुफ्त दिया जाये ताकि कम पानी में खेतों की बेहतर सिंचाई हो सके । कीटनाशी छिड़काव यंत्र भी किसानों को मुफ्त सप्लाई दिया जाये । प्रत्येक पंचायत में जुताई के लिए, दो-दो बड़ा ट्रैक्टर का प्रबंध, केन्द्रीय सरकार करे ताकि किसानों की जमीन की

जुताई हो सके और यह सारा प्रबंध केन्द्रीय सरकार यथाशीघ्र करवाये ताकि किसानों को बेहतर लाभ मिल सके । बाद में दिए जाने से इसका पूरा फायदा किसानों को नहीं मिलेगा ।

मैं केन्द्र सरकार से यह मांग करता हूँ कि वह कुछ ऐसा करे ताकि किसानों को जमीन पर कुछ दिखाई दे कि उन्हें केन्द्र सरकार ने कुछ लाभ दिया है ।

अगर उन्हें लाभ नहीं दिया जाता है, उनकी स्थिति बद से बदतर होती जाएगी और यही उनकी हाहाकार धीरे-धीरे उग्रवाल की आवाज हो जाती है । इसलिए केन्द्रीय सरकार को इस पर मनन करने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है । इस पर यथाशीघ्र अमल करने की जरूरत है ।

***श्री राम सिंह कस्वां (चूरू) :** आपने मुझे देश में बाढ़ एवं सूखे की स्थिति के बारे में चर्चा करने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूँ । सूखा और बाढ़ की समस्या देश के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी है । क्या हम इन समस्याओं का मजबूती से सामना करने में सक्षम हैं । इस संकट से निपटने के लिए चौतरफा प्रयास होने चाहिए, क्या वे नजर आ रहे हैं । हाल ही में बारिश से बेहाल-पंजाब-हरियाणा की बाढ़ ने वर्षा को आपदा में तबदील कर दिया है । वहाँ इतने दिनों जो व्यापक नुकसान हुआ है, उसकी क्षतिपूर्ति किसी भी तरह से नहीं की जा सकती । हर वर्ष बाढ़ से देश के कई हिस्से तबाह हो जाते हैं लेकिन इसे रोकने के लिए केन्द्रीय जांच आयोग द्वारा 33 वर्ष पहले बनाया गया बिल अभी तक विभिन्न राज्यों के सामने पास होने के लिए पड़ा हुआ है । मणिपुर और राजस्थान को छोड़कर किसी भी राज्य ने इस पर गंभीरता से विचार नहीं किया है । हर साल बाढ़ से भारी जन धन की हानि होती है लेकिन राज्य सरकारें इससे कोई सबक नहीं ले रही है । केन्द्र सरकार भी थोड़ी बहुत सहायता व किसानों को अनुदान देकर अपने कर्त्तव्य की इतिश्री कर लेती है । यह हर क्षेत्र की जिम्मेदारी है कि वह बरसात का मौसम शुरू होने से पूर्व ही इसका आकलन करके रखे । दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि बाढ़ के मूल कारणों पर कभी भी ध्यान नहीं दिया गया । अगली बारिश तक लोग हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहते हैं । सच्चाई यह है कि बाढ़ की समस्या वनविनाश, अनियोजित नगरीकरण और खनन, भौतिकवादी जीवनदर्शन से सीधे जुड़ी हुई है ।

1981 को प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के मध्य रावी व्यास नदियों के आधिक्य जल के बंटवारे के बारे में एक समझौता हुआ था । जिसमें राजस्थान का हिस्सा 8.6 एमएएफ तय किया गया था । भाखड़ा व्यास प्रबंधन मंडल राजस्थान को हिस्सेदारी का 8 एमएएफ जल का ही आबंटन कर रहा है । काफी प्रयासों के पश्चात् भी शेष 0.60 एमएएफ पानी राजस्थान को नहीं दिया जा रहा है । इसी तरह से सिधमुख नौहर के लिए राजस्थान के हिस्से का 0.47 एमएएफ पानी में से 030 एमएएफ पानी ही दिया जा रहा है । शेष 0.17 एमएएफ पानी काफी प्रयासों के बाद भी नहीं दिया जा रहा है । राजस्थान में सिंचाई के पानी के साथ पीने के पानी की भी विकट समस्या है । राजस्थान नहर का निर्माण पूरा हो चुका है । इस क्षेत्र की इतनी बड़ी क्षमता है कि अगर पूर्ण पानी मिले तो उपरोक्त क्षेत्रों की बाढ़ की समस्या के हल होने के साथ-साथ अन्न का संकट भी काफी हद तक हल हो सकता है । लेकिन इस पर न तो केन्द्र सरकार गंभीर है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान को पानी का वाजिब हक देने को तैयार नहीं है । राजस्थान हमेशा कम वर्षा से सूखे की चपेट में रहा है । कहीं पानी की अधिकता विनाश का कारण बनी हुई है । दोनों स्थिति में ऐसे राज्यों

---

*Speech was laid on the Table.

के प्रभावितों को राहत के लिए अरबों रुपये की दरकार रहेगी । वाजपेयी सरकार के समय अल्पवृष्टि और अतिवृष्टि जैसी समस्या पर पार पाने के लिए नदियों को जोड़ने की योजना सामने आई थी । उस योजना का क्या हुआ, सरकार बदलते ही योजना क्यों भुला दी गई ? यह सवाल भी महत्वपूर्ण है कि सरकार बदलने का असर क्या राष्ट्रीय योजनाओं पर भी पड़ना चाहिए । बिल्कुल नहीं । प्राकृतिक आपदा को राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता । यह ऐसा मुद्दा है जिस पर हमारे कर्त्ता-धर्त्ताओं को गंभीरता से विचार करना ही होगा । मानसून का मिजाज कब बिगड़ जाए भविष्यवाणी करना असंभव है । ऐसे में एक ही विकल्प नजर आता है कि आसमान से बरसी हर बूंद को चाहे वह कहीं भी गिरे और कभी भी गिरे सहजने की कला हमें आ जाए ।

तीन राज्यों में आ रही बाढ़ के पानी को सहेज सकने की क्षमता हो तो सूखा प्रभावित राज्यों के लिए यही पानी अमृत बन सकता है । हम प्रतिवर्ष बाढ़ व सूखा पर अरबों रुपये खर्च करते हैं लेकिन नदी जोड़ो प्रोग्राम पर एक धेला भी खर्च करने को तैयार नहीं है । आज चीन एक-एक बूंद का कैसे उपयोग कर रहा है । ब्रह्मपुद्ध नदी के पानी पर बांध बना रहा हे । हम क्या कर रहे हैं, सोचने का विषय हे । धीरे-धीरे नीचे का पानी खत्म हो रहा है । मानसून का कोई भरोसा नहीं । नदियों की हालत क्या होने जा रही है उन्हें उथला होने से बचाना पड़ेगा । सरकार को राजनीति से ऊपर उठकर इस पर कार्य करना चाहिए । नहीं तो हमारे हालात बहुत खराब होने जा रहे हैं । जल प्रबंधन की जरूरत को हम समझ गए तो सूखा और बाढ़ दोनों पर हम काबू पा सके हैं । जैसे-जैसे देश विकास कर रहा है उसके किसानों की आबादी घटती जा रही है फिर हमारे किसान क्यों करें, कहां जाएं, देश के 60 करोड़ किसानों का भविष्य क्या है, किसान चाहकर भी मन मुताबिक फसलों की खेती नहीं कर सकता । खेती किसानों के लिए दिन प्रतिदिन मुश्किल होती जा रही है । किसान बारिश की आशा में आकाश की तरफ टकटकी लगाए रहता है । लोग खेती और गाँव से किनारा करते जा रहे हैं । पहले तो अच्छी पैदावार नहीं होती यदि होती भी है तो किसानों को उनकी अच्छी कीमत नहीं मिल पाती । इस वर्ष वर्षों पश्चात राजस्थान में अच्छी फसल होने जा रही है । कल मैं मेरी तहसील के गाँव रामसरा-टीबा गया । मैंने कहा इस बार तो आपके मूंग की बहुत अच्छी फसल है । ग्रामवासियों ने कहा कि हमें क्या आज का भाव मिलेगा अगर आधा भी मिल जाए तो भी ठीक है । किसान भाव को लेकर भारी निराश हैं । उसको विश्वास नहीं हो रहा है कि उसे वाजिब भाव मिलेगा । ऐसी हालत में सरकार को इस पर गौर करना चाहिए । किसान की खेती कैसे बचे इसकी व्यवस्था करनी चाहिए । राहत कार्य सदैव से विवाद और भ्रष्टाचार की कहानी कहते रहे हैं । कई बार तो लगता है कि इस नाम पर जो घोषणा होती है उससे पूरा इलाका लखपति हो सकता है बशर्ते पैसा सीधे पीड़ित को मिले । सूखा के बाद इश्योरेंस कवर का लाभ किसानों को काफी समय बाद मिलता हे । कभी-कभी मिलता भी नहीं । इन सभी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है ।

*** श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह):** आज इस सदन में बांध सुरक्षा विधेयक, 2010 को लाया गया है1 इस विधेयक में कई प्रावधान हैं, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति का गठन, भूकम्प विज्ञानी केन्द्र का संस्थापन जलाशयों का आरंभिक भराव आदि शामिल है।

आज हमारे देश में जो कानून बने हुए हैं, उसका अनुपालन सही ढंग से हो तो आज हम आमजनों की समस्याओं से निपटने में बहुत हद तक कामयाब हो सकते हैं। लेकिन स्थितियां इसके विपरीत हैं। आज हम विधेयक के माध्यम से कानून में बदलाव कर रहे हैं लेकिन इस बदलाव से समस्याओं का समाधान संभव नहीं है बल्कि कानून पालकों को अपनी कर्तव्यनिष्ठा से और कानून के उचित अनुपालन से समस्याओं से निजात दिला सकते हैं।

हमारे क्षेत्र में 1954 में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय नेहरू जी के कार्यकाल में कोनार डैम की स्थापना की गई। सोच अच्छी थी, लेकिन हमारे देश के इंजीनियर, ब्यूरोक्रेट्स, प्रबंधक की सोच जनहित से अलग हटकर दूसरे ओर जाने के कारण देश में समस्याओं का अंबार खड़ा है। इस डैम पर 3 मे0गा की एक पारम्परिक इकाई (हाइडल पॉवर प्रोजेक्ट) लगाने हेतु अनुशंसा डीवीसी द्वारा की गई थी। एनएचपीसी ने इस संबंध में प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की इसके बाद केन्द्रीय जल आयोग ने कह दिया कि कोनार बांध में क्रेक आ जाने के कारण पन विद्युत परियोजना स्थापित करने में दिक्कत है। फिर सीडब्ल्यूसी ने कहा कि इस डैम को 4-5 वर्षों तक जांच करने के बाद हाइडल प्रोजेक्ट निर्माण की स्वीकृति दी जा सकती है। मेरा कहना है कि जब कोनार बांध में दरार था तो एनएचपीसी ने हाइडल प्रोजेक्ट निर्माण करने के प्रस्ताव की स्वीकृति क्यों दी है? इस कार्य में डीवीसी, सीडब्ल्यूसी और एनएचपीसी तीनों की सहभागिता है। दो विभाग हाइडल प्रोजेक्ट का प्रस्तावक है और सीडब्ल्यूसी 5 वर्षों तक जांच करने के बाद यह निष्कर्ष पर आयेगा कि हाइडल प्रोजेक्ट स्थापित किया जायेगा। यह सारा खेल दिग्भ्रमित करने वाला है। प्रबंधन और तकनीकी विभागों के द्वारा जांच के नाम पर राष्ट्रीय सम्पत्ति और जनता के पेसों का अपव्यय किया गया और किया जायेगा और जनता मूलभूत समस्याओं से जूझती रहेगी।

मेरा सरकार से आग्रह है कि इस विधेयक के माध्यम से कानून बनाने जा रहे हैं,उसका अनुपालन सही ढंग से हो। प्रत्येक राज्य में राज्य बांध सुरक्षा संगठन की स्थापना हो और इस कार्य का मानिटरिंग करने के लिए माननीय सांसदों को एक प्रभावी शक्ति प्रदान करें। साथ ही साथ सेंट्रल वॉटर कमीशन (सीडब्ल्यूसी) को बांधों की सुरक्षा के लिए प्रभावी बनाया जाये और कोनार बांध में दरार के कारणों को

---

*Speech was laid on the Table

शीघ्र जांच कर हाइडल पॉवर प्रोजेक्ट निर्माण के कार्यों की शीघ्र स्वीकृति प्रदान हो और झारखंड राज्य में बांध बनाने के लिए जो भी भूमि अधिग्रहण किया गया है तो संबंधित व्यक्तियों को तत्काल प्रभाव से मुआवजा और नौकरी आदि की व्यवस्था की जाये ताकि इस प्रदेश में बांध निर्माण कार्य में प्रदेश की जनता की सहभागिता बढ़े।

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am thankful to hon. Members for participating in large numbers and making very useful suggestions for management of the situation caused by floods and drought every year in the country. Hon. Members have said that we should strengthen the preventive measures to tackle this recurring problem which affects millions of people every year. particularly the poor strata of the society. …(*Interruptions*) It is, in fact, a strange phenomenon that at the same time, parts of the country are affected by floods, and parts of the country are affected by droughts. We are a large country and although it might appear strange, we have to live with this. …(*Interruptions*) We have to prepare ourselves to deal with both droughts and floods.

To share with this hon. House, in the current South-West monsoon, out of 36 meteorological sub-divisions, nine sub-divisions received excess rainfall and six sub-divisions received deficient rainfall during the period 1st of June to 25th of August, 2010.

During the current year, 19 States and two Union Territories have experienced floods, cyclone and landslides in varying degrees. The magnitude of floods was rather severe in the States of Andhra Pradesh, Bihar, Haryana, Jammu & Kashmi, Mizoram, Punjab and West Bengal. The Governments of Bihar and Jharkhand have declared drought. For example, The Government of Bihar had initially declared 28 districts as drought affected, and subsequently declared 10 districts as drought affected. Jharkhand has declared the whole of the State – all 24 districts as drought affected.

As per the preliminary estimates of damage, 911 persons have lost their lives, 7000 cattle heads perished, 3.55 lakh houses were damaged, fully or partially, and crops over an area of 4.55 lakh hectares have been affected due to floods and cyclone. The management of droughts and floods is a joint responsibility of the State Government and the Central Government. The State Government is obviously the first responder; they have to undertake rescue, relief and rehabilitation operations. The Central Government is always ready to

supplement these efforts by providing logistics and financial support. So, when flood hit J & K, Punjab, Haryana, Bihar and West Bengal earlier and when drought hit Bihar and Jharkhand, we have always responded promptly to the requirements projected by those States

We have deployed Army, Air Force, Border Roads Organization, the NDRF, which is a specialized force, the ITBP; we have supplied boats and other equipments in flood-affected areas. The Ministry of Health and Family Welfare has rushed doctors and medicines; the Ministry of Telecommunication has set up emergency communication facilities; the Ministry of Road Transport and Highways has tried to clear the roads and maintain traffic; the Ministry of Food and Civil Supplies has also rushed in a large quantity of food.

The situation is reviewed nearly on a daily basis by the Cabinet Secretary and the Home Secretary; and the Secretaries of the Ministries concerned, which I just mentioned, are also in touch with their counterparts in the States.

As the hon. Members are aware, during 2005-10, the total kitty of relief funds to the States was Rs. 21,333; and after the new Finance Commission, for 2010-15, it is now Rs.33,580. For the Special Category States, the Central Government's contribution is now 90 per cent. It must be remembered that financial assistance is given towards relief. It should not be confused with compensation for loss. The idea is to provide immediate relief, rescue and rehabilitation. Compensation is a separate issue. The CRF and the NCCF are not meant for that. The main objective of relief is to assist the affected persons to restart their economic activities. The relief is by way of gratuitous assistance as an immediate help to the affected people.

Sir, the norms for granting relief are well-settled norms. The successive Governments have revised the norms. The last time we revised the norms was in July 2007. We cannot obviously re-visit the norms every year or every time there is a flood. The last time we re-visited was in July 2007, after the 12th Finance Commission gave its award. Now, after the 13th Finance Commission, we have already undertaken the exercise of revising the norms. An expert group was constituted by my Ministry on

the 27th October 2009. The expert group has consulted all the State Governments; they have received the suggestions of the State Governments and the Central Ministries concerned. The group has submitted its report on the 30th June 2010. We are looking into the report, and once the report is examined, we will, in consultation with the Ministry of Finance, take up the matter of revising the norms.

We have always followed a set procedure for giving relief. We send the team to visit the States. The team comes back and gives its report. It goes to an Inter-Ministerial Group, and after that, it goes to the high-level committee and the high-level committee takes a final decision on the amount of relief to be granted.

Every State has been allocated a certain amount in their relief funds, based on the recommendations of the successive Finance Commission.

15.14 hrs. (Shri Francisco Cosme Sardinha *in the Chair*)

These are non-lapsable funds, and irrespective of whether there is a natural disaster or not, as soon as we receive the Utilization Certificate from the State Government, the Central share is released to the States. We have followed the same pattern; there is no departure from the pattern.

Some States, when they make their projections for relief, make projections, not based on the norms, but send memoranda seeking additional financial assistance, unconnected with the norms. These have to be ironed out by the Central team and by the IMG and finally, a decision is taken by the high-level committee.

We have passed the Disaster Management Act. The Act was passed in 2005 and notified on December 26th, 2005. The Disaster Management Authority has done remarkable work; they have brought out manuals; they have brought out handbooks; they have brought out instructions in all the languages; they have imparted training to hundreds of people; they have helped the State Governments set up the State Disaster Management Authority. Our capacity to deal with disasters is much better today than what it was five years ago.

Sir, the NDMA is responsible for laying down policies, plans and guidelines for disaster management and I am confident that when these plans percolate down to

the district level there will be a much better response system at the district level to deal with disasters.

Sir, I wish to assure the hon. Members that in case of every flood and every drought the Government will look into the Central Team's Report very carefully, will look into the IMG's Report very carefully and the HLC will take decisions very sympathetically and very compassionately so that adequate relief is provided to States hit by drought and flood.

MR. CHAIRMAN : Does anyone wish to seek some clarification?

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) *

MR. CHAIRMAN: Please sit down and raise your hands.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

*(Interruptions)**

MR. CHAIRMAN: I will give you a chance to speak. Please sit down.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Why everybody is standing. I will give you a chance to speak but first sit down.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please sit down and raise your hands. I will give some Members a chance to ask clarifications.

… (*Interruptions*)

---

*Not recorded.

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर): महोदय, बिहार में लगातार तीन साल से पहले बाढ़ आई, फिर सूखा आया, इस बार वहां सूखा भी है और बाढ़ भी है। बिहार की सरकार ने जब भी केन्द्र से धनराशि मांगी, हमें राशि नहीं मिली है। बिहार सरकार अपने दम पर काम कर रही है। आज वहां तबाही है।...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से गृहमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि बिहार सरकार ने कितना पैसा मांगा है और आपने बिहार सरकार को कितनी मदद दी है? बिहार में बाढ़ और सूखे की वजह से जो तबाही हुई है, क्या आपने उसका कोई आकलन किया है? उस आकलन के आधार पर क्या बिहार की जनता को आप न्याय देंगे?...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please do not disturb the House.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

*(Interruptions) **

श्री रामकिशुन (चन्दौली): महोदय, उत्तर प्रदेश में सूखा और बाढ़ दोनों हैं।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, I am giving you time to speak.

… (*Interruptions*)

श्री घनश्याम अनुरागी (जालौन): महोदय, उत्तर प्रदेश में सूखा पड़ा है। इनसे पूछिए क्या किया गया।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please go to your seat.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

*(Interruptions)**

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, if you do not listen, I will go to the next item. I am giving you a chance to speak.

… (*Interruptions*)

श्री घनश्याम अनुरागी (जालौन): महोदय, बुंदेलखण्ड में किसान सूखे से तबाह हो गए हैं और उत्तर प्रदेश एवं केन्द्र, दोनों सरकार चुप बैठी हैं। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: I will give you a chance to speak. Please sit down.

… (*Interruptions*)

---

*Nor recorded.

MR. CHAIRMAN: Please behave yourselves.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Mulayam Singh Ji, do you want to say something?

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): सभापति जी, आप सबको दो-दो मिनट का समय दे दें, सब शांत रहेंगे।

MR. CHAIRMAN : Everybody cannot speak at a time. I am giving chance to everybody. I have called her.

… (*Interruptions*)

श्रीमती भावना पाटील गवली (यवतमाल-वाशिम): सभापति जी, महाराष्ट्र में बाढ़ आई, लेकिन राज्य सरकार ने उसमें कोई दखल नहीं दिया और न ही केन्द्र सरकार ने उस पर कोई ध्यान दिया, जबकि दोनों जगह कांग्रेस पार्टी की सरकार है। मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि वहां के किसानों को जल्द से जल्द राहत देने के लिए यहां से घोषणा की जाए और वह राशि तुरंत राज्य सरकार को दी जाए। इसके अलावा फसल बीमा योजना का जो पैसा राज्य सरकार को दिया है, उसने किसानों में अभी तक वितरित नहीं किया है। मेरा आरोप है कि राज्य सरकार जानबूझ कर काम नहीं कर रही है और केन्द्र सरकार भी सहायता नहीं कर रही है। मैं चाहती हूं कि वहां के किसानों को जल्द से जल्द राहत मिले और मुआवजे की रकम मिले।

श्री लालू प्रसाद (सारण): सभापति जी, अन्य राज्यों में काफी बारिश हुई, लेकिन बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में काफी सूखा पड़ा है। बिहार में धान की रुपाई भी नहीं हो पाई है। वहां पीने के पानी की समस्या भी पैदा हो गई है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते वहां पर 47 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है और लोग सड़कों पर आ गए हैं। लोगों को दाल-भात भी खाने को नहीं मिल रही है। बाढ़ और सूखा, बिहार में पिछले पांच साल से लगातार पड़ रहा है। अगर राज्य सरकार के सहारे लोग रहेंगे तो बिहार में बड़े पैमाने पर लोग भूख से मरने वाले हैं। इसलिए केन्द्र अपने स्तर पर वहां मदद करे और उसकी मानिटरिंग भी करे। बिहार की स्थिति काफी खतरनाक हो रही है। झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश की स्थिति भी बिहार से भिन्न नहीं है। बुंदेलखंड की स्थिति भी काफी खराब है। इसलिए वहां पशु के लिए चारा और कृषि विभाग से बात करके मोटे अनाज को पैदा करने का काम कराया जाए। भारत सरकार की तरफ से गृह मंत्री जी जो इस विभाग को देख रहे हैं, वे इस पर ध्यान दें, क्योंकि हम लोग तो चुनाव में व्यस्त रहेंगे। इसलिए आप बिहार और अन्य प्रदेशों की जल्द से जल्द मदद करें।

श्री घनश्याम अनुरागी : सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे एक गम्भीर विषय पर बोलने का अवसर दिया। उत्तर प्रदेश में, खासतौर से बुंदेलखंड में, विशेषकर रमाबाई नगर, इटावा, औरैया, फतेहपुर और अन्य कई जनपदों में पूरी तरह से भीषण सूखा पड़ा हुआ है। इस कारण वहां स्थिति अत्यंत गम्भीर हो गई है।

वहां का किसान आज भुखमरी की कगार पर है, क्योंकि खेत सूखे पड़े हुए हैं। वहां पिछले पांच साल से सूखा पड़ा हुआ है। इस वजह से वहां किसानों द्वारा अपने खेतों में जो बुवाई होनी चाहिए थी, वह नहीं हो पाई है।

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, only question should be asked.

श्री घनश्याम अनुरागी : वहां पर किसान और मजदूर भूखे मर रहे हैं। हम आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि वह यह बताएं कि वहां जो सूखा पड़ा है, उसके लिए उन्होंने कौन से कदम उठाए हैं और कौन सी राहत दी जा रही है? इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सूखा प्रभावित इलाकों के लिए कितनी धनराशि की मांग की है? मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वहां के किसानों, मजदूरों और आम जनता के हित के लिए दवाएं, पढ़ाई और किसानों के विकास के लिए शीघ्र 30,000 करोड़ रुपए की राशि पैकेज के रूप में वहां के विकास के लिए उपलब्ध कराई जाए, जिससे वहां के लोगों का विकास हो सके और सिंचाई की समुचित व्यवस्था के लिए स्थाई प्रबंध किए जा सकें। यह पैसा किसी अन्य मद में प्रदेश सरकार खर्च न कर सके या उसका दुरुपयोग न कर सके, इसलिए उस पैसे की मानिटरिंग केन्द्र द्वारा की जाए। मैं यह इसलिए कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार मूर्तियों, पार्कों के निर्माण पर ही किसानों की गाढ़ी कमाई का पैसा खर्च कर रही है। यदि केन्द्र द्वारा उक्त पैकेज नहीं दिया जाता है, तो हम समझेंगे कि केन्द्र सरकार सूखाग्रस्त क्षेत्रों की जनता के साथ अन्याय कर रही है और गरीबों तथा किसानों के साथ हमदर्दी नहीं रखती है।

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record.

(Interruptions) *

MR. CHAIRMAN: Only one man from each party will be allowed to speak.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, you may please sit down now.

… (*Interruptions*)

श्री घनश्याम अनुरागी : यह विषय बहुत गंभीर है। …(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) *

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, nothing is going on record. Please do not waste the time of the House. Everybody cannot speak at the same time.

… (*Interruptions*)

---

*Not recorded.

श्री शरद यादव (मधेपुरा): सभापति महोदय, इसमें कई चीजें हैं। इसमें बाढ़ और सुखाड़ और हर तरह की तबाही के सवाल उठे हैं। सभापति जी, मैंने कई बार नोटिस दिया है, एक विवादास्पद मुद्दा यह भी है कि सेंटर और स्टेट्स रिलेशन्स जो हैं, राज्य सरकारों और भारत की सरकार के बीच में जो रिश्ते हैं, जो राज्यों का शेयर होना चाहिए, उस पर भी बहुत विवाद है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आज तो बाढ़ और सुखाड़ पर होम-मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया। आपका बुंदेलखंड का मामला छूट गया है। वह ज्यादा जोर से नहीं उठ सका है, पूरे सदन ने बहस की है। मैं केवल आपसे यही अपील करना चाहता हूं कि समय आज और कल का ही बचा है। यह जो सेंट्रल-स्टेट रिलेशन्स हैं इस पर बात नहीं करेंगे तो इस देश में राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के बीच में तनाव बढ़ते रहेंगे और तनाव इतनी दूर तक चले जाएंगे कि इससे समस्याएं बढ़ती रहेंगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप स्पीकर महोदया से कहें कि इस पर बहस कराने का काम करें।

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Sir, I just have one question in two parts. In the year 2008, the State of Orissa had floods; in the year 2009, the State had drought and in 2010, in certain parts of the State there is drought and in certain parts of the State there is flood. In my constituency of Dhenkanal and Angul, there is a drought like situation. There has been not enough rain this year. In what the hon. Home Minister read out now it seemed very eloquent. It seemed there is provision for relief in that. But I would like to find out from the hon. Minister one particular point and that is, first of all, whether there is any provision for compensation. Secondly, I would like to know from the hon. Minister, through you, is the Government of India in collaboration with the State Governments planning to have any long-standing measures so that they are able to face both drought like situation wherever drought takes place regularly and wherever there is flood? It is not something that a new area is getting flooded. It is the same area that gets flooded. Is there any provision for planning on the part of the Government of India to collaborate with the State Governments, including the State Government of Orissa to ensure that drought and flood like situation are met and countered well before it takes toll on the poor farmers who have no voice in this House and instead only those who talk of nuclear arsenal have voice in this House… (*Interruptions*)

DR. PRASANNA KUMAR PATASANI (BHUBANESWAR): Sir, I wish to associate myself with the opinions expressed by my colleague Shri Tathagata Satpathy on the issue of drought and flood, especially in my State of Orissa… (*Interruptions*)

श्री नवजोत सिंह सिद्धू (अमृतसर): सभापति जी, माननीय मंत्री महोदय जी ने जवाब दिया है।

MR. CHAIRMAN: This is not a debate.

… (*Interruptions*)

श्री नवजोत सिंह सिद्धू : क्योंकि इनीसिएट मैंने किया था, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। सभी जानते हैं कि वे बहुत ही तालीम वाले हैं। यह बात मैं पिन-पाइंटिडली कहना चाहता हूं कि " तालीम का जोर इतना, तहजीब का शोर इतना, बरकत क्यों नहीं होती, तुम्हारी नीयत में खराबी है।"

महोदय, यह बात सही है। ....(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, यह बात सही नहीं है।...(व्यवधान) सदन में क्या यह बात करने का तरीका है।...(व्यवधान)

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री कांति लाल भूरिया): महोदय, इन्हें सिर्फ सवाल पूछने के लिए कहा गया है।...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, यह विषय प्रांतीय सरकारों का है। अगर ये नीयत की बात करते हैं, तो ये राज्य सरकार की नीयत देखें।...(व्यवधान) ये सदन में गलत बात कह रहे हैं।

श्री नवजोत सिंह सिद्धू : मैं बिलकुल सही कह रहा हूं।...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, हर बात को यहां ड्रामेटाइज करने की जरूरत नहीं है। यह विषय प्रांतीय सरकारों का है। You do not have to dramatise everything here.… (*Interruptions*)

श्री कांति लाल भूरिया : महोदय, इन्हें सदन की मर्यादा को देखना चाहिए। … (*Interruptions*)

श्री नवजोत सिंह सिद्धू : मैं बिलकुल सही कह रहा हूं।...(व्यवधान) You are not allowing me to speak.

MR. CHAIRMAN: You have already spoken.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Nothing is going on record.

*(Interruptions)**

**Not recorded.*

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Sir, on the last occasion, the debate was over. It was mentioned specifically the other day that the debate is over. They only want to disrupt the proceedings.… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: I am allowing Shri Sidhu to put his question because he was the mover of the discussion.

… (*Interruptions*)

श्री नवजोत सिंह सिद्धू : महोदय, आप मुझे बोलने की आज्ञा नहीं दे रहे हैं। … (*Interruptions*)

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, एसटीएसी विषय पर चर्चा होनी है, फिर जीरो आवर होगा और फिर आधे घंटे की चर्चा की जानी है।...(व्यवधान) Sir, there is no system like that. The debate was concluded the other day.… (*Interruptions*)

श्री नवजोत सिंह सिद्धू : मैंने तब भी जिक्र किया था कि सरकार का खतरे को टालने का क्या प्रावधान है। हर साल लोग डूबते हैं और हर साल आप भरपाई करते हैं। आप लोग जिंदा आदमी का मोल नहीं लगाते हैं, लाशों का मोल लगाते हैं। छोटा-मोटा खर्चा करके खतरे को आने से पहले टाला जा सकता था। अगर पचास हजार मुआवजा बनता है, तो पांच हजार देकर टालमटोल करते हैं। आप खतरे को टालने का काम नहीं करते हैं।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: No more questions. There is no time further for the discussion. The hon. Minister may reply now. … (*Interruptions*)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: It was specifically announced on the last day that the debate was over and only the hon. Minister was to reply. … (*Interruptions*) It is not even listed for the day. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Only the hon. Minister's statement will go on record and nothing else.

*(Interruptions)**

MR. CHAIRMAN: Please sit down. The hon. Minister is on his legs. Otherwise, I will have to go the next item.

… (*Interruptions*)

---

*Not recorded.

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except the hon. Minister's reply.

(Interruptions) *

MR. CHAIRMAN : The hon. Minister is prepared to reply.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) *

MR. CHAIRMAN: If the Members are not interested, then I will go to the next item.

---

*Not recorded.

15.36 hrs.

(ii) SITUATION ARISING OUT OF INCREASING ATROCITIES AGAINST SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES IN THE COUNTRY – Contd.

MR. CHAIRMAN: Now, the House will take up item no. 14 – "Further discussion on the situation arising out of increasing atrocities against the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in the country raised by Shri Gopinath Munde on the 19th August, 2010."

Smt. Sumitra Mahajan.

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर): माननीय सभापति जी, इस विषय पर हमेशा कुछ न कुछ चर्चा होती ही है। कई मामले ऐसे होते हैं तो हम सदन में बात उठाते हैं, शोरगुल होता है और बात समाप्त हो जाती है। मैं एक-एक मामला तो नहीं उठाना चाहती हूं। इस देश के अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लिए आजादी के इतने सालों बाद कई योजनाएं चलाई जाती हैं और इनके उत्थान का प्रयास भी रहता है लेकिन कहीं न कहीं कोई गलती हो रही है। हमारे काम करने के तरीके या समझ में गलती हो रही है। मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगी लेकिन आज हम इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। साधारणतया देखा जाता है कि आदिवासी पर अत्याचार होता है, वह लड़की हो या लड़का लेकिन उम्र में छोटे होते हैं, उनकी अवस्था अध खिली कली जैसी होती है। यहां जो लोग बड़ी बातें कहते हैं और नारिवादी कहलाते हैं, उनके अपने राज्य की घटना, जो कि ताजी घटना है, का मैं उदाहरण दे रही हूं।

पश्चिम बंगाल वीरभूमि में घटना होती है, 16 साल की आदिवासी लड़की के साथ घटना होती है, उसे नग्न करके तीन-चार गांवों में घुमाया जाता है। यहां कई सीपीआई के लोग ऑनर किलिंग पर बड़े लंबे भाषण दे रहे थे और उनके अपने प्रदेश में घटना होती है। मैं चिंता दूसरी बात की प्रकट कर रही हूं कि घटना होने के बाद भी दखल नहीं दिया जाता है। घटना महीना भर बाहर आने से रोकी जाती है। मीडिया में महीने या डेढ़ महीने बाद बड़ी मुश्किल से बात उजागर हो जाती है। बात उजागर होने के बाद लोग सक्रिय हो जाते हैं और ढूंढना शुरू करते हैं। हमारी राष्ट्रीय मंत्री वहां उनसे मिलने गई थीं, देखने गई थीं लेकिन वहां आलम यह था कि कर्फ्यू जैसी स्थिति निर्मित कर दी गई थी। घरों में लोग नहीं थे, हो सकता है उन्हें बाहर भगा दिया गया हो। एक सम्पूर्ण दिवस पुलिस को साथ लेकर उस गांव में बात करने के लिए लोग ढूंढने पड़े, कोई बोलने तक के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद बड़ी मुश्किल से जानकारी मिलती है कि लड़की को किसी नारी निकेतन में

रखा गया है। जब वे उस लड़की से मिलने जाती हैं तो उस लड़की की स्थिति घायल परिंदे जैसी होती है। 16 साल की लड़की है लेकिन 16 साल में ही दीया बुझा दिया गया। मैं घटना का उल्लेख इसलिए कर रही हूं क्योंकि यह आगे की बात है कि इससे मन में एक डर पैदा होता है, सरकार द्वारा दखल किया नहीं जाता बल्कि बात दबाने की कोशिश होती है और कोई अरैस्ट नहीं होता है। यहां बड़ी-बड़ी बातें होती हैं।

लेकिन यदि ऐसी घटनाएं होती रहें तो यहां से जो हमारी राष्ट्रीय मंत्री गई थीं और उन्होंने उस लड़की की आंखों में जो भाव देखे, वह प्रश्न पूछ रही थी कि मेरा दोष क्या है? केवल किसी दूसरी जाति के लड़के से मेरा प्रेम था, यह संशय होने पर मेरी यह स्थिति हो जाती है। आप कल्पना कीजिए 16 साल की लड़की के साथ यह घटना होती है तो इसका परिणाम यह होगा कि या तो दीया बुझ जायेगा या दूसरी बात भी हो सकती है कि वह कल अग्निशिखा बनकर पूरे समाज से विद्रोह भी कर सकती है। आज सामाजिक विद्रोह की जो बातें हमारे सामने आती हैं, उसका नाम हम अलग-अलग देते हैं, उन्हें कभी नक्सलवाद कहते हैं और कभी कुछ कहते हैं या कभी ऐसी लड़की दस्यु बन जाती हैं अथवा पूरा समाज कहीं खौल उठता है तो एक भयावह स्थिति निर्मित हो सकती है। इस दृष्टि से इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं कोई पश्चिम बंगाल सरकार का दोष निकाल रही हूं, ऐसी नहीं है। लेकिन होता क्या है कि हम सभी लोग केवल चर्चा करते हैं। लेकिन उस लड़की को सामने रखकर मेरे मन में एक बात आई कि ऐसी अवस्था में एक साइकोलोजिकल ट्रीटमैन्ट भी आवश्यक होता है। समाज को भी अलग तरीके से ट्रीटमैन्ट मिल रहा है। आज कुछ बाहरी तत्व यहां आकर मूल निवासी की बात उठा रहे हैं और आदिवासी लोगों को भड़काया जा रहा है। यहां एक बात यह भी होती है कि मुक्ति तत्व ज्ञान अभियान की बात फैलाकर भी इन लोगों में अलगाववाद पैदा किया जा रहा है। उसमें यदि इस प्रकार की घटनाएं होती रहीं तो हिंदुस्तान की जो एकरसता है, उस एकरसता पर प्रहार होता है।

महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि सरकारी योजनाएं बहुत सारी लागू की गई हैं। जिन पर करोडों रुपये खर्च होते हैं। मैंने स्वयं अनुभव किया है, मैं सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमैन्ट की स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन थी। मैं अलग-अलग प्रदेशों में जाती थी और पूछती थी कि कितने करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं। मुझे करोड़ रुपये तो बताये जाते थे। फिर मैं पूछती थी कि सक्सैज स्टोरी तो बताओ, कितने लोग जो बीपीएल श्रेणी में थे, जिनके लिए योजना शुरू की गई थी, ऐसे आदिवासियों या ऐसे अनुसूचित जाति और जनजातियों के लोगों में से कितने लोग तुम्हारी योजना के कारण बीपीएल से ऊपर उठ गये? इसका कोई रिकार्ड नहीं है। जितने करोड़ खर्च किए गए, उस अनुपात में कितने लाभार्थी हैं और लाभार्थियों में सक्सैज स्टोरी क्या है। कोई ढंग का रिकार्ड नहीं है। करोड़ रुपये सरकार के खर्च हो जाते हैं, लेकिन फिर भी यह जो सामाजिक एकता की बात है, उसके लिए कोई प्रयास नहीं होते। ऐसे बाहरी तत्व यहां आकर अलगाववाद फैला रहे हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं

होता। मुझे केवल इतना ही कहना है कि हम इन घटनाओं का उल्लेख करते हैं कि कहां ज्यादती हुई, उस समय हम उनका उल्लेख कर देते हैं, उसके बाद कुछ मुआवजा दिया जाता है। कुछ लाख रुपये का मुआवजा देकर जो टूटी हुई जिंदगी है, जो टूटा हुआ व्यक्तित्व है, जो टूटा हुआ समाज है, क्या वह समाज फिर से खड़ा हो सकता है?वह टूटी हुई जिंदगी, जो मानसिक रूप से टूट जाती है, क्या वह फिर से ठीक तरीके से एक अच्छा सिटीजन बनकर खड़ी हो सकती है, यह सोचने वाली बात है और इस दृष्टिकोण से इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। इसमें साइकोलोजिकल ट्रीटमैन्ट भी बहुत आवश्यक है। यह मेरा कहना है। केवल नारी निकेतन में ऐसी लड़की दो साल के लिए रही और फिर वह बाहर आई तो क्या वह और उसका परिवार उस हादसे से बाहर आ सकता है? मेरा इतना ही कहना है कि केवल एट्रोसिटीज के कुछ उदाहरणों का उल्लेख करने से काम नहीं चलेगा। यह हमारे समाज का अंग है और कहीं वह सड़ न जाए, वह किसी भी तरीके से कहीं दुर्बल न हो जाए, इस दृष्टि से इस सारी बातों की तरफ यदि हम देखेंगे तो मुझे लगता है कि ज्यादा उचित रहेगा। धन्यवाद।

श्री अशोक तँवर (सिरसा): सभापति महोदय, इस गम्भीर मुद्दे पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान की आबादी की लगभग एक-चौथाई आबादी दलित और आदिवासियों की है। यह मुद्दा उनकी गरिमा और उनके स्वाभिमान के साथ जुड़ा हुआ है।

सभापति महोदय, पिछले सप्ताह 20 अगस्त को इस मुद्दे पर चर्चा शुरु हई थी । कई माननीय सांसदों ने अलग-अलग मुद्दों पर चर्चा की। मैं समझता हूं कि दलितों पर अत्याचार की समस्या देश की समस्या है। अगर हम समय रहते इस समस्या का समाधान कर लेते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम आयेंगे। आज हम सब लोग बात करते हैं कि हिन्दुस्तान 21वीं सदी का उन्नत राष्ट्र है। अगर दलितों की समस्या का समाधान नहीं होता तो हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। इस मुद्दे पर समय समय पर हर लोकसभा के टेन्योर में चर्चा होती रही है। दलितों पर केवल अत्याचार का एक मामला नहीं है बल्कि उन पर कई तरह के अत्याचार होते हैं। नौकरी में नौकर पर, मज़दूर पर मज़दूरी में, गांव या शहर हो रात-दिन हर समय कहीं न कहीं इस तरह की घटनायें पूरे हिन्दुस्तान में देखने को मिलती हैं। आज यह हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की घटनाओं को रोकें। हम सब अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुये पूरे हिन्दुस्तान का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज हिन्दुस्तान का कोई ऐसा भू-भाग नहीं है, कोई ऐसी कांस्टीटुवंसी नहीं है जहां दलितों या आदिवासियों की आबादी न हो । इस देश में जहां दलितों पर आत्याचार होते हैं, उन्हें रोकने का काम हमारे प्रशासन का भी है, राज्य की अलग-लग सरकारों का दायित्व भी है। इसमें राजनीति करने की कोई बात नहीं है। मेरे ख्याल से इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिये क्यों कि यह देश और समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा है।

सभापति महोदय, मैं इस सदन का आयु में सब से छोटा अनुसूचित जाति का सदस्य हूं। जो अधिकार हमें संविधान के माध्यम से दिये गये हैं, जो अधिकार हमें कानून के माध्यम से दिये गये हैं, उनका उपयोग अनूसचित जाति एवं अनुसूचित जाति के अधिकारों की रक्षा के लिये करना चाहिये। उन कानूनों के माध्यम से हमें जो सुरक्षा दी गई है, उन पर उचित कार्यवाही होनी चाहिये। सदन में उन पर बहस होनी चाहिये। में एक कवि की कविता की कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा -

'नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न-भिन्न कर डालो'
'लेकिन पंख दिये हैं तो,व्याकुल उड़ान में विघ्न न डालो।'

जो व्याकुल उड़ान में दलित समाज या जो हमारे अनुसूचित जनजाति से हैं, उन्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं, वह इस देश के लिये ठीक नहीं है, समाज के लिये ठीक नहीं है। इसलिये मैं इस सदन के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि हमें इसके लिये ठोस रणनीति तैयार करनी चाहिये, एक एक्शन प्लान तैयार करना चाहिये जिससे हम कह सकें कि आजादी के इतने साल बाद हम कुछ कर पायें हैं। हमारे समाज में जाति व्यवस्था दो-तीन हजार साल पुरानी है, उस व्यवस्था में सुधार लाने की आवश्यकता है। ऐसी व्यवस्था को टूटने

में समय लगता है। संविधान और कानून-व्यवस्था के माध्यम से हिन्दुस्तान की जो सरकारें रही हैं, चाहे किसी दल की रही हो, इस बात को लेकर हम उनका समर्थन करेंगे जिन्होंने इस बात की अपनी तरफ से पहल की । लेकिन जो मानसिकता है, उसे बदलने की जरूरत है, उसके व्यवहार को बदलने की आवश्यकता है। आज जागरूकता और बढ़ाने की जरूरत है। अगर हम इसे अच्छे तरीके से कर पायेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम इस समस्या का बेहतर ढंग से समाधान कर सकेंगे।

सभापति महोदय, मेरे पास टाइम्स ऑफ इंडिया 25.06.2009 की कटिंग है जिसमें लिखा है- "*Dalit* kids cannot use school loo but have to clean them." तो बच्चों से लेकर जब इस तरह के अत्याचार हैं, तो मैं समझता हूं कि जैसा आगे दिया गया है- "Survey Lists Caste Bias as Cause for Higher Dropout Rate."

इसमें बिहार और दूसरे प्रदेशों का जिक्र आया है। मैं यहां प्रदेशों की चर्चा न करके एटीट्यूट और किस सैक्शन को यह प्रभावित करता है, उसके बारे में यहां पर चर्चा कर रहा हूं। मैं समझता हूं कि यह मानवाधिकारों का भी हनन है।

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

SHRI ASHOK TANWAR : Sir, this is my maiden speech. So I request you to give me a little more time.

MR. CHAIRMAN : You may speak for one more minute.

श्री अशोक तँवर : इसके साथ ही साथ आज यहां बाढ़ और सूखे की भी चर्चा हुई। मैं उस विषय में भी कहना चाहूंगा। कुछ दिन पहले अपने निर्वाचन क्षेत्र में फ्लड के दौरान मैंने व्यक्तिगत रूप से महसूस किया और उसके बाद जो केसेज़ सामने आये कि बाढ़ के दौरान जो गरीब आदमी होता है, उसकी जमीन पर कुछ पॉवरफुल लोग कब्जा कर लेते हैं। इस तरीके के जो इंसीडेंट्स हैं, मैं समझता हूं कि इलेक्टिड रिप्रजेंटेटिव भी और एडमिनिस्ट्रेशन की भी, क्योंकि बाढ़ के दौरान गरीब आदमी की झोपडी बह जाती है, उसे खेत-खेलिहान छोड़कर जाना पड़ता है, ऐसे में हम सबकी जिम्मेदारी है कि बाढ़ के तुरन्त बाद अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं, एट्रोसिटीज होती हैं, कहीं किसी की जमीन पर कब्जा होता है तो मैं समझता हूं कि हमें पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर उसे छुड़वाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैं अपने प्रदेश और जो अन्य प्रदेशों की भी चर्चा करना चाहूंगा। अभी पिछले दिनों बृजपुर में, हमारे हिसार जिले में एक इंसीडेंट हुआ।

MR. CHAIRMAN : Please conclude now.

श्री अशोक तँवर : महोदय, मेरा भाषण काफी लंबा हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जो कुछ मेरे मोटे तौर पर सुझाव हैं, उन्हें मैं सदन के समक्ष रखना चाहूंगा। Change in people's thought, attitude and behaviour. This is also a part of social engineering, this is also a way of social engineering. Dr. Ambedkar and Gandhiji started this. Gandhiji started Harijan Sewak Sangh to change the minds and hearts of the people and recognized that behaviour and morality of the people should be accordingly changed. पीछे यह एजेंडा बैक बर्नर पर चला गया। हमें इस एजेंडे को आगे लेकर आना है।

MR. CHAIRMAN : Please conclude now.

श्री अशोक तँवर : मैं सोशल वैलफेयर मिनिस्ट्री से गुजारिश करूंगा कि यह जो हमारा सोशल एवेयरनैस का एजेंडा है, इसे आगे लेकर आये और इसे स्टेंथेन करें। जो कस्टमरी लॉज हैं, स्टाइल ऑफ पनिशमेंट हैं, मैं समझता हूं कि उन्हें चेंज करने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ, वैसे तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN : Shri Premdas Kathria will speak now. Hon. Member, please restrict your speech to only four minutes.

श्री प्रेमदास (इटावा): महोदय, आपने मुझे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उत्पीड़न पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जितने भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पर उत्पीड़न हो रहे हैं, वे पूरे देश में किसी से छिपे नहीं हैं। हमारे अम्बेडकर साहब ने कहा था कि कानून कितना भी अच्छा बनाया जाये, अगर उसे चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो कानून सबसे खराब होगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पिछली बार इस पर कई घंटे तक चर्चा हुई थी, लेकिन आज फिर हम लोग संक्षिप्त चर्चा करने के लिए खड़े हुए हैं। आपने मुझे बोलने के लिए कम समय दिया है। पूरे देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पर उत्पीड़न के आंकड़े सामने आये हैं और उनमें उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। मैं उन आंकड़ों पर नहीं जाना चाहता हूं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अम्बेडकर साहब के बाद अगर किसी ने हरिजनों के उत्थान के लिए बात की है तो वह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी ने की है। पंचायतों से लेकर जिला पंचायतों तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को सरपंच, अध्यक्ष, ब्लांक प्रमुख बनाने का काम, प्रधान बनाने का काम नेता जी ने किया। हमारे तमाम साथी बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। सदन अपनी बात रखने का सबसे बड़ा माध्यम है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि उत्पीड़न, अत्याचार, अन्याय वहां होता है, जहां गरीबी होती है, जहां अल्पसंख्यक लोग होते हैं, जहां कमजोर लोग होते हैं, जहां अशिक्षा होती है। अगर इसे समाप्त करना है तो इस सरकार को शिक्षा के बारे में, रोजगार के बारे में और गरीबी हटाने के बारे में कुछ न कुछ मजबूत प्रयास करने पड़ेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज सदन ने इस विषय पर चर्चा करने का प्रस्ताव रखा। मैं कहना चाहूंगा कि लोहिया जी ने कहा था कि एक बड़ी रेखा है और एक छोटी रेखा है। अगर बड़ी रेखा को काटोगे तो लोग विरोध करेंगे, छोटी रेखा को आगे बढ़ा दोगे तो समानता आयेगी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि गरीब को ऊपर लेकर आना है। इस देश में जितनी अमीरी और महंगाई की वजह से गरीबों पर अत्याचार हो रहे हैं, इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। मैं अपनी बात एक शेर के साथ खत्म करना चाहूंगा -

" अगर इस वतन के किस्से सुनाने लगेंगे, तो पत्थर भी आँसू बहाने लगेंगे।
अगर हम सब लोग यह भूल गए, तो इस सभा को बनाने में ज़माने लगेंगे।"

श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर): सभापति जी, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विषय में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं लेकिन आज़ादी के 62 वर्षों बाद विषमतावादी समाज की विचारधाराओं के कारण ही हमारे संविधान की जो समतामूलक समाज बनाने की इच्छा है, वह आज पूरी नहीं हुई। इसके पीछे एक कारण है कि जिनको विषमतावादी समाज से लाभ है, उन्हीं के हाथ में विषमतावादी समाज से प्रताड़ित होने वाली इन जातियों के कल्याण का काम रहा। मैं बात को आगे न बढ़ाकर कहना चाहता हूँ कि केवल कड़े कानून बना देने मात्र से ही हम एस.सी. और एस.टी. के अधिकारों को नहीं दे सकते और न उनके उत्पीड़न को रोक सकते हैं। इसे जन-आंदोलन बनाना होगा और जन-आंदोलन इसलिए बनाना होगा चूँकि विषमतावादी समाज की व्यवस्थाओं के कारण इन जातियों की यह गति हुई है। इसलिए इन जातियों को संपूर्ण समाज को कानून के साथ-साथ आगे बढ़कर गले लगाना होगा। जब तक इनको हम गले नहीं लगाएँगे, तब तक इनके लिए बनने वाली योजनाओं को हम आगे नहीं ले जा सकते।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि समतामूलक समाज बनाने की ओर बाबासाहब बी.आर.अंबेडकर, छत्रपति शाहूजी महाराज, स्वामी पेरियार, नारायण गुरु आदि लोगों ने एक बार कोशिश की थी। बाबा साहब बी.आर.अंबेडकर ने लंदन में इनके लिए कोशिश की थी कि हमारे ही देश में कितने दुर्भाग्य के बाद जिन लोगों ने चर्चा की थी कि हमारे देश में वोट देने का अधिकार वकील और मुख्तार को होगा, आज़ाद भारत में वोट देने का अधिकार केवल बड़ी खेती वालों को होगा, आज़ाद भारत में वोट देने का अधिकार केवल राजा-महाराजाओं को होगा, अकेले बाबासाहब बी.आर.अंबेडकर ने संपूर्ण एस.सी. और एस.टी. जातियों को वोट दिलाने और महिलाओं को वोट दिलाने का काम किया।

महोदय, पूरे देश में एस.सी. और एस.टी. की जातियों को मांगने वाला समाज बना दिया गया था। मैं दावे से कहना चाहता हूँ कि आज केवल उत्तर प्रदेश में बहन मायावती के नेतृत्व में यह मांगने वाला समाज देने वाला समाज बना है, बाकी पूरे देश में यह मांगने वाला समाज आज भी मांगने वाला समाज ही बना हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी भी यहाँ बैठे हैं। 1831 में जनगणना होती है और उस जनगणना में अंग्रेज़ी भाषा का उपयोग होता है। अंग्रेज़ी भाषा में वोट को हम कहीं वोट कहते हैं और कहीं पर उच्चारण में उसे भोट कहते हैं। आज भी पूरे देश में एस.सी. और एस.टी. की हज़ारों जातियाँ उच्चारण के कारण एस.सी. और एस.टी. में होते हुए भी जाति प्रमाण-पत्र के लिए तरस रही हैं। केवल उच्चारण की गलती के कारण ऐसा हो रहा है। मैं जिस राजभर समाज से आता हूँ, वह राजस्थान में एस.टी. है, छत्तीसगढ़ में एस.टी. में है, मध्य

प्रदेश में एस.टी. में है और अंग्रेज़ी में जब *भर* लिखेंगे तो *bhar* लिखेंगे, महाराष्ट्र में उसको भार उच्चारित करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि इसी तरह से तुरहा जाति है। जब अंग्रेज़ी में उसे पढ़ते हैं तो तुरया पढ़ते हैं। इसी तरह से खरवाड़ जाति है, उसको अंग्रेज़ी में खरवार पढ़ सकते हैं। पूरे देश में ऐसी अनेक जातियाँ हैं जो एस.सी. और एस.टी. में होने के बावजूद भी उच्चारणों की गलती के कारण मानी नहीं जातीं। क्योंकि हमारी एक मानसिकता है और संविधान में जो नोटिफिकेशन है, उसमें जाति का शब्द कुछ हो सकता है, लेकिन समाज ने एक नाम दिया है। अगर हम 'भर' हैं तो बोलचाल में उसे भरवा कहा जाता है, अगर हम पासी हैं तो बोलचाल में उसे पसिया कहा जाता है, अगर हम ब्राह्मण हैं तो बोलचाल में उसे बाभन कहा जाता है। बोलचाल के नाते इन जातियों की जो दुर्गत हो रही है, जाति प्रमाण-पत्र नहीं मिलने के कारण इन सबका विकास रुका हुआ है।

अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि यदि सही मायनों में इनको आगे ले जाना है तो उत्तर प्रदेश की तर्ज पर भारत सरकार पूरे देश में एक शासनादेश जारी करे कि जितनी भी विकास की योजनाएँ हैं, उन योजनाओं को इन दलित एस.सी. और एस.टी. के मोहल्ले से शुरू करेंगे।

16.00 hrs.

आज केवल उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों का कोटा बैकलॉग पूरा किया गया। क्यों नहीं, भारत सरकार फरमान जारी करती है कि चाहे जितने विभाग हैं, उनमें जो एससी, एसटी का कोटा बाकी है, उसे टाइमबाउण्ड प्रोग्राम करके पूरा किया जाएगा। जितनी विकास की योजनाएं बनें, वह इनकी भागीदारी से बनें। आज एडमिशन में अधिकारी 6 महीने और एक साल तक सीट खाली रखते हैं, एसटी और एससी की सीट खाली रखते हैं, ताकि उसे सामान्य बनाकर दूसरे लोगों को भर सकें। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री भूदेव चौधरी (जमुई): सभापति महोदय, आपने मुझे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संबंध में बोलने के लिए अनुमति दी, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आजादी के 63 वर्षों के बाद भी इस देश की सर्वोच्च पंचायत में अनुसूचित जाति और जनजाति के उत्पीड़न के संबंध में चर्चा हो रही है, यह मेरे और देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है।

महोदय, जिस देश में एक चौथाई हिस्सा, एक चौथाई आबादी एससी और एसटी की रहती हो, उस देश में उसके उत्पीड़न की चर्चा इस सदन में हो, यह मुझे बहुत ही शर्मनाक लगता है।

महोदय, यह बात सही है कि आज गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी के चलते दलितों की समस्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वर्ष 1947 के पहले जिस स्थिति में दलित और अनुसूचित जाति के लोग थे, उसका मूल कारण गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी है। मैं जिस इलाके से आता हूं, बिहार का जमुई लोक सभा क्षेत्र, वह एक सुरक्षित क्षेत्र है। वहां नक्सलवाद भी पनप रहा है। लोग कहते हैं कि वहां उसका सैन्टर है। मैंने करीब से देखा है कि किस तरह से गरीब की हालत दयनीय है। उनको भरपेट खाना और कपड़े नहीं मिलते हैं। यदि गांव में दस-बीस घर हैं, तो विकास की दृष्टि उन तक नहीं जा पाती है। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं, क्योंकि केन्द्र सरकार की यह जवाबदेही है, हर राज्य केन्द्र का अंग है, हर राज्य उनके हाथ-पांव हैं। यदि हाथ-पांव सुरक्षित नहीं होंगे तो यह शरीर किसी काम का नहीं है।

महोदय, मैं इतिहास की तरफ ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि - "वह फुटपाथ पर सोया था, वह फुटपाथ पर पड़ा था, वह भूख से मरा पड़ा था और जब कफन उठाकर देखा तो उस कफन के नीचे जिंदाबाद लिखा हुआ था।"

महोदय, मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं - "छेड़ने से मुख भी वाचाल हो जाता है। टूटने से शीशा भी काल हो जाता है। इस तरह दलितों को मत छेड़ो, वरना जलने से कोयला भी लाल हो जाता है।"

16.04 hrs. (Dr. Girija vyas in the Chair)

महोदया, जिस तरह से दलित की महिलाएं ईंट-भट्टे पर काम करने आती हैं, जंगलों में वह पत्ता और महुआ चुनने आती हैं, उनका जिस प्रकार से शोषण और अन्याय होता है, उसकी कहीं सुनवायी नहीं होती है। मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि यदि आप दलितों का उद्धार चाहते हैं, अनुसूचित जनजाति का उद्धार चाहते हैं तो उसके लिए अलग से योजनाएं बनाने की आवश्यकता है। बिहार सरकार ने उन दलितों का सर्वे कराया, उन दलितों में भी जिनकी हालत जरजर थी, जो निरीह थे, जो समाज से टूटा हुआ था, जो मुख्यधारा से अलग था, उनका सर्वे करा के बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नितीश कुमार ने महादलित आयोग का गठन किया है और उसी की तर्ज पर विशेष पैकेज और सुविधा देकर दलितों को मुख्य धारा में लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम केन्द्र सरकार से मांग करते हैं कि जिस तरह बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री ने महादलित आयोग का गठन

किया है। दलित और अनुसूचित जनजाति के उद्धार और उत्थान के लिए एक नये पैकेज का प्रावधान करें, तभी अनुसूचित जाति एवं जनजाति का उद्धार संभव है।

सभापति महोदया, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

***श्री नारनभाई कछाड़िया (अमरेली):** महोदया सबसे पहले मैं आपको और हमारे पार्टी के मुंडे जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण विषय पर संसद में चर्चा उठाई है ।

महोदया आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में कुल जनसंख्या का एक चौथाई जनसंख्या अनुसूचित जाती और जनजाती कि संख्या है, और यह वे लोग हैं जो वर्षों से जंगलों में, पहाड़ों में, नदियों के किनारे रहते आ रहे हैं । और इन्हें समाज से दूर रहने के कारण इसका समाजिक बौद्धिक एवं नैतिक ज्ञान का विकास नहीं हो पाया है ।

महोदया यह एक बहुत दुख की बात है कि इन्हें एक मनुष्य होते हुए भी एक जानवर जैसी जिन्दगी जीना पड़ रहा है, और न इन्हें न अपने अधिकार के बारे में पता है और न ही अपने देश की कानून व्यवस्था के बारे में । इन्हें भी एक मनुष्य होने के नाते एक मनुष्य कि जिन्दगी जीने का अधिकार है । और इसके लिए हमें इन्हें समाज के मुख्यधारा से जोड़ना होगा ।

महोदया मैं जानता हूँ सरकार ने इन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए बहुत सारी नीतियां बनाई हैं लेकिन यह नीतियां केवल पेपर तक ही सीमित है, और इन्हें वास्तविक रूप से देखा जाय तो इसका परिणाम कुछ नहीं आता है । मैं जानता इसके नीतियों में प्रत्येक वर्ष संशोधन हाता रहता है और कुछ न कुछ लोग समाज के मुख्य धारा से जुड़ते भी रहते हैं ।

महोदया लेकिन यह कोई ठोस कदम नहीं है और यदि ऐसा सिलसिला चलता रहा तो देश में कभी भी इनकी संख्या में कमी नहीं आएगी और चार जुड़ेंगे तो आठ पैदा होंगे और यह सिलसिला चलता रहेगा । हमलोग नक्सली की बात करते हैं, नक्सली का काम कौन करता है, जब एक आम इंसान के पास कुछ खाने के लिए नहीं रहेगा तो वह किसी से चोरी या तो डकैती करेगा ।

महोदया इस समस्या का स्थाई रूप से निवारन करने के लिए सरकार को एक ठोस कदम उठाने की जरूरत है, और सरकार की जितनी भी नीतियां हैं उस नीति को पेपर तक नहीं बल्कि उसे लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा और ऐसे लोगों को मुख्य धारा में जोडो नाम का एक सीमित अवधि तक अभियान चलाना होगा । और स्पेशल पिछड़े लोगों के लिए एक भावी रोजगार की व्यवस्था करनी पड़ेगी तभी इस समस्या का अंत हो सकता है ।

---

*Speech was laid on the Table

***श्री राम सिंह कस्वां (चुरू):** महोदया दलितों के खिलाफ होने वाले मामलों में कमी नहीं आ रही है । दलितों को निशाना बनाए जाने के मामले में कोई भी राज्य पीछे नहीं है । आश्चर्यजनक बात तो यह है कि दलितों के खिलाफ अपराधिक मामले उन राज्यों में बढ़ रहे हैं जहां सत्ता में दलितों की अच्छी खासी भागीदारी है जो सरकार दलित के नाम पर बनी है राज्य की मुख्यमंत्री दलित है मुख्यमंत्री खुद दलित कह कर वोट मांगती है लेकिन उनके राज्य में दलितों के खिलाफ सर्वाधिक मामले दर्ज हुए हैं और ऐसे मामले साल दर साल बढ़ते ही जाते हैं । देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में दलितों की हिस्सेदारी 21 फीसदी है इनकी बड़ी आबादी का वोट बैंक के तौर पर कुछ पार्टियां इस्तेमाल करना चाहती हैं लेकिन उनके हक और हित की चिंता इन दलों को नहीं है ।

दलितों के खिलाफ जितने मामले दर्ज होते हैं उससे कई गुना ज्यादा मामले वास्तविकता में होते हैं जो दर्ज नहीं होते हैं दरअसल दलितों को निशाना बनाए जाने के पीछे समाज की सदियों से पुरानी मानसिकता काफी हद तक जिम्मेदार है । इसी मानसिकता का नतीजा है कि दलितों के खिलाफ अपराधिक मामलों को अंजाम दिया जाता है । खास बात यह है कि यह आंकड़े सरकार की निगाह में होने के बावजूद स्थिति बदलने में कुछ खास नहीं किया जा रहा है । संयुक्त राष्ट्र ने चौका देने वाले कुछ आंकड़ों और निष्कर्षों के साथ एक रिपोर्ट जारी की है । इसमें कहा गया है कि भारत में दलित और खासकर दलित महिलाओं को पूरी तरह से हाशिये पर धकेल दिया गया हे । सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हर 18वें मिनट कोई न कोई दलित अत्याचार का शिकार होता है ।

दलित अपराध में दूसरा नम्बर आंध्र प्रदेश का है । राजस्थान भी दलित अपराध में पीछे नहीं है । राजस्थान तीसरे स्थान पर है । अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम 1989 की धारा चार ऐसे अधिकारियों को दंडित करने व कर्त्तव्य में लापरवाही के लिए जेल भेजने की अनुशंसा करती है । इन प्रकरणों की जांच डी.एस.पी. कैडर का अधिकारी करता हे । कुछ मामलों में एस.एस., एस.टी. के अधिकारी होने के बाद भी राजनैतिक दबाव, लालचवश इन मामलों को खत्म कर दिया जाता है । कई मामलों में निर्दोष लोगों को भी फंसाने का काम किया जाता है । यह अधिकारी का धर्म और कर्त्तव्य है कि अत्याचार करने वाले को बचाए नहीं । निर्दोष को फंसाए नहीं लेकिन यह हो रहा है ।

सरकार को इस मामले में सख्ती से कार्यवाही करनी चाहिए ।

* Speech was laid on the Table

डॉ. संजीव गणेश नाईक (ठाणे): सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा कि आज इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है और सदन में बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं। आजादी के 63 साल बाद भी आज यही बात हो रही है। मैं समझता हूं कि उस वक्त हमारे बहुत कम सांसद होंगे, जो दलित समाज एवं पिछड़ी जाति के होंगे। हर राज्य में यह समस्या उठ रही है। एक ज़माना था, जब हम पेपर में पढ़ते थे और आज हम टी.वी. पर देख रहे हैं। आज पूरा देश इस बात को देख रहा है कि इन राज्यों में ये घटनाएं हो रही हैं। वहां सत्ता पक्ष किसी भी पार्टी का हो, लेकिन इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, सदन के सभी माननीय सदस्यों से मेरी विनती है। मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है, जहां अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के लोग न रहते हों।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये हम सब की और समाज की जिम्मेदारी है, पता नहीं हम कितने दिन तक सदन में रहने वाले हैं। हम जब बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि हर वर्ग के पिछड़ी जाति के लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, सिर्फ अत्याचार हो नहीं रहे, बल्कि बढ़ रहे हैं। समाज के कुछ ऐसे बलशाली लोग हैं, जो इनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। मैं चाहूंगा कि इस बारे में सही पहल होनी चाहिए और ये अत्याचार कम हों, इसके लिए हमें ऐसी चीज को सामने लाना चाहिए, मैं आगे के पचास-सौ साल की बात कर रहा हूं। मैं समझता हूं कि अगर हम इनके बारे में नहीं सोचेंगे तो निश्चित रूप से आने वाला समय हमें कभी माफ नहीं करेगा।

सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): सभापति महोदया, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने की अनुमति दी, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं सीधा इस विषय पर आता हूं कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति पर बढ़ते हुए अत्याचार और अनाचार पर नियम 193 के तहत जो चर्चा हो रही है, उसमें मैं आपके माध्यम से सरकार को कुछ सुझाव देना चाहता हूं, मैं चाहूंगा कि सरकार भी उन पर अवश्य विचार करे।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति पर अत्याचार होते हैं, वे कई विषयों से संबंधित हैं। पहला मैं सबसे बड़ा समझता हूं कि स्वाभिमान से संबंधित है। स्वाभिमान से संबंधित जो घटनाएं होती हैं - जैसे दूल्हे को घोड़ी से उतार लिया, इस तरह की दुर्घटनाएं स्वाभिमान से संबंधित होती हैं। समाजिक समानता से संबंधित भी कुछ दुर्घटनाएं होती हैं - जैसे मंदिर में प्रवेश की घटना, मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया, रोक दिया, ये समाजिक समानता से संबंधित हैं। इस देश में कुछ माइंड सेट से संबंधित घटनाएं होती हैं - जैसे मिड-डे-मील में खाना बना और उसे किसी ने नहीं खाया। शादी समारोह में गए और वहां खाना नहीं खाया, ये माइंड सेट से संबंधित घटनाएं हैं। कुछ अत्याचार से संबंधित घटनाएं हैं - जैसे अभी हरियाणा में मिर्चपुर की घटना हुई, अन्य भी कई जगह घटना होती है, ये अत्याचार से संबंधित घटनाएं हैं।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आजादी के 63 वर्ष बाद भी हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, ये घटनाएं रुकती क्यों नहीं हैं? मैं सरकार को इस संबंध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं चाहता हूं, जैसे अभी सभी माननीय सदस्यों ने कहा कि डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने एक सूत्र दिया था कि हमें राजनीतिक आजादी मिल गई है, लेकिन जब तक सामाजिक और आर्थिक आजादी नहीं मिलेगी, तब तक राजनीतिक आजादी अधूरी रहेगी, हमें इस विषय पर सदन में ज्यादा विचार करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले माइंड सेट चेंज करने की जरूरत है और अपराधों में बढ़ोतरी का जो बड़ा कारण गैर-बराबरी है, केवल कानून के सहारे यह संभव नहीं है। अत्याचारों का निस्तारण शीघ्र हो, न्यायालयों में पृथक से समरी ट्रायल हो, बर्डन ऑफ प्रूफ दलित पर न होकर सामने वाली पार्टी पर हो, इंडियन एविडेंस एक्ट में भी ऐसा संशोधन होना चाहिए, मेरा ऐसा सुझाव है।

सभापति महोदया, मैं दूसरा सुझाव यह देना चाहता हूं कि जिस जिले में घटनाएं होती हैं, उस जिले में जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और एस.पी. है, वह भी रेस्पोंसिबल होने चाहिए। आज ज्यादातर जब ये घटनाएं होती हैं तो एसडीएम, तहसीलदार या किसी डीएसपी को सस्पैंड कर देते हैं और बड़े अधिकारी इसमें बच जाते हैं। ये जो बचने की प्रवृति है, इस पर रोक लगनी चाहिए।

किसी जिले में जिंदा जलाने, घोड़े से दूल्हे को उतारने की घटना, बलात्कार की घटना, और साथ में मौत की घटना होने पर एस.पी. और जिला कलैक्टर को दोषी ठहराया जाना चाहिए, ऐसा इसमें मेरा मानना है।

दूसरा, मैं यह कह रहा हूं कि जनसंख्या के अनुपात में जे.डी.ए., डी.डी.ए., हाऊसिंग बोर्ड, यू.आई.टी., म्यूनिसिपैलिटी और कितने भी बोर्ड हों, उनमें दुकानों और मकानों का आबंटन जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण के साथ होना चाहिए। अभी उसमें वह नहीं है, जबकि वह जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए। सेना, न्यायपालिका, विश्वविद्यालय, राज्य सभा, विधान परिषद् और प्राइवेट सैक्टर में आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। संविधान में 85वें संशोधन तो हमने कर दिया और रिजर्वेशन इन प्रमोशन लागू कर दिया। जब एन.डी.ए. की गवर्नमेंट थी तो संविधान में संशोधन हुआ और 16(4)(ए) अनुच्छेद संविधान में जोड़ा गया, लेकिन इसमें फिर भी न्यायालयों के निर्णयों के कारण और पूरी व्याख्या नहीं होने के कारण वह लागू नहीं हो रहा है।

मैं राजस्थान से आता हूं। अभी हमारे यहां पर ग्रुप बी, डी और ग्रुप ए में भी प्रमोशन नहीं हो रहा है। उसका कारण यह है कि एक एम.नागराज का केस 19.6.2006 को आया है। यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइडेड है। उसमें उन्होंने तीन चीजें बताई हैं। पहला-सोशल बैकवर्डनैस तय करो। अगर आप प्रमोशन इन रिजर्वेशन लागू करना चाहते हो तो सबसे पहले सोशल बैकवर्डनैस तय करो। दूसरा-उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति और जनजाति का एडीक्वेट रिप्रेजेण्टेशन है या नहीं, यह तय करो। तीसरा-उन्होंने बताया कि इन लोगों में इनएफीसिएंसी होती है, इसलिए इसको कैसे ठीक करोगे।

मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 में एक नेशनल कमीशन बनाने का प्रावधान है और उसकी हर साल रिपोर्ट प्रस्तुत होती है तो सोशल बैकवर्डनैस तय करने में सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा। सोशल वैकवर्डनैस तो तय हो ही जाती है और यह सब जानते हैं कि एस.सी. और एस.टी. सोशली बैकवर्ड हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट को यह निर्देश देने की कहां जरूरत है। दूसरा, मैं यह कहना चाहता हूं कि एडीक्वेट रिप्रेजेण्टेशन है या नहीं है, इस संसद में कई बार इस पर चर्चा हुई है और कई बार लोगों ने कहा है कि एस.सी. और एस.टी. का जो रिजर्वेशन है, वह परसेंटेज नहीं भरा गया है। यह सब को पता है। एस.सी. एस.टी. कमीशन की जो रिपोर्ट आती है, उसमें भी यह है तो फिर यह नया नियम उन्होंने कहां से लागू कर दिया कि एडीक्वेट रिप्रेजेण्टेशन है कि नहीं, यह पता करो। तीसरा उन्होंने कह दिया कि इनएफीसिएंसी है, मैं कहना चाहता हूं कि इनएफीसिएंसी का आधार उन्होंने खाली ए.सी.आर. से लिया। मेरा यह मानना है कि अनुसूचित जाति के कर्मचारी की और अधिकारी की ए.सी.आर. भरते समय पता नहीं क्या कारण होता है कि कभी ए.सी.आर. अच्छी भरी ही नहीं जाती है। जब ACR अच्छी नहीं भरी जाती है तो कैसे कह सकते हो कि वह कैपेबल नहीं है, इसलिए यह आधार भी ठीक नहीं है। मैं इसमें कहना चाहता हूं कि और

एट्रोसिटीज़ तो हो ही रही हैं, लेकिन इस सिस्टम में ज्यूडीशियल एट्रोसिटी भी हो रही है। उस ज्यूडीशियल एट्रोसिटी को ठीक करना बहुत जरूरी है। 16(4)(ए) में रिजर्वेशन इन प्रमोशन इसी सदन ने लागू किया, फिर भी अभी तक वह लागू नहीं है। अलग-अलग न्यायालय अलग-अलग निर्णय दे रहे हैं और उसकी व्याख्या कर रहे हैं और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं।

मैं अगला बिन्दु आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि जैसे आई.ए.एस. और आई.पी.एस. की सर्विसेज़ होती हैं, इनके लिए ऑल इंडिया ज्यूडीशियल सर्विस गठित क्यों नहीं हो रही है। लॉ कमीशन ने रिपोर्ट दे दी, लेकिन वह गठित इसलिए नहीं होती, क्योंकि जैसे ही इंडियन ज्यूडीशियल सर्विस बनेगी, एस.सी. एस.टी. का रिजर्वेशन होगा। ज्यूडीशियरी के लोग नहीं चाहते कि ज्यूडीशियरी में एस.सी. एस.टी. के लोग आयें, इसलिए यह अब बहुत जरूरी है कि ऑल इंडिया ज्यूडीशियल सर्विस गठित होनी चाहिए।

दूसरे मैं यह कहना चाहता हूं कि एस.सी. एस.टी. की जो वैलफेयर एसोसिएशन हैं, जैसे रेलवे में है, बैंकों में हैं, उनको ट्रेड यूनियन जैसी सुविधाएं नहीं दी जातीं। वे भी एसोसिएशन हैं, एस.सी. एस.टी. के वैलफेयर के लिए हैं। ट्रेड यूनियनों को ज्यादा सुविधाएं दी जा रही हैं तो यह विभेद भी बन्द होना चाहिए।

सभापति महोदया : कृपया कन्क्लूड करिये।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : मैं दो मिनट में कन्क्लूड कर रहा हूं।

दूसरे मैं कहना चाहता हूं कि एस.ई.पी. और टी.एस.पी. के लिए प्लानिंग कमीशन ने हैड तय कर रखे हैं। एस.ई.पी. के लिए 789 और टी.एस.पी. के लिए 796, लेकिन प्लानिंग कमीशन की गाइडलाइंस को माना नहीं जाता है और इन योजनाओं का जो धन दिया जाता है, वह डाइवर्ट हो जाता है तो इस डाइवर्शन की प्रवृत्ति पर तुरन्त प्रतिबन्ध लगना चाहिए।

चौथे मैं कहना चाहता हूं कि जो रेवेन्यू लॉज़ हैं, उनमें भी आवश्यक एमेंडमेंट हो। कटानी के रास्ते के विवाद, जमीन पर अतिक्रमण के विवाद अधिक होते हैं और रैगुलर कोर्ट के पास मामले अधिक होने के कारण वर्षों तक सुनवाई और न्याय नहीं होते हैं, अतः रेवेन्यू प्रकरणों में भी स्पेशल कोर्ट हों। रेवेन्यू प्रकरणों में सबसे ज्यादा जो प्रताड़ित होते हैं, वे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग होते हैं।

शिक्षा के अवसरों में भी विभेदीकरण है, इसलिए एस.सी. एस.टी. के लिए पूर्ण शिक्षा फ्री ऑफ कॉस्ट हो। यह केवल सरकारी स्कूलों तक ही सीमित नहीं हो, अपितु जो स्टैण्डर्ड के स्कूल हैं, उनमें भी यह प्रावधान होना चाहिए।

आज एक परंपरा कोचिंग की बन गयी है। मैं राजस्थान से आता हूं। कोटा में बंसल कालेज है और और भी दूसरे बड़े-बड़े कालेजेज हैं। वहां एससी, एसटी का विद्यार्थी एडमीशन ही नहीं ले सकता, क्योंकि वहां 2-3 लाख रूपए फीस है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि आज कोचिंग की परंपरा बढ़ रही है। कोचिंग संस्थानों में अत्यधिक फीस होने कारण एससी, एसटी के लड़के-लड़कियां पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। अतः कोचिंग संस्थानों की फीस की भी रिंबर्समेंट की व्यवस्था होनी चाहिए।

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की दरें संशोधित हों। अभी क्या हो रहा है? जिसकी एक लाख या डेढ़ लाख रूपए की वार्षिक आय है, उस मां-बाप का बच्चा छात्रवृत्ति की श्रेणी में नहीं आता है। इसका मतलब है कि एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का बच्चा छात्रवृत्ति नहीं ले सकता है। आपने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए छात्रवृत्ति में बढ़ोत्तरी की है। हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की छात्रवृत्ति की दरें बहुत पुरानी हैं, इसमें तुरंत संशोधन होना चाहिए। यह डिमांड काफी समय से है।

अंत में, मैं कहना चाहूंगा कि खाप पंचायत के निर्णय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विरोध में आते हैं, इसलिए इस पर रोक लगानी चाहिए। इस देश में बहुत सारे बैंक हैं, लेकिन जब हमने एक प्रश्न पूछा तो उसका जवाब आया कि किसी भी बैंक में 15 डायरेक्टर होते हैं, लेकिन आज किसी भी बैंक में एससी, एसटी और ओबीसी का एक भी डायरेक्टर नहीं है। यह कैसा सिस्टम है? उनकी इतनी बड़ी जनसंख्या और किसी भी बैंक में कोई डायरेक्टर क्यों नहीं है । गवर्नमेंट एडवोकेट जो पैनल पर लगते हैं,...(व्यवधान)

सभापति महोदया : श्री जगदम्बिका पाल जी।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : वे लगभग बीस हजार होते हैं। इसमें भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): सभापति महोदया, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। हमारे देश की 16.2 पर्सेंट अनुसूचित जाति की आबादी है और 8 प्रतिशत एसटी की आबादी है। लगभग 25 प्रतिशत इस देश की जनसंख्या में जिसकी हिस्सेदारी और भागीदारी है, उस पर बढ़ते हुए अत्याचारों के प्रति चिंता इस सदन में व्यक्त की जा रही है और मैं भी अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति व्यक्त करने के लिए खड़ा हूं। यह बात निश्चित तौर से मन को बहुत दुख पहुंचा रही है कि जहां हम दुनिया की प्रतिस्पर्धा में हम खड़े हैं, दुनिया के दूसरे देशों के विकास के साथ, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज के साथ हम अपनी तुलना कर रहे हैं। वहीं आज आजादी के 63 वर्षों के बाद भी एक ऐसा समाज नहीं पाए हैं जिस समाज में किसी जाति के आधार पर कोई अत्याचार या अन्याय न हो रहा हो, कोई जुल्म न हो रहा हो और इस नाते उसका गुनाह हो कि वह किसी अमुक जाति में पैदा हुआ है, किसी ऐसी मां की कोख से पैदा हुआ है जिसके नाते वह समाज का एक नागरिक होने के बाद, इस समाज के मुस्तकबिल के बनाने में बराबर की भागीदारी के बावजूद भी आज उसके साथ पक्षपात और अन्याय न हो रहा हो। आज हमें इस सदन में केवल अत्याचार पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। इस सदन में केवल हमें घटनाओं का उल्लेख नहीं करना चाहिए, बल्कि आज इस सर्वोच्च सदन को जरूर सोचना चाहिए कि क्या हम आने वाले समय में भारत में ऐसा समाज बनाने का कार्य करेंगे कि इस तरह की बात आगे हमें इस सदन में उस समाज की चर्चा भी न करनी पड़े कि हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ऊपर बढ़ते हुए अत्याचार की घटनाओं पर चर्चा इस सभ्य समाज में करें? उनकी बराबर की भागीदारी हो। शिक्षा के क्षेत्र में मेघवाल जी ने कहा और पी. एल. पुनिया जी ने बहुत विस्तार से पूना पैक्ट की बात कही। उस समय बाबा साहब अंबेडकर ने जो देखा था कि समाज में अगर हम समरसता पैदा करना चाहें, समन्वय स्थापित पैदा करना चाहेंगे तो निश्चित तौर पर जो गैर बराबरी के लोग हैं, हैव या हैव नॉट्स में जो अंतर है, अगर उस खाई को हम पाटने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से एक नया समाज बनेगा और एक नया सवेरा होगा और देश के लोगों और दुनिया के सामने हम आदर्श प्रस्तुत कर सकते हैं। क्या आज भी हमारा एक समाज ऐसा है? जब प्रधानमंत्री जी भी चिंता करें कि आज भी एसटी एससी पर अत्याचार हो रहा है, उसमें केवल तीस पर्सेंट लोगों को ही सजा मिल रही है, क्या हम ऐसा कोई मैकेनिजम नहीं बना सकते कि अगर एससी, एसटी पर कोई लोग नस्ल के आधार पर या जाति के आधार पर अत्याचार कर रहे हों, तो उनको सजा दिलाने के लिए जो कानून है, उसको इफेक्टिव ढंग से लागू करके उनको सजा दिलायी जा सके जिससे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो? भारत के प्रधानमंत्री चिंता करें कि क्या हम इनको विकास की प्रक्रिया में इस देश के सभी राज्यों में बराबर की भागीदारी नहीं दे सकते हैं कि एससी, एसटी के लोग भी बराबर की भगीदारी करेंगे? उन्होंने इस बात को कहा और मैं

कहता हूं कि आज भी भारत के समाज का सही चित्रण क्या है? आज भी हर 18वें मिनट में एक दलित पर अत्याचार हो रहा है। आज भी देश के तमाम राज्यों में 33 पर्सेंट गांव ऐसे हैं, जहां दलित के घर पर कोई स्वास्थ्यकर्मी जाता है, तो वह किसी दूसरे समाज के घर पर बैठ जाएगा।

वह उसके घर टीका, वैक्सीन या इमुनाइजेशन करने नहीं जाएगा, बल्कि दूसरी जाति के किसी व्यक्ति के घर में बैठ जाएगा। हम कब इस समाज को बदलेंगे? जो हमारे लोक सेवक हैं, जो कर्मचारी हैं जिनका यह दायित्व है कि अगर वे बच्चों का टीकाकरण कर रहे हैं, तो जातियों के आधार पर टीकाकरण नहीं करेंगे। आप गांव की वास्तविक स्थिति देखने के लिए गांव जाएं और देखें। शायद अनुसूचित जाति के लोगों के घर स्वास्थ्य कर्मी जाने से मना करता है। आज स्थिति यह है कि सरकारी स्कूलों में 38 प्रतिशत दलित बच्चों को अलग बिठाया जाता है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में हमारी एक बहन दलित मुख्य मंत्री हैं। हम सबको अपेक्षा हुई थी, बड़ी उम्मीद बढ़ी थी कि हमारी एक दलित बहन अगर मुख्य मंत्री बन रही हैं तो निसन्देह उत्तर प्रदेश में दलित लोगों पर अत्याचार कम होगा या हमारी जो घटनाएं बढ़ रही हैं, वह रुकेंगीं। लेकिन पिछले दिनों एक आदेश निकला, हमने स्वागत किया कि उत्तर प्रदेश के जूनियर हाई स्कूल्स में मिड डे मील को बनाने के लिए दलित रसोइये रखे जाएंगे। दलित रसोइए रखे गए और वह कार्यक्रम शुरू हुआ, लेकिन कुछ लोगों ने विरोध किया। हमारी बहन ने दलित मुख्य मंत्री होने के बावजूद पूरे प्रदेश से उस आदेश को वापिस ले लिया और आज उत्तर प्रदेश में...(व्यवधान) मैं समझता हूं कि इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि हम एक तरफ बराबरी की बात करें, एक तरफ विकास की भागीदारी की प्रक्रिया में शामिल करें।...(व्यवधान) मैं यहां खड़ा हूं और कहना चाहता हूं कि यह जुल्मों का सिलसिला कब थमेगा। यह हमारे आंकड़े नहीं हैं, यह राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के आंकड़े हैं। वर्ष 2007 में 6,628 आपराधिक घटनाएं एससी, एसटी के अगेन्स्ट हुई थीं जो 2008 में बढ़ गयीं। हमारे सब साथी आ गए।...(व्यवधान) मैं यूपी के बारे में बता रहा हूं।...(व्यवधान) यूपी में वर्ष 2007 में 6,144 हुआ।...(व्यवधान)

सभापति महोदया : कृपया शान्त रहिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदया : आप कनक्लूड कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि कम से कम हमारे बहुत से ऐसे साथी आ गए जिनके मन में चिन्ता है, लेकिन वे अपने को कहीं असहाय पाते हैं कि आज दलितों की सुरक्षा के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं या दलितों पर अत्याचार रुकने की बात है, आखिर वे क्यों नहीं रुक रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा। वहां वर्ष 2006 में...(व्यवधान)

सभापति महोदया : माननीय सदस्य महोदय, आप प्लीज़ कनक्लूड कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : मैं राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के आंकड़े रख रहा हूं, कोई अतिरंजित आंकड़े नहीं रख रहा हूं।...(व्यवधान)

सभापति महोदया : आप उनकी बात सुनिए। जब आप बोल रहे थे, तब वे भी सुन रहे थे।

...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : मै अपने आंकड़े नहीं रख रहा हूं। मेरे साथियों को बोलने का मौका मिलेगा। वे मेरे आंकड़े नोट कर लें। अगर मैं गलत हूं तो वे उन आंकड़ों को संशोधित कर देंगे। मैं उन्हें कबूल कर लूंगा। ...(व्यवधान)

सभापति महोदया : अब आप कनक्लूड कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : मैं एक-दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं।...(व्यवधान)

वर्ष 2006 में 229 दलित महिलाओं के साथ उत्तर प्रदेश में रेप हुआ। 2007 में 318 दलित महिलाओं के साथ रेप हुआ। 2008 में 375 दलित महिलाओं के साथ रेप हुआ। एक सभ्य समाज में रेप का सिलसिला बढ़ता जा रहा है।...(व्यवधान) उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था इनकी पार्टी के हाथों में हैं। इसके बावजूद भी आज उत्तर प्रदेश...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर (गौतम बुद्ध नगर): हरियाणा में देखिए, क्या हो रहा है।...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : मैं हरियाणा की बात नहीं कर रहा हूं। मैं नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़े बता रहा हूं।...(व्यवधान) आज हमने एससी, एसटी का जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज़ कानून है...(व्यवधान)

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर): रेप की बात मत कीजिए।...(व्यवधान)

SHRI JAGDAMBIKA PAL : You are responsible. I do not know who has done this. But you are responsible if you are in Government. You have to tell as to why all this has been done. You are accountable.… (*Interruptions*)

सभापति महोदया :माननीय सदस्य, कृपया आपस में बात न करें।

…(व्यवधान)

सभापति महोदया : बहुत गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है। हम शैडयूल्ड कास्ट्स, शैडयूल्ड ट्राइब्स के ऊपर हो रही एट्रॉसिटीज़ के बारे में डिसकस कर रहे हैं। मेहरबानी करके इसे मजाक का विषय मत बनाइए।

जगदम्बिका पाल जी, अब आप कनक्लूड कीजिए।

श्री जगदम्बिका पाल : आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है।…(व्यवधान)

सभापति महोदया : आप कनक्लूड कीजिए, प्लीज़।

…(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : मैं केवल एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।…(व्यवधान)

आज विश्व की सामाजिक स्थिति की जो रिपोर्ट है।…(व्यवधान) मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। ..(व्यवधान) मैं अब कुछ नहीं कहूंगा। …(व्यवधान) गोरखजी, आप बैठ जाइये। मैं अब कुछ नहीं कहूंगा। …(व्यवधान) आज विश्व सामाजिक स्थिति की जो रिपोर्ट है, उसके अनुसार एक हजार दलित बच्चों पर 83 बच्चे जन्म के समय ही मर जाते हैं।…(व्यवधान) मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। …(व्यवधान) मैं एक मिनट और लूंगा। …(व्यवधान) एक हजार जो दलित बच्चे पैदा होते हैं, उनमें से 83 बच्चे जन्म के समय ही मर जाते हैं। …(व्यवधान) एक हजार बच्चे ऐसे हैं, जिनमें से 119 बच्चों की मौत पांच साल में हो जाती है।…(व्यवधान)

सभापति महोदया : माननीय सदस्य महोदय, अब आप कन्कलूड कीजिए।

…(व्यवधान)

सभापति महोदया : जगदम्बिका पाल जी, आप अपनी बात कनक्लूड कीजिए।

…(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। आज एक हजार बच्चों में 119 बच्चों की मौत पांच साल में हो जाती है। एक हजार बच्चों में 83 बच्चे जन्म के समय ही मर जाते हैं। इसमें 42 परसेंट ऐसे बच्चे हैं, जिनको न्युट्रिशियन नहीं मिल रहा है। हमें इस बात की चिन्ता करनी चाहिए, जिसमें कोई दलगत भावना नहीं है। चाहे हम इस दल में बैठे हों, उस दल में बैठे हों या कहीं भी बैठे हों। आज अगर हमें देश की

विकास की प्रक्रिया में बराबर भागीदार बनना है, तो जो कानून है, उस कानून का कड़ाई से पालन होना चाहिए। ...(व्यवधान)

सभापति महोदया : अब श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार की बात ही रिकार्ड में जायेगी।

...(व्यवधान) *

*Not recorded.

*SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT) : Hon. Madam Chairman, the atrocities against the members of the SC / ST, backward communities and women are gradually increasing in our country. The main reason for this is the fact that the country is governed by the rich, well-to-do people who are at the helms of affairs and participation of the have nots in the administration is almost nil. In the towns and villages, the police officers are accountable to none. The responsibilities of the district SPs are not fixed and thus nothing is being possible. The Government which is in power must fix their responsibility.

In the Constitution of India, there is a provision of reservation for the SC / ST and backward communities. The Central Government as well as the State Governments must ensure that these hapless, poor people get their due. I can cite numerous instances whereby it can be proved that the backward people are losing on all counts. In the year 2009-10, the Tribal Department of Government of India had allocated Rs.3220 crores for the Tribal Fund. But only Rs.1616 crores have been spent so far. It means that nearly 50% of the money still remains unspent. Why is this happening? It is happening because the money earmarked for the tribal people have been diverted to pay the second instalment of the 6th Pay Commission. So who reaped the benefit? The upper class of the society who are salaried and meaningfully employed reaped the benefit. This money was meant for the uplift of the poor people of the society; for their development and progress, much could have been done with this amount. But they were deprived altogether. Not only that, there is a provision of reservation in jobs also but actually the tribal people never get recruited anywhere. The reason is, there is a misconception that

---

*English translation of the speech originally delivered in Bengali.

people of SC / ST, backward communities are less educated. This is absolutely wrong. 63 years have passed since our independence. Can't we employ these people even in group D services? The truth lies elsewhere. The advertisements for recruitment are published in such a fashion that the underprivileged people do not actually come to know of such recruitment drives. On the contrary the creamy layer of the society produce fake caste certificates and grab all the jobs by appearing in the interviews. The interview board members are also mostly wealthy persons who manipulate the entire recruitment procedure. Sir, you kindly set up a proper inquiry commission and the truth will be revealed and you will come to know of the malpractices going on in the administration.

In the educational scenario, there are high irregularities observed. If the reservation policy is seriously implemented then the private institutions will be deprived of lakhs of rupees that is raised in the name of capitation fees. The situation is almost the same in the Government sector also. In almost all the states the SC / ST people are deprived of their due. Nowhere, the reservation policy has been implemented for the benefit of the backward communities. The money allocated for the purpose of their uplift has always been utilized for some other needs and much of the funds has been usurped by the district administration. Every time an inquiry is sought, it goes unheeded.

In my Balurghat constituency, near the Balurghat police station, there is a big school but there too, the tribals do not get the funds allocated for them. The money gets diverted unscrupulously.

This is not all. Under the Forest Rights Act of 2006, the forest dwellers, the tribal population were to be given land deeds. But that has not happened even today. Moreover, in the name of development and progress these people are displaced and ousted from their homestead. For irrigational purposes, acres of land under forest is being snatched away from the original forest dwellers. This is sheer injustice. The precious coal and manganese reserves of the country are also being handed over to big

entrepreneurs and the real owners are left with nothing. Thus the country is incurring huge revenue losses.

Hon. Smt. Indira Gandhi ji had taken pains to nationalize banks. But the tribal people do not get bank loans when they need. The banking services are still not in the grasp of the backward society. The Land Reforms Act is yet to be implemented. The people are yet to get their land rights. In West Bengal, the State Government has implemented this law and thousands of landless labourers, poor, SC / ST people have been benefitted by it. But in other states the scenario is very grim.

The mid-day meal scheme is also riddled with much controversy. If the meals are cooked by the women from the backward communities, then the rich students of the school refuse to eat that food and the women are thus compelled to leave their job of preparing mid-day meals. So the responsibility must be fixed. So I demand that along with fixing accountability, all the democratic minded people should join hands with the left to carry forward the movement against atrocities meted out to the people of SC / ST and backward communities.

With thus words, I thank you for allowing me to participate in this debate and conclude my speech.

.

श्री मधु कोड़ा (सिंहभूम): महोदया, आज सदन में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के संबंध में काफी गंभीरता से विचार हो रही है। मैं कहना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोग ऐसे वर्ग से आते हैं जो सभी दृष्टिकोण से पीछे हैं, चाहे राजनीतिक दृष्टिकोण हो, चाहे सामाजिक दृष्टिकोण हो, चाहे आर्थिक दृष्टिकोण से हो। हमारे देश में संविधान निर्माताओं ने उस तबके के लोगों के लिए जिसका कोई सुनने वाला नहीं है, जिसकी ओर से कोई बोलने वाला नहीं है, संविधान में विशेष प्रावधान किया है। उनके संरक्षण और सुरक्षा के लिए प्रावधान किया। जिस घर में कोई बच्चा अगर थोड़ा कमजोर होता है, निर्बल होता है, तो परिवार का मुखिया, चाहे माता हो या पिता, उस बच्चे के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देता है। वैसे ही इस देश में शुरूआती दौर से ही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कमजोर वर्ग के लोग, जो सुदूर जंगल क्षेत्र में, पहाड़-पर्वत क्षेत्र में निवास करते हैं जहां जीने के लिए, पेट भरने के लिए आस-पास मिलने वाले थोड़े-बहुत साधन होते हैं, उन्हीं से अपना भरण-पोषण करते हैं।

सभापति महोदया, उन आदिवासियों के लिए संविधान में अधिकार के रूप में कई प्रावधान किए गए हैं, जैसे उन्हें आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से मजबूत किया जाएगा। आदिवासी क्षेत्रों के संरक्षण के लिए कई कानून बनाए गए हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का विकास तब ही सम्भव है, जब हम उनके विकास और संरक्षण के लिए बनाए गए कानूनों को, जो हमें संविधान में अधिकार दिया है, उनकी पालना सही ढंग से कराएं और उन्हें लागू करने वाले तंत्र को दुरुस्त करें।

मैं देख रहा हूं कि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्गों के सामाजिक विकास की बात तो सब करते हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। इन वर्गों का सामाजिक और आर्थिक विकास क्यों नहीं हो पाया है, हमें सबसे पहले इसके कारणों पर जाना होगा। मैं केन्द्र सरकार से विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग अपने अधिकारों के लिए बरसों से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। अगर एक राज्य में किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के लोग सूचीबद्ध हैं तो दूसरे राज्य में उन्हें उसकी मान्यता नहीं मिलती है।

मैं इसका एक उदाहरण देना चाहता हूं। झारखंड से कोई 100 वर्ष पहले अंग्रेजी शासक हमारी कई अनुसूचित भाई-बहनों को असम में चाय बागानों में काम करने के लिए ले गए थे। उनकी पहचान को लेकर पिछले दिनों असम में घटना घटी, जो कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आई है। यहां पर गृह राज्य मंत्री जी भी बैठे हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस विषय को गम्भीरता से लें। वैस्ट बंगाल में झारखंड के अनुसूचति जनजाति के लोगों को उस श्रेणी में मान्यता नहीं मिलती है। इसी तरह उड़ीसा में भी उन्हें मान्यता नहीं दी जा रही है। वहां पर अलग-अलग जाति और उप जाति के नाम देकर उन्हें माइनोरिटी में

लाने का षडयंत्र रचा जा रहा है। यह काफी ज्वलंत विषय है इसलिए मैं सरकार से विनती करना चाहूंगा कि वह इस पर विशेष रूप से ध्यान दे। विकास के लिए फिफ्थ और सिक्स्थ शिड्यूल क्षेत्रों में जो राशि इन वर्गों के लिए यहां से दी जाती है, उसे सही तरीके से खर्च करने की व्यवस्था की जाए।

मैं इतना ही कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं और आपने जो मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): सभापति महोदया, अनूसूचित जाति और जनजाति पर देश में हो रहे अत्याचारों के विषय पर सदन में हो रही चर्चा में मुझे भाग लेने का आपने अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मेरे अध्ययन और जानकारी के मुताबिक देश की आजादी के 63 साल के बाद भी हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पर अत्याचार और उत्पीड़न के मामले बढ़े हैं। वह अत्याचार और उत्पीड़न आज का ही नहीं है, वह अत्याचार और उत्पीड़न हजारों साल से चला आ रहा है। आजादी के बाद भी, वह अत्याचार और उत्पीड़न आज भी चल रहा है। कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है लेकिन चलता रहता है। जिस जिले, जिस प्रदेश के जनजाति आदिवासी, शैड्यूल्ड कास्ट्स लोग, थोड़ी सी अपनी हिम्मत को दिखा पाए, उस जगह अत्याचार कम हुआ लेकिन जहां के लोग हिम्मत नहीं दिखा पाए, वहां ज्यादा होता है। मैं कुछ सुझाव इस सदन में रखना चाहता हूं।

आज यहां माननीया सोनिया जी तथा ट्राइबल्स अफैयर्स के माननीय मंत्री भी मौजूद हैं, इसलिए मैं यहां अपने कुछ सुझाव देना चाहता हूं। I would like to recall here what Dr. B.R. Ambedkar once said. He made a very brilliant statem(ent. He said, "Political power is the main key by which a lock can be opened either it may be big or small". We the tribal people and the Scheduled Caste people of this great country India have been locked in such a room and in such a compartment into which even air cannot enter. We are being kept in an airtight compartment. गैस-चैम्बर में जिस ढंग से हिटलर ने लाखों यहूदी लोगों की निर्ममता से हत्या की थी, हमारे ऊपर भी आज तक हुआ जुल्म उसी तरह का है। यह जो अत्याचार और उत्पीड़न आदिवासियों, शैड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइबल्स पर चल रहा है, उसे अगर मैं हिटलर ने जिस ढंग से 6 लाख यहूदियों को मारा, ऐसी तुलना करने से खराब ढंग से इस बात को दिखा सकता है। पर तरीका तो बराबर वही है।

इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि अमरीका में जिस ढंग से सिर्फ 25 करोड़ आबादी के लिए 50 स्टेट बन चुके हैं और वह आज सारी दुनिया में अपने आपको एक शक्तिशाली देश के रूप में दिखाने में सक्षम हो रहा है । Why in India there should be only 33 States and Union Territories? जिस देश की आबादी 1.2 बिलियन हो, इसलिए मेरा आग्रह है कि कम से कम इस हिंदुस्तान में जहां-जहां आदिवासी, ट्राइबल्स और शैड्यूल्ड कास्ट्स लोगों की बहुसंख्यक आबादी है या थोड़ी कम है, उन क्षेत्रों को लेकर कम से कम 25 अलग प्रदेश बनाने की जरुरत है। More than 25 Nos. of new smaller States comprising the Scheduled Castes and Scheduled Tribes dominated areas and regions should be created across the country. That is the only way to help ensure overall

development and safety and security of the Scheduled Tribes and Scheduled Castes people in this great country. You cannot rescue the Scheduled Caste and Scheduled Tribes people by just talking about atrocities committed on them this way or that way either inside the House or outside the House. इसलिए मेरी मांग है कि इस हिंदुस्तान में कम से कम 25 संख्या के छोटे-छोटे अलग प्रदेश शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स लोगों के लिए बनाने की जरुरत है।

सभापति महोदया : आप बैठ जाइये, अब आपका भाषण रिकार्ड में नहीं जाएगा।

...(व्यवधान) *

*Not recorded.

DR. TARUN MANDAL (JAYNAGAR): Madam Chairperson, atrocities on SCs and STs are on the rise all over the country. The official number of annual occurrence of incidents of atrocities as put out in the administrative reports is far less than the actual incidents.

Due to backwardness, illiteracy, social weakness, the sufferers do not dare to report or do not have the access to report to police station or any Commissions, etc.

MADAM CHAIRMAN : Nothing is going on record.

*(Interruptions)**

DR. TARUN MANDAL : Women and young girls are the worst sufferers. … (*Interruptions*) The reception and behaviours of the police personnel, officials and of State administrations also work as a deterrence to the complainants. Many a time, their case is not registered and sometimes miscreants putting influence on police, their cases are made very light.

Even observing the fate of registered cases and getting no effective redressal from the police or administration, people from this section get discouraged and frustrated to lodge complaints.

To stop atrocities on SC & ST people, society needs a cultural revolution. What was initiated during Indian Renaissance by people like Rammohan, Vidyasgar, Mahatma Phule, Jyotiprasad Agarwala, Rabindranath Tagore, Sarat Chandra Chatterjee, Netaji Subash, Bhagat Singh, Nazrul Islam was not brought to culmination during Indian freedom movement and even today in free India. Cultural movement and reforms took a backseat to hasty political agenda then. Even socalled educated people are not free from looking down upon SC & ST people. It creates division among exploited people which helps to survive the present capitalist form of Government. Only in real socialist system, I believe, such atrocities can be fully stopped.

---

*Not recorded.

My constituency is a Scheduled Caste one, out of seven, six assembly segments where SCs are in majority and in one Muslim Minorities are in majority. My constituency is mainly inhabited by SCs and STs community and is economically backward and where employment is very less. There is a special problem in my constituency – due to forest and deep sea – SCs and STs community people go for catching fishes and for livelihood, they had to go to the forest. There also, they become victims of tigers, pirates and crocodiles. To get compensation from the Government also is a hard task and even to get a licence for catching fish and going to the Jungles is a very hard task. Hence, I would request the Government to look into matters and find solutions.

श्रीमती सुशीला सरोज (मोहनलालगंज): महोदया, सर्वप्रथम डॉ. अम्बेडकर जी का नमन करते हुए मैं कहना चाहती हूं कि वे ऐसे नेता थे, जिनके हृदय में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के लिए वेदना थी। तभी उन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों को ललकार कर कहा था - कितनी देर से तुम समाज की चक्की में पिसते जा रहे हो। तुम्हारे मुखों की दयनीय दशा देख कर तुम्हारी हताश निराश वाणी सुनकर मेरा हृदय फट जाता है। तुम पैदा ही क्यों नहीं मर जाते हो। तुम ऐसे तिरस्कारपूर्ण जिन्दगी क्यों व्यतीत करते हो? डॉ. अम्बेडकर की बातें सुनकर अनुसूचित जाति के लोगों में जोश भर जाता था और आज हम चंद लोग जो अनुसूचित जाति के चुनकर सदन में आए हैं, इससे इस देश की स्थिति नहीं सुधर जाती है। इस देश में आज क्या स्थिति है, इससे सभी लोग अवगत हैं। आज अनुसूचित जाति के लोग दलित है, खेतिहर मजदूर हैं, श्रमिक हैं। उनकी न जमीन है, न घर है, न घाट है। वे लोग कुपोषित हैं। उनका स्वास्थ्य खराब रहता है। वे गंदगी में रहने को मजबूर हैं और इनके लिए दवाइयों का इंतजाम भी नहीं होता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें 42 हजार करोड़ रुपया दलितों के नाम पर गरीबी उन्मूलन के नाम पर भेजती हैं, लेकिन वह पैसा भ्रष्ट नौकरशाहों और ठेकेदारों की जेब में चला जाता है। आज दलितों की स्थिति बहुत खराब है। हम लोगों ने छुआछूत का जो दंश सहा है, वह अभी मिटा नहीं है। आज समाज में दलितों की क्या दशा है, उसे मैं थोड़े-से शब्दों में समझाना चाहती हूं।

सभापति महोदया : आप कन्कलूड करें, आपकी पार्टी से चार मैम्बर बोल चुके हैं।

श्रीमती सुशीला सरोज : महोदया, संविधान ने अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया है और आज यह अपराध घोषित हो गया है। मैं आपके सामने संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से भारत के गांवों में छुआछूत अध्ययन के आंकड़े रखना चाहती हूं। 33 फीसदी गांवों में स्वास्थ्यकर्मी दलितों के घर जाने से मना कर देते हैं। करीब 38 फीसदी सरकारी स्कूलों में दलितों के बच्चों को भोजन के दौरान अलग बिठाया जाता है। 33 फीसदी गांवों में दलितों को चिट्ठी नहीं मिलती है। 48 फीसदी गांवों में जल स्रोतों से पानी लेने के लिए दलितों पर रोक है। दलितों पर अत्याचार की बात यहीं नहीं थमती है। 27 फीसदी गांवों में दलितों को थाने जाने से रोक दिया जाता है। ये आंकड़े 11 राज्यों में 565 गांवों में किए गए अध्ययन पर आधारित हैं। पिछले पांच साल से पुलिस विभाग से जुटाए गए आंकड़ों पर निगाह डाली जाए तो तस्वीर बहुत भयावह है। इन आंकड़ों के मुताबिक हर सप्ताह 13 दलितों की हत्या होती है, पांच दलितों के घर जलाए जाते हैं, छः दलितों का अपहरण होता है। मेरा संसदीय क्षेत्र, जहां से मैं चुनकर आई हूं, सीतापुर जनपद में अवस्थी जी के घर में डकैती पड़ी, अवस्थी जी कैंसर के मरीज थे, उनके सिर पर फोड़ा था। डकैतों ने लाठी मारी और उनकी मृत्यु हो गई। उनके बेटे और बहू के हाथ तोड़ दिए गए। उत्तर प्रदेश में पासी बिरादरी की जनसंख्या एक करोड़ से ज्यादा है, यह मार्शल और बहादुर कौम समझी जाती है। जब यहां पासी बिरादरी के लोग देखने गए तो थानेदार ने उन लोगों को थाने में ले जाकर बंद

कर दिया। यही नहीं वहां उन्हें बर्फ की सिलियों पर लिटाकर, उनके कानों में करंट लगाकर मारा गया। वहां जाकर लोग देख सकते हैं। पासी बिरादरी की महिलाओं और पुरुषों के कानों में करंट लगने से कान लाल-काले हो गए हैं। दमन की बात यहीं नहीं थमती है। एक शादी में उनकी पत्नी घूंघट ओढ़े हुए थी, उस थानेदार ने बारातियों के सामने उस औरत के कपड़ों को तार-तार कर दिया और उसके सारे जेवर उतारकर ले गए। अम्मा ने वहां बार-बार बोला है लेकिन कमलापुर थाने के थानेदार ...* पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है।...(व्यवधान)

सभापति महोदया : रिकॉर्ड से नाम हटा दिया जाए।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुशीला सरोज : आज इस बिरादरी के लोगों में हताशा है, निराशा है। लोग डरे हुए हैं, घर छोड़कर भाग गए हैं। दलित अत्याचार उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जहां मुख्यमंत्री दलित समाज की हैं, वहां दलित महिलाओं और पुरुषों पर इतना अत्याचार हो रहा है। मैं मांग करती हूं कि इसकी जांच कराई जाए और दोषियों को दंड दिया जाए।

---

* Not recorded

***श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर):** देश में अनुसूचित जाति जनजाति को गरीब लोगों पर होते आ रहे अन्याय, अत्याचार पर मैं कहूंगा कि यह अत्याचार किसी समूह या वैयक्तिक नहीं बल्कि यह अत्याचार सरकार की गलत नीतियों के चलते तथा देश में विद्यमान कानून नियमों के पालन न होने से ही यह अत्याचार समाप्त नहीं हो रहे हैं। उन दलित भाईयों को जो हजारों वर्षों से पीढ़ीयों से मैला ढोने का कार्य करते चले आ रहे हैं, सरकार घोषणा करती है, इस वर्ष समाप्त कर देंगे। अभी समाप्त कर देंगे। लेकिन अभी तक यह मैल ढोने की परंपरा बंद नहीं हुई। सभी राज्य सरकारों को निर्देश मिले तथा अधिक धनराशि की व्यवस्था के साथ इस कलंकीय प्रथा को बंद किया जाये।

इन जनजाति-जाति के भाइयों पर आर्थिक पिछड़ापन, अशिक्षा, उच्च समाज का देखने का नजरीया सिर्फ गुलामी, बंधुआ मजदूर, काम करने वाला सस्ता मजदूर यही नजरों से देखा जाता रहा है। इन्हें शिक्षण, उच्च शिक्षण अपने अधिकारों का अहसास, ज्ञान प्राप्त कराने में सरकार असफल रहीं। इसकी जरूरत है। सरकार द्वारा अनदेखा करना भी अपराध तथा इन जनजाति-जाति के लोगों पर अन्याय, अत्याचार है। इसे दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है। तुरंत संज्ञान लेकर इस और अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

आर्थिक पिछड़ापन वर्ग में गांव में रहने वाले इन भाइयों को आदिवासियों को वन क्षेत्रों में अपने परंपरागत व्यवसाय से रोका गया। वन कानून के चलते इन जनजाति के भाइयों को वन उपज पर अपना जीवनयापन करने से मनाही वन बहुल क्षेत्रों खेती का विकास नहीं, सिंचाई सुविधा नही, अत्यंत खेती पर उपज पर जीने वाले इन भाइयों को जीवन भर पेटभर खाना नहीं मिला। पहनने को नहीं मिला, कर्ज में डूबे अनेक बीमारियों से ग्रस्त यह आदिवासी बेरोजगारी से तंग आ रहे हैं। सरकार ठोस कार्यक्रम नहीं देती। भूखे, अर्धनग्न रहने के लिए मजबूर इस समाज की सरकार की गलत नीतियों को अनदेखापन, जिम्मेवार मानता हूं। इस ओर ध्यान देने की जरूरत है।

इन भोले-भाले भाइयों पर अगर अत्याचार कम करना है, अन्याय दूर करना है तो इन्हें पहले शिक्षित, आर्थिक संपन्न करना ही होगा।

इन्हें वनभूमी के पट्टे देने में विलंब दूर हो, सिंचाई परियोजनाएं अधिकाधिक वन क्षेत्रों में बनाए, उपचार, शिक्षण हेतु केन्द्र सरकार स्वयं शिक्षा केन्द्र, आरोग्य केन्द्र, उच्च शिक्षा हेतु कॉलेज, टैक्नीकल, शिक्षा, मेडिकल कॉलेज, आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जहां जनजाती के साथ जाति के भी लोग रहते है। इन्हें

---

* Speech was laid on the Table

काम मिले। प्रकृति आरोग्य शिक्षण व साथ में खेती उपज पर निर्भर इन लोगों को विजली, पानी, सिचांई व्यवस्था पूरी तरह हो। इस हेतु आग्रह से कदम उठाने की मांग करते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं।

सभापति महोदया : जो माननीय सदस्य अपनी स्पीच ले करना चाहते हैं वे अपनी स्पीच टेबल पर ले कर दें।

माननीय मंत्री जी।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): महोदया, मैं अपनी बात एक मिनट में कहूंगा। बहुत दिनों बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विषय पर चर्चा हो रही है। मेरे ख्याल से एक या दो मैम्बर बोलने वाले होंगे। मैं चाहूंगा आप पांच बजे जवाब दिलवा दीजिए।

सभापति महोदया : जो लोग बोलने वाले रह गए हैं वे अपनी स्पीच टेबल पर ले कर दें।

श्री शैलेन्द्र कुमार : आप उन्हें बुलवा लीजिए।

सभापति महोदया : अभी आधे घंटे की चर्चा होनी है।

श्री शैलेन्द्र कुमार : महोदया, पांच मिनट में क्या हो जाएग?

सभापति महोदया : स्पीच टेबल पर ले कर दीजिए। आपकी पार्टी से तीन सदस्य बोल चुके हैं।

श्री पकौड़ी लाल।

श्री पकौड़ी लाल (रॉबर्ट्सगंज): सभापति महोदया, आपने मुझे दो मिनट का समय दिया, इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। मैं आदिवासी हूं और जिस क्षेत्र से आया हूं, वह बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, जो चार लाइन लिखकर लाया हूं, वही पढ़कर बता दूंगा। मै सदन का समय बर्बाद नहीं करना चाहता।

महोदया, मेरा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सोनभद्र है। वह आदिवासी, अनुसूचित जाति और जनजाति बहुल एरिया है। हमारा जनपद बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड से सटा हुआ है। वहां आदिवासी बहुल जो अनुसूचित जनजाति कहे जाते हैं, वे बहुत गरीब हैं, उनकी हालत बहुत खराब है। वहां के लोगों को दो जून की रोटी मिलनी मुहाल हो गई है। जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में नक्सलाइट्स की धरपकड़ शुरू होती है तो हमारा क्षेत्र जंगल और पहाड़ है। नक्सलाइट्स वहां भागकर चले आते हैं और हमारे आदिवासी भाइयों के घरों में जाकर जबरदस्ती खाना बनवाते हैं, खाते हैं। यदि उनके लिए वे लोग खाना नहीं बनाते हैं तो वे हमारे आदिवासी भाइयों को मारते हैं। इसके बाद जब वे रात में खाना खाकर चले जाते हैं तो सुबह पुलिस पहुंचती है और पुलिस भी उन्हें मारती है। इस तरह से उन पर गरीबी, सामन्तों की मार और दूसरी पुलिस की मार पड़ती है।

यहां अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में चर्चा हो रही है। हमारे यहां अनुसूचित जनजाति बहुल एरिया है, जिसमें गोड़, खरवार, पनिका, बैगा, धुरिया, नायक, ओझा, राजगोड़, खैरवार, बरहीया, पंखा, चेरो, भुइया, भुनिया, पठारी और अगरिया 16 जातियां हैं। वर्ष 2001 की जनगणना में इन्हें अनुसूचित जाति में रखा गया था और 16 जातियां अनुसूचित जाति के लाभ पाती थीं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2003 में इन 16 जातियों को अनुसूचित जनजाति में डाल दिया गया, जिसके कारण उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिला। आज लोक सभा, विधान सभा के चुनाव बीत गये। अब प्रधानी और जिला पंचायत के चुनाव आ रहे हैं। लेकिन इन 16 जातियों को चुनाव लड़ने का अधिकार आरक्षित कोटे से नहीं है।

मेरी सरकार से विनती है कि जब तक इन 16 जातियों को आरक्षण नहीं मिल जाता, तब तक पूर्व की भांति इन्हें अनुसूचित जाति की श्रेणी का जो लाभ मिलता था, वह लाभ इन्हें दिया जाए और इन्हें चुनाव भी लड़ने का अधिकार दिलाया जाए। मेरी सरकार से पुनः प्रार्थना है कि इन जातियों के आंसुओं को पोंछा जाए। ये जातियां सामन्तों और पुलिस से पहले से ही परेशान हैं। यदि ये जातियां उत्तर प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार से भी परेशान हो जायेंगी तो ये जातियां अनाथ हो जायेंगी।

मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहूंगा कि इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए वहां के गरीबों की दयनीय दशा देखकर उन्हें इसी पंचायत चुनाव में अनुसूचित जाति के कोटे से चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाए। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसलिए आपको पुनः धन्यवाद ।

श्री रामकिशुन (चन्दौली): सभापति महोदया, यदि इन्हें आरक्षण नहीं मिला तो ये अनुसूचित जातिंयां और जनजातियां चुनाव लड़ने से वंचित रह जायेंगी। इनके जनप्रतिनिधि नहीं चुने जायेंगे। इसलिए इन 16 जातियों को अनुसूचित जाति का आरक्षण तब तक दिलाया जाए, जब तक इन्हें अनुसूचित जनजाति का आरक्षण नहीं मिल जाता।

***डॉ. विनय कुमार पाण्डेय (श्रावस्ती):** महोदया, भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों हेतु आरक्षण की व्यवस्था है। परंतु मेरे निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर एवं श्रावस्ती जनपदों में घुमन्तू एवं खानाबदोश जातियां रही ढ़ाढी, चमरमंगता, शिकारी, बंजारा, थारू आदि जातियों को अनुसूचित नहीं किया गया है और न ही उन्हें अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति में रखा गया है। अतः उन्हें आरक्षण की कोई सुविधा प्रदान नहीं की जाती है। मैं सदन एवं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कर संविधान की मंशा के अनुरूप कार्यवाही चाहूंगा।

---

*Speech was laid on the Table

*SHRI SUKHDEV SINGH (FATEHGARH SAHIB): I am thankful to you for giving me opportunity to express my views on the national importance matter atrocities upon the SC/STs. I want to inform with very proudly to this august house that my Party Indian National Congress always against the atrocities with SC/STs and downtrodden peoples of the society. My party always stand with the SC/STs and downtrodden peoples of India. I belong to state of Punjab and my Constituency is Sri Fatehgarh Sahin, which is reserved for SC candidate. I need to inform this august house that I am fighting for the rights of SC/STs and downtrodden people since last more than 40 years. I want to share my experience of life with this august house that atrocities upon SC/STs and downtrodden people can be eliminated by the way of education, implement fairly the constitutional rights of SC/STs, fairly give the opportunity in all sphere of the life, provide food security, provide health facility and lastly recognition.

Illiteracy is the main root of all the evils. If the opportunity of quality education given to the SC/STs and downtrodden people of the country then automatically atrocities removed from the society. The also stand with shoulder to shoulder with society and participate and share the progress of the country. If $1/4^{th}$ people of the society are ignored, atrocities by the upper caste of the society due to this factor whole society become handicapped. The SC/STs are the most disadvantage segment of the weaker section of our society atrocities are committed on them on account of their dependence on non SC/STs landowners, educational backwardness and social discrimination. The SC/STs also suffer from their stigma of untouchbility. In our constitution SC/STs are protected from all types of exploitation a number of safeguards have been provided in our constitution, under article 15 no citizen shall on ground of religion, race caste, sex, place of birth or any of them be subjected to any disability, liability but the august House knows very well that how fairly constitutional rights are implemented in our Indian Society.

Second point is that fairly provide the opportunity to the SC/STs and downtrodden people of the society. Provide their quota honestly. Further I want to inform to very painfully that SC/STs and down trodden people of the society are

exploited by the upper caste of the society whether they are educated or not, if they are illiterate then there is no excuse of atrocities but if they are educated and get the opportunity of service they never got the OUTSTANDING ACRs because they belong to SC/STs, there qualifications capability, efficiency, decision making power, education all are ignored by the senior officers those mostly belong to upper caste. If the people of the upper caste will not change from the inner core of the heart & spirit they become the victim of atrocities strongly. The law of the land should be implemented.

Atrocities on SC/STs by the other section of the society are also due to lack of food security, if Government provide honestly food security to SC/STs and downtrodden people that will also minimize the atrocities.

Untouchbility is also stigma of SC/STs and downtrodden people. They always suffer inferiority complex for being ignored class of the society.

Health facility also not provided fairly to SC/STs and down trodden people of the society. A weak person never stand with the healthy person, if we have a will to remove atrocities upon SC/STs then provide equal health facility and healthy atmosphere to SC/STs and down trodden people of the country.

***श्री अशोक कुमार रावत (मिसरिख):** हमारे देश में जब भी दलितों, शोषितों की रक्षा केलिए, उन पर होने वाले अत्याचार-अन्याय के निवारण के लिए कानून बनते हैं तो समाज के वर्चस्वशाली वर्ग की एक ही किस्म की प्रतिक्रिया नजर आती है- ऐसे कानूनों के कथित दुरूपयोग का भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के विरूद्ध अधिकार प्रदान करता है । इसी अनुच्छेद 17 के अनुसरण में 2 अधिनियम बनाए गए (1) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 (2) अनु. जाति/अनु. जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 । इन अधिनियमों का उद्देश्य एस.सी./एस.टी. के लोगों के प्रति होने वाले अपराध, अस्पृश्यता को रोकना है ।

परन्तु सिर्फ अधिनियम बना देने भर से न्याय नहीं मिल जाता, जब तक कि उनका इनफोर्समेंट विधिपूर्ण तरीके से न हो । जबकि वर्ष 2008 के आंकड़ों के आकलन से यह स्पष्ट हो जाता है कि आज भी अनेकों मामले न्यायालयों में विलम्बित हैं ।

यह सच है कि Justice delayed is justice denied जब समय पर न्याय नहीं मिलता तो न्याय का मतलब नहीं रह जाता - "न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, होते हुए दिखना भी चाहिए " लेकिन यहाँ न्याय दिखना तो दूर की बात है न्याय होता ही नहीं, विलम्बित रहता है, अत्याचार बढ़ रहा है ।

दलित शोषित पहले से ही दबे कुचले हुए हैं उनके विषय में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने खुद Special Component का प्रावधान लाया था - परन्तु आज Special Component के 750 करोड़ हरुपये कॉमनवैल्थ गेम्स में खर्च दिए गए ।

रोजगारों में जानबूझकर विभेद किया जा रहा है । बैकलॉग के पद जानबूझकर नहीं भरे जा रहे हैं । संविधान के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है । साथ ही सरकारी उपक्रमों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पद पर पूर्ण योग्यता रखने वाले अनु. जाति/जनजाति के अधिकारियों का चयन नहीं किया जा रहा है । साथ ही पदोन्नति में भेदभाव बरता जा रहा है - मेरी जानकारी में एक मामला आया है - ओरडिनेंस फैक्ट्री कानपुर में Joint G.M. के पद पर तैनात अनु. जाति के अधिकारी श्री ओ.पी. रावत जिनका ए.सी.आर. 1995 से 2008 तक Initiating Officer और Review fficer द्वारा Very good mark किया गया था परन्तु उनके महत्वपूर्ण पदोन्नति के समय जानबूझकर दुराशय के साथ उनका ए.सी.आर. खराब किया जा रहा है जिससे उनकी पदोन्नति न हो सके । इस मामले में मैं सरकार से न्याय दिलाने की मांग करता हूँ ।

*Speech was laid on the Table

जब तक हम आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को सुनिश्चित करने की बात नहीं करत जिससे हर दलित, हर दूसरे नागरिक के साथ समता सम्मान और मानव गरिमा के साथ खड़ा हो सके, तब तक महज अस्पृश्यता के खात्मे का ऐलान ही काफी नहीं होगा । जैसाकि हमारे संविधान का अनुच्छेद 21 भी कहता है कि सभी भारत के लोगों को मानव गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है । मेरी मांग यह है कि इन दलितों, शोषितों, उत्पीड़ितों को ज्यादा नहीं तो मानव गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार, सम्मान और समता मिले ।

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): सभापति महोदया, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। चिदम्बरम जी, कृपया ध्यान देकर सुनें। क्योंकि जो बात मैं कहूंगा, वह किसी ने नहीं कही है। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में दुनिया की धरोहर प्रिमिटिव ट्राइब्स है, जिसका नाम जारवाह है, जो आज खतरे में है। हमारे यहां दुनिया की धरोहर प्रिमिटिव ट्राइब्स जैसे ओंगीज, अंडमानीज, शोम्पेन्स, सैन्टिनेलीज आदि हैं, इनकी ग्रोथ आज कम हो गई है। ये लोग मृत्यु के कगार पर खड़े हैं। इनकी सुरक्षा करनी जरूरी है, क्योंकि ये लोग दुनिया की धरोहर हैं।

मैं अंत में कहना चाहता हूं कि हमारे गृह मंत्री यहां बैठे हैं, यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया जी बैठी हैं। स्व.श्री राजीव गांधी ने अंडमान निकोबार का आईडीए बनाया था। उस अंडमान की धरती पर मुंडा, ओरांव, खरिया जाति के लोग झारखंड, मध्य प्रदेश आदि प्रदेशों से आये थे। लेकिन उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा नहीं मिला। वैसी हालत में जब अंडमान और निकोबार बसाया गया था तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, पंजाब और बंगलादेश आदि से लाकर अंडमान में सैटल किया गया था। वे लोग उस प्रदेश में शेड्यूल्ड कास्ट्स हैं, लेकिन हमारे प्रदेश में वे ब्राह्मण, पंडित ऊंची जाति के लोग बन गये। मेरी श्रीमती सोनिया गांधी, यूपीए चेयरपर्सन और गृह मंत्री से से मांग है कि अंडमान और निकोबार में उन्हें शेड्यूल्ड कास्ट तथा शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा दिया जाए।

***श्रीमती ज्योति धुर्वे (बेतूल):** मैं उन गरीब, असहाय जो आजादी के बाद भी विकास से कोसो दूर हैं, उनके बारे में बात कहना चाहूंगी। आज भी उनका जीवन जंगलों, पहाड़ों, दूरांचल जगह में मुख्यधारा से दूर कट रहा है। उनके जीवन में आज भी परिवर्तन नहीं आया है। वह केवल साथ से साथ को देख कर अपना जीवन परिवर्तन करने को मजबूर हैं।

वे आज भी सरकार की असंख्य योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। शायद यही कारण है कि वे जंगल में रहने और मनुष्य की बजाय जीव की भांति जीवन व्यतीत करते दिखाई देते हैं। शायद उन्हें बदलने की हमारे अंदर पूरी ताकत नहीं है। हमें अपनी पूरी ताकत के साथ समर्पित भाव से काम करने की आवश्यकता है। उनके लिए बहुत नीतियां बनी हैं, लेकिन फिर भी बदलाव संभव नहीं हो पाया है। इसके मूल कारण जानने का हमने प्रयास भी नहीं किया है। उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए जैसे प्रयास किए जाने चाहिए थे, मेरी दृष्टि में शायद वे नहीं किए गए हैं। उन्हें जिस रूप में मदद मिलनी चाहिए थी, वैसा स्वरूप नहीं बनाया गया है और इसका ही कारण है कि वे आज भी समाज में शोषित हो रहे हैं और शायद भविष्य में भी ऐसा ही होता रहेगा। मेरा मानना है कि आज नक्सल का प्रभाव जिस विशेष क्षेत्रों मे है, वहां इनको निशाना बनाया जाता है और ये गरीब ही निशाना बनते हैं और इसका कारण उनकी सच्चाई, ईमानदारी, भोलापन है। उसे यहां भी नहीं छोड़ा जाता है। आज यदि सरकार की मदद उन तक पहुंचती है, तो मैं पूरे विश्वास से कह सकती हूं कि आदिवासी जैसा ईमानदार, विश्वासी और कोई नहीं है, जो अपनी जान जोखिम में डालकर नक्सलवाद से लड़ने को भी तैयार खड़ा है। वह नक्सलवादी या माओवादी नहीं है, वह एक सच्चा इंसान है, जो देशभक्तों की तरह देश के प्रति पूरी तरह निष्ठावान है। इसलिए मेरा निवेदन है कि सभी लोग आगे आएं और इन्हें भी अपने परिवार का एक सदस्य मानकर अपने दिल में और दिल के पास जगह दें। मुझे विश्वास है कि ये बदलेंगे, जिसका इनको इंतजार है। यह समाज देश के एक निष्ठावान नागरिक के रूप में आज भी बड़े विश्वास से आपकी ओर देख रहा है।

इनके नाम पर बहुतायत से एनजीओज़ सामने आए हैं। इनके विकास के नाम पर स्वयं उन्होंने अपना का विकास किया और सरकार को केवल गुमराह किया है। अतः इनसे सावधान हो कर हमें इनके विकास में ऐसे सरकारी नीतिगत कठोर नियम एवं कानून का निर्माण करना होगा, जो इनके विकास

---

* Speech was laid on the Table

में सहायक सिद्ध हो सकें। आज आवश्यक रूप से महत्वपूर्ण नीतिगत नियम लागू कर इनके विकास में सरकार को एक महत्वपूर्ण योगदान करने की आवश्यकता है। आज भी ऐसी अनेक आदिवासी जातियां हैं, जो आरक्षण की श्रेणी में हैं, लेकिन उन्हें नहीं लाया गया है। मध्य प्रदेश की 28 ऐसी उपजातियां हैं, जिन्हें आरक्षण की श्रेणी से अलग किया गया है। अतः इन गरीब असहाय लोगों के विकास के बारे में विचार करने की आवश्यकता है।

*SHRI CHARLES DIAS (NOMINATED): I am thankful to you for giving me this opportunity to express my views on the discussion "Increasing atrocities on Scheduled Castes and Tribes."

This subject has got some relevance to discuss in this august House. Scheduled Castes and Tribes form about 23% of the population of our country. Even after 63 years of independence and after introduction of a variety of schems and projects for the welfare of the SC/ST and after spending thousands of crores of ruppes, the situation of the SC/ST has not improved much.

They have not come up as we wanted them and their living conditions have not much improved. In my view, the rigid caste system prevailing in our country for centuries was to a great extent checked the progress of the SC/ST.

The increasing atrocities on SC/ST according to me is caused due to the educational and economical backwardness. Also, the punishment for atrocities on them has to be harsh and effective.

The SC/ST people have to be helped from their backwardness by effective means. The Ranganathan Misra Commission has recommended that those SC/ST people who are converted to christanity and islam have to be allowed to maintain their 'caste title' to get benefits and reservations provided by the government. This aspect has to be looked into and provide more facilities for them for the all-round progress of SC/ST and also take strict action on the culprits who harass the SC/STs.

---

* Speech was laid on the Table.

***श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल):** आपने मुझे एक बहुत ही गंभीर विषय अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के विरूद्ध बढ़ रहे अत्याचारों पर अपनी बात रखने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ । आज आप जब भी समाचार पत्र को उठाएंगे तो प्रतिदिन उसमें एक न एक समाचार इसी से संबंधित होगा । इसलिए इसकी चर्चा सदन में होनी चाहिए । आज हमें आजाद हुए 63 वर्ष हो चुके हैं परन्तु फिर भी हम अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए किसी ठोस योजना को क्रियान्वित नहीं कर पाये हैं । अभी बहुत से सम्माननीय सदस्यों का मानना है कि जातिगत जनगणना होने से हर जाति की स्थिति मालूम होगी । देश में इससे पहले जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी। उसके बाद अब हम जातिगत आधार पर जनगणना करने जा रहे हैं, तो आज हमें इस बात का अंदाजा लगेगा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या का, उनके रहने-सहने के स्तर का एवं उनके जीवन यापन के साधनों का ज्ञान होगा । मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार ने इन वर्ग के लोगों को लाभ देने के लिए एस.सी. और एस.टी. आयोग की स्थापना तो की है परन्तु अपने मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने में वह कहीं पीछे रह गया । उसके लिए इस आयोग को कुछ विशेषाधिकार दिए जाने चाहिए ।

अभी हाल ही में समाचार पत्र में घटना छपी थी कि एक जगह स्कूल में एस.सी. जाति की एक महिला को बच्चों के मिड डे मील के अन्तर्गत खाना पकाने पर नियुक्त कर दिया गया तो वहां कुछ लोगों ने यह आपत्ति की कि इसे हटाया जाना चाहिए । हमारे बच्चे इसके हाथ का भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे । इसी प्रकार इन वर्गों की महिलाओं से अभद्रता आदि की खबरें अक्सर प्रकाशित होती रहती हैं, जो अत्यंत चिंता का विषय है । यदि आप पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ें उठाकर देंखे तो आप पायेंगे की कितने अत्याचार इन लोगों पर हुए हैं कितने केस दर्ज हुए तथा कितने नहीं हो सके । जो दर्ज हुए तो उनमें कितने मामलों में दोषियों को सजा हुई । इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए ।

आज भी हमारी सामाजिक व्यवस्था मनुस्मृति के आधार पर ही चल रही है । इसे समाप्त करने के उद्देश्य से ही डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाया था । महात्मा गांधी, डा. पेरियार आदि अनेक महापुरूषों ने भी इस व्यवस्था को जड़ मूल से समाप्त करने के लिए मानवता की बहाली के लिए अनेक संघर्ष किये ।

---

* Speech was laid on the Table

मैं यहाँ यह भी उल्लेख करना चाहता हूँ कि हमारे उत्तराखण्ड के जनपद पौड़ी गढ़वाल की तहसील थैलीसैंण के अंतर्गत विकास खं बीरोंखाल की पट्टी सावली में धार की अरकण्डाई नामक गांव में जयानन्द भारतीय जी हुए थे । जयानंद भारतीय जी ने गढ़वाल सर्वदलित बोर्ड का गठन 1 दिसम्बर, 1933 को किया था। आजादी की लड़ाई के साथ-साथ उन्होंने दलितों के उद्धार के लिए सदैव कार्य किया । उस समय में दलितों के उद्धार व सामाजिक समता के लिए उन्होंने डोला-पालकी आन्दोलन चलाया था ।

मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि ईश्वर ने सभी को समान बनाया है मानवता सबसे बड़ा धर्म है । हमें जाति प्रथा से ऊपर उठना चाहिए । सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए । समाज में व्याप्त विषमता के उन्मूलन के लिए प्रयास करना चाहिए । हमें देखना चाहिए की गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग जीवन यापन कर रहे हैं उनका जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए ठोस योजनाएं बनाकर उन पर अमल करना चाहिएह । महात्मा गांधी नेशनल रूलर एम्पलाएमेंट योजना के तहत उनको रोजगार के अवसर मुहैया करवाये जाने चाहिए । शिक्षा का सभी को बराबर अधिकार मिलना चाहिए, सब स्कूल जाये पढ़े इसके लिए कार्य करना चाहिए । जब हम इस समाज को बराबर के अवसर उपलब्ध करवा देंगे तो यह समाज भी तेजी से आगे बढ़ेगा । इंदिरा आवास योजना के तहत इन लोगों को मकान उपलब्ध करवाने चाहिए ।

मैं माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह जी को धन्यवाद देना चाहूंगा जिनके दूरदर्शी नेतृत्व में कठोरता से आरक्षण की सुविधा देने के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के माध्यम से, पंचायतों में आरक्षण प्रदान करने से दलितों का मनोबल बढ़ा हे । उनमें भी यह विश्वास जागृत हुआ है कि हमें भी बराबरी का दर्जा प्राप्त है ।

मैं यहां एक बात और कहना चाहूंगा कि अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के अलावा हमारे उत्तराखण्ड में तोलछा, भोटिया, थारू एवं बोक्सा जनजातियां हैं, जो घुमन्तु हैं । उनके उत्थान तथा जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए भी विशेष पैकेज एवं ठोस योजनाओं की आवश्यकता है । सरकार को इस तरफ भी विशेष ध्यान केन्द्रित करना होगा ।

इसी के साथ ज्यादा न कहते हुए मैं सरकार से इतना ही अनुरोध करूंगा की वह अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को समाज में बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए । इन जातियों की महिलाओं का जो शोषण, उत्पीड़न होता है वह बन्द होना चाहिए । आये दिन जो घटनाएं प्रकार में आती हैं कि उक्त समाज की इस महिला को जला दिया, इसका आर्थिक शोषण किया, इसका शारीरिक शोष्ज्ञण हुआ इन घटनाओं को रोकने के लिए सरकार को कड़े कानून बनाने चाहिए तथा दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए । केन्द्र सरकार को इस प्रकार के कानून बनाने चाहिए कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लोगों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्वव्यवहार, अत्याचार व अन्याय न हो । हमारे देश में सबको समानता, बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए इसके लिए यही उपयुक्त समय है ।

17.00 hrs.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): Madam Chairperson, I am grateful to the hon. Members for the very informative debate that we have had over the last two days. On the first day, we had about 14 Members speak on the subject and today we have had another 14 or 15 Members who spoke on the subject.

This is a subject on which all of us should understand the historical injustice that has been heaped upon the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. In fact, it goes back to the origins of society, as we know it, and the divisions in society. Over the years, instead of these divisions becoming narrower, these divisions have become deeply entrenched. There are other divisions in society but the most cruel, the most humiliating and the most dehumanizing are with regard certain castes as "untouchables". As a result of that, we, today, have a number of castes which are described as Scheduled Castes.

The Scheduled Tribes have a different kind of history of injustice because of where they live and the manner in which their societies are organized. They suffer another kind of injustice. Over the years, we have tried to find ways in which we can bring the Scheduled Castes and Scheduled Tribes into the mainstream and get rid of these divisions in our society which contribute to the injustices that continue to be heaped upon. Unless we understand that it is the divisions in society which cause or perpetuate these injustices, we cannot treat the injustices or deal with injustices alone. It is these divisions which are bad.

As a result of that, they have suffered socially, politically, economically in terms of development and they are the victims of crimes and atrocities. In this debate, hon. Members have highlighted general issues. They have illustrated them by specific instances and each instance must compel us to hang our heads in shame. Only in the last couple of months, we had instances in a neighbouring State. Some time ago there was a very bad incident in which a judgment was delivered about three or four weeks ago. I do not wish to name the State or the place. Everybody knows

that but each one highlights how deeply entrenched prejudices are and how those who have wealth and power use that wealth and power to inflict atrocities upon the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

My colleague, Shri Mukul Wasnik, made a brief intervention the other day to inform the House about the issues that have been taken up by his Ministry and the initiatives taken by his Ministry. In fact, his Ministry is the nodal Ministry to deal with Scheduled Castes and the Ministry of Tribal Affairs is the nodal Ministry for dealing with Scheduled Tribes. We, in the Ministry of Home Affairs, look after the administration of criminal justice, that is most important when we deal with the crimes and atrocities against the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.

Madam, Parliament has made a number of laws, the general laws, the IPC and other laws. But we made two special laws. First is the Protection of Civil Rights Act of 1955, in short called the PCA and the other is the Scheduled Caste and Scheduled Tribe Prevention of Atrocities Act of 1989, in short called the POA. These two Acts in my view, empower sufficiently the States to take action if the State has the intention, the mind and the will to take action. In fact, hon. Members will agree with me that adding to the laws does not make the enforcement more effective. It is the implementation of the existing laws and the intention to implement the laws; the will to implement the laws that makes enforcement of laws effective. We make more and more laws. But if the enforcement is lax, if the enforcement is poor, then merely adding to the body of laws does not make a difference.

Madam, I must concede that the statistics do not reflect any decline in the atrocities. On the contrary, the information compiled by the Crime Records Bureau shows that the number of cases registered of atrocities against the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes is, in fact, on the rise. I have the numbers from 2006 to 2008, subsequent years are being compiled. Take for example the case of the Scheduled Castes. The number of cases of atrocities against the Scheduled Castes registered in 2006 was 26,665. That itself is an understatement. Many of the cases are simply not registered. In 2007, it was 29,825 and in 2008 it was 33,365. So, this clearly shows

the rise in trend. I can make one or two deductions from this. Firstly that there is no let up in the atrocities committed on the Scheduled Castes. The other inference one can make is, perhaps, because of the pressure that is put on the State Governments by the Central Government, by public opinion and by NGOs, now the States are showing greater willingness to deal with the problem. Therefore, more cases are being registered. That is also a possible conclusion. Whichever is the right conclusion, it is not a matter of which we can be proud about. We cannot be happy about the fact that approximately 33,000 cases are being registered as atrocities against Scheduled Castes in one year. What makes it even more disturbing is that while so many cases are registered, the conviction rate hovers around 30 per cent. What makes it doubly painful is that there is rise in atrocities, but when you try to prosecute and convict, the conviction rate is only 30 per cent. It was 28 per cent, 31.4 per cent and 32 per cent. Acquittals are very high. Not only are acquittals very high; pendency is about 80 per cent. At any given time 80 per cent of the cases are pending. So, there is a serious problem in the manner in which we are dealing with these cases. After all, in our system, the Executive can only prosecute. The Executive can take preventive measures and if crimes are committed; if atrocities are committed, the Executive can only prosecute. It is the judiciary which has to punish. I am afraid that the disposal of the cases is low; the rate of conviction is low. Therefore, it is fair to conclude that the feeling amongst the Scheduled Castes and the Schedule Tribes that all these laws and all these statements, all these pronouncements have really not brought any relief to them. That feeling is running high and I cannot but say that feeling is justified.

We must ask ourselves as to what can be done. Look at the kind of crimes that are committed against these people! The crimes that are committed are the worst kind of crimes. They are murder, rape, kidnapping, abduction and arson. These are not petty crimes. These are pre-meditated crimes. Some of them may be opportunistic but most of them are pre-meditated crimes. Among the worst crimes in the Indian Penal Code are murder, rape, arson, kidnapping and abduction. This shows how vulnerable the Scheduled Castes and how vulnerable the Scheduled Tribes are.

Madam, we all represent one State or another. So, please do not misunderstand me that I am pointing fingers at the States. We all represent one State or another. If, in the course of my intervention, I would mention about some States, just remind me, and I will tell you about my State also. There is no difficulty about it. In every State, the position is more or less the same.

Ultimately, we must recognise that police and public order are State subjects. It is the same people who elect the Central Government and the State Governments. We are all elected to represent the people in Parliament and to form the Central Government and the same people elect people like us to the State Legislature to form the State Government. In their wisdom, the founding fathers said that let police and public order be subjects of the State Government. So, when these atrocities are committed, why does the State not show the willingness, the determination and the firmness of purpose to punish those who are committing these atrocities?

Some of us who are here were and can be in the State Legislatures in the future. For example, Shri Munde, who started the debate, was in the State Legislature for many years. Some of them who are in the State Legislatures may move to Parliament. We are not saying that we are not responsible. All that I am pointing out is that ultimately, if the authority where the power resides - the State Government - does not take seriously the phenomenon of atrocities and crimes being committed on its own people, then that is a matter of shame. All of us representing one State or another must also, in a sense, share the responsibility that our States are not doing enough to punish those who commit atrocities.

Madam, on the 1st of April, 2010, my Ministry issued a very comprehensive advisory based on the recommendations of the National Commission and others. The advisory set out in great detail as to how the State law enforcing machinery must be sensitised to deal with crimes and atrocities against the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. We emphasised that unless the law enforcing machinery involves the community, these atrocities and crimes cannot be prevented or punished.

I have no doubt in my mind that in every community, there are people belonging to the non-Scheduled Castes and non-Scheduled Tribes who are basically good human beings and who do not want these atrocities to be committed on SCs and STs. I cannot believe that every one who is a non-Scheduled Caste and non-Scheduled Tribe participate in or condone these atrocities. In every community, there are people who will, if they are brought into the system, stand by the law enforcing agency and ensure that these atrocities are not committed. In every village, there are such people. In every town, there are such people and in every *mohalla*, there are such people.

The point is that the law enforcing machinery stands completely divorced from the community. It must involve the community in enforcing these laws. It must involve the community in ensuring that these atrocities are not committed.

So, we have said that they must have a community monitoring system to check cases of violence, abuse and exploitation. If a complaint is made, there must be no delay in registration of an FIR and that FIR must be investigated promptly. If there are areas where there is a long history of atrocities and crimes, special attention must be paid to those areas and policing must be made more effective in those areas. If atrocities and crimes are committed, immediately the State must rush in and implement measures for the economic and social rehabilitation of victims of atrocities.

I had a case in one State – I shall not mention the name of the State – about two months ago. Several Members of Parliament and their friends came and reported. They said that the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes have been driven out of the village and that they have moved 100 miles away and settled down in another place. There was a sense of fear in a number of villages surrounding that village. I deputed a team from here. They went and met those villagers. I am happy to inform you that many of them who had left the village were persuaded to return to the village and we have got assurances from other members of that village that they will not commit any atrocities on these people and they will be treated with dignity and respect. But that is just one incident. I am sure there are many other cases where no

effort of such kind is made. Such effort in my view must be made primarily by the State Government.

The State must ensure that everybody can live in his or her traditional habitation or place of residence with respect, with dignity. Some of the measures that we have asked them to do is, the provisions of these two Acts must be enforced more vigorously; enforcement agencies should be instructed in unambiguous terms and must be sensitised to the rights of the weaker and vulnerable sections; the administration should play a more pro-active role in involving the community; and training must be imparted to police officers on these laws.

In fact, training has become a casualty. We are now, once again, restoring the primary place for training. Every officer must undergo training periodically. But when they undergo training, it is usually for arms training; it is usually for training in forensic investigation; but not enough hours or enough classes are devoted to training police officers to sensitise them to these laws. If you send a person for training for seven days; that is spent on giving them arms training and training on forensic investigations. These are the more glamorous aspects of policing. But the point is that they must devote enough hours, enough classes and enough lectures on this aspect too. Enough real life cases must be placed before the officers who are imparted training through case history, case study, etc. and they must be sensitised to these laws. We have now said that all training must include training where they are sensitised to the laws concerning the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.

Then, when you register an FIR, it cannot be left to the whim and fancy of the officer who registers the case. They must take the statement of the victim and the victim's statement must be appropriately reflected in the FIR. The victim could be an unlettered person; so, the victim says something and the officer records something else. The victim's statement must be recorded and the Section that is attracted must reflect the victim's statement, not what the police officer thinks is the minimal duty that he has to perform.

We have also recommended that we must use the media, print and electronic media, to create awareness of these laws. I have already spoken about the community monitoring system. We have said that they must also organise camps in sensitive areas for legal literacy and legal awareness among the sections of the people who are vulnerable. While they sensitise the police officers and the community, they must also create legal awareness and legal literacy among the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes so that they can stand up for their rights and go and register these cases. We have recommended that NGOs working in the area must be associated. NGOs are available there and virtually for everything, you can always find well-meaning and well-intentioned NGOs. These NGOs must be brought into the picture. They must be involved with the community. They must be encouraged to work among the vulnerable sections. We have said that the FIRs and the investigation of FIRs must be supervised at the appropriate level by senior officers. There are senior officers who do not take any interest. I can give you examples from my own experience where if the SP takes an interest in matters of atrocities against the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, you will see a sharp dip in the crime in that district, at least, as long as that person is an SP. Each one, I am sure, has got the same experience.… (*Interruptions*)

DR. MANDA JAGANNATH (NAGARKURNOOL): The problem is that senior officers are not taking any action. … (*Interruptions*)

SHRI P. CHIDAMBARAM: I agree with you. In fact, the popular notion is that nothing can happen in the district, even crime, without the knowledge of the police station. If the SP takes special interest in atrocities against the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, you will find a sharp decline, at least, for the two years or so that he is there. … (*Interruptions*) In areas where they are particularly vulnerable, in my view, the State must make a conscious effort and post officers belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in those districts where the people are especially vulnerable. They must supervise these cases. We have said that the District Magistrate/ District Judge/ District SP must periodically review these cases,

the Judiciary cannot remain aloof by simply saying that `I remain in a cloistered Chamber, and I will only hear the cases'. The District Judge has a special duty. He is responsible for the administration of criminal justice in a district. In fact, the Supreme Court had to tell them that to periodically visit the district jail. Likewise, the District Judge and the Senior Judges must periodically review what is the state of these cases and how they can be expedited. Not only the Executive Administration but the Judicial Wing of the State must also take an interest in these matters. … (*Interruptions*) They should review these cases. Then, we have said that the Districts and Sessions Judge must hold a monthly meeting and in that meeting the District Magistrate, the Superintendent of Police and the Public Prosecutor must be invited. They must review every single case which has been registered and the trial of those cases. … (*Interruptions*)I concede that this is not happening. I agree with you that this is not happening. I say that with a considerable degree of anguish and pain. This is not happening. But hopefully the media will carry this and the print and the electronic media tomorrow may be out of the 700 District Judges or so presiding over districts, may be a few district judges will now realize that it is not their duty merely to hear both sides and deliver the judgment. It is their duty to ensure that the administration of criminal justice in their jurisdiction takes place effectively. So, it is my sincere hope that the District Judges will please hold a meeting once a month or once in two months and review the trial of these cases, expedite these cases and ask why so many cases are ending in acquittal. I will tell you presently why so many acquittals take place.

Now, about the last part of this, we have rehabilitation. It is not enough for the State merely to enforce a law and punish "X" for the crime against "Y". He can be punished. What about "Y" who is the victim? You have to extend measures for the social and economic rehabilitation of the victim. In fact, a part of the reason why atrocities are committed is economic activity. In my experience, I have seen that in some areas, the Scheduled Caste or the Scheduled Tribe person is prosperous. My knowledge is mostly about the Scheduled Caste, not about the Scheduled Tribe. It is

because of the economic activity, because of the enterprise, there are areas where the Scheduled Caste people have also become prosperous. The Scheduled Caste people are able to build brick and stone houses. The Scheduled Caste people are able to acquire vehicles. The Scheduled Caste people are able to dress better, send their children to better schools. One of the reasons why atrocities take place in those places is to cripple them economically. Every riot, every arson case cripples them economically. Therefore, it is important that the State must immediately rush in social and economic measures for the rehabilitation of those who have suffered through these atrocities.

Madam, the National Commission for the Scheduled Castes went into the matter why are cases ending in acquittal. As I said, acquittals are running a little over 70 per cent. They found out the following are the reasons. They took a number of cases and analysed. The so-called compromise between the complainants and the accused is not genuine. I am not against compromise but some of these compromises are forced compromises; compromises are brought about by the police themselves. So, they are not genuine compromises. If they are genuine compromises, we are happy. But some of these are forced compromises. Then, the witnesses turn hostile.

SHRI G.V. HARSHA KUMAR (AMALAPURAM): Sir, there is no provision of anticipatory bail in these cases. This is also because of the police.… (*Interruptions*)

SHRI P. CHIDAMBARAM: The witnesses turn hostile or the witnesses do not appear on the date of the trial. Then, the Judge has no option but to acquit the accused because there is insufficient testimony.… (*Interruptions*)

MADAM CHAIRMAN : Please listen to the hon. Minister. The hon. Minister is answering every question.

… (*Interruptions*)

MADAM CHAIRMAN: Nothing will go on record except the hon. Minister's reply.

*(Interruptions)**

---

*Not recorded.

SHRI P. CHIDAMBARAM: In my experience, I think the most serious lacuna is delay. Delay leads to "disappearance of relevant evidence." Therefore, it is important that the case is tried within three months or six months. If you delay the case, you can be sure that the evidence will disappear; compromise will be forced; witnesses will turn hostile. After that, what is the point of blaming the Judge because he has to acquit? Therefore, it is important that – I repeat it – the District Judge must take responsibility for the administration of criminal justice in his jurisdiction. He must hold the Monitoring Committee meetings every month. He must bring the DM, the SP and others together and try to impress upon all his Judges, the Sub-Judges and the Magistrates that these cases must be tried and the judgment must be pronounced within three months or six months. It is not impossible to pronounce a judgment.… (*Interruptions*)

SHRI VIJAY BAHADUR SINGH (HAMIRPUR): The High Court must monitor the District Judge and the Collector. Otherwise, it will have no effect.… (*Interruptions*)

SHRI P. CHIDAMBARAM: I agree with you. In fact, every High Court has a High Court Judge in charge of a district. That High Court Judge must now monitor that district. I agree with you on this count.

There is another problem. We have asked the States and the High Courts to designate the Special Courts. Now, when you designate a Special Court, which is a Sessions Court, then, you do not designate it only for the Scheduled Caste, the Scheduled Tribe cases but you designate it for a whole lot of cases. Then, the sufferer is the category of cases where the Executive or the Police is no longer having a great interest, any way, to prosecute. Therefore, the Special Courts are really not Special Courts. It is a misnomer to call them Special Courts because a Special Court is a Special Court on many special things. So, it ceases to be a Special Court.… (*Interruptions*)

Then, the Special Court cannot take cognizance of an offence without being committed by the Magistrate. That is a provision in the P.O.A. Act, which, I think is a

lacuna. We are intending to correct that lacuna. He must be able to take cognizance of a case even without the committal by a Magistrate.

The Ministry of Social Justice has taken a number of measures. For example, they are giving assistance for setting up of the Scheduled Caste, Scheduled Tribe Protection Cells; they are giving assistance for the setting up of Special Police Stations in the vulnerable areas.

They are giving assistance for setting up exclusive Special Courts, for awareness generation programmes, incentive for inter caste marriages and for relief. But the budget of the Ministry of Social Justice and Empowerment has increased tremendously since the UPA came into office in 2004. I think my colleague Shri Mukul Wasnik must have given you the numbers. But I still think the funds are insufficient for these purposes. We are a very large country. So, more funds must be allocated to this Ministry so that they can intensify their efforts in the matter that I have just mentioned.

Madam, some States have done well in this regard and I must compliment those States. For example, Andhra Pradesh has set up 22 Mobile Courts in 22 Districts. … (*Interruptions*) After all, whether they give anticipatory bail or regular bail, pending a trial you cannot keep a man in jail for ever. You know the law of the country. Bail is the rule, jail is the exception. So it is not important that they give bail. What is important is that these Mobile Courts should decide the cases quickly. Once the case is decided, there will either be a conviction or acquittal. … (*Interruptions*)

The State of Tamil Nadu has set up four Special Courts in four districts only for Protection of Civil Rights Act. In other districts they are burdened with some other cases. But in these four districts, which are extremely vulnerable, there are really 'Special Courts' for this purpose.

सभापति महोदया : यदि हाउस एग्री करता हो, तो मिनिस्टर साहब की रिप्लाई तक हाउस को बढ़ा दिया जाए, उसके बाद हाफ ऐन ऑवर डिस्कशन, 15 नंबर लेंगे।

कई माननीय सदस्य : हां।

MADAM CHAIRMAN : So the time of the sitting is extended.

SHRI P. CHIDAMBARAM: I am giving these examples because these are good practices and they must be emulated by other States. In Tripura, the First Class Judicial Magistrate has been empowered to hold Special Courts. Kerala has specified the District Court itself as a Special court. But, as I say, the District Court is already burdened with so many kinds of cases. I am not sure whether that is an effective way of dealing with these cases. Chandigarh has designated the Additional Sessions Judge as a Special Court. Puducherry has designated the Chief Judicial Magistrate as a Special Court. Special Police Stations have been set up in Bihar, Chhattisgarh and Madhya Pradesh and, I think, other States should also set up Special Police Stations for dealing with crimes and atrocities against the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): West Bengal has not set up any Special Court. … (*Interruptions*)

SHRI P. CHIDAMBARAM: No, that is not correct. West Bengal has designated the District Judge as a Special Court. But that, as I say, is not a very effective way of dealing with the matter. … (*Interruptions*) This is a serious subject and we must go above the political differences.

The Act allows for appointment of Special Public Prosecutors and I am afraid not many States have appointed Special Public Prosecutors. Regular Public Prosecutors deal with these cases. But I am convinced that regular Public Prosecutors and regular courts are there and then you call them 'special just because the Act requires you to call them 'special' makes them anything but 'special'. So you have to really earmark Special Public Prosecutors and earmark Special courts if we have to make a dent into the kind of crimes that are being committed against these people.

Madam, 23 States have set up SC/ST Protection Cells. I can give you the names of those States. But all major States have set up SC/ST Protection Cells. But the Act provides for the appointment of Nodal Officers. Such officers have been appointed in 28 States. In most States there is a State level Vigilance and Monitoring

Committee chaired by the Chief Minister himself. But I wonder how often that Monitoring Committee meets and how often does it give specific directions in matters that are brought to its notice.

Now, there is a Committee under the Chairmanship of the Minister of Social Justice. That Committee was set up after the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 was passed. That Committee has met, so far, 10 times. The situation in 25 States and 4 Union Territories were reviewed. That committee has expressed that the most important areas of concern are the following five: firstly, the high rate of acquittal; secondly, the high rate of pendency of cases and very low rate of disposal; thirdly, inadequate use of the preventive provisions of the Act, while the punitive provisions are invoked and FIR is registered, preventive provisions are rarely invoked; fourthly, that the committees and other mechanisms provided in the Act have virtually not been put to use; and fifthly, the Act itself may not be deterrent, perhaps it is not being as deterrent as we thought it could be. That is why, we have the issued the advisory on the 1st of April 2010 drawing attention to the provisions of the Act and said that you have to enforce the Act more strictly.

Madam, the POA rules were notified in March 1995, that is, about 15 years ago. Since the Committee chaired by the Minister for Social Justice has come to the conclusion that the provisions of the Act and the rules may not have as much of a deterrent effect, we are in the process of amending the rules. Draft amendments were initiated in November 2009. We are now consulting the States, UTs, other Ministries and the National Commission for Scheduled Castes and my colleague, Shri Mukul Wasnik, informs me that very soon the rules will be amended and the rules will be updated. We will try to make the rules stricter and more stringent so that the Act can be implemented more effectively.

In the Government of India, the principal Ministry or the principal instrument that we have to deal with this matter is, of course, the Ministry of Social Justice. We have a young dynamic Minister. He is taking great interest in the matter. He has started the amendment of the rules and I am sure that he will bring about qualitative

change in the manner in which these two Acts are administered throughout the country. We must extend our fullest support to him in whatever measures he takes and whatever advisory he gives to the States. Parliament must extend full support so that the country, the Governments in the States can know that he has the full backing of Parliament.

Madam, I could go on giving more statistics and details, but that is not the purpose. The purpose is that this is a matter of shame, wherever we go, whoever we talk to, both in India and abroad, ask us about how we treat our Scheduled Castes, Scheduled Tribes and the Minorities. This is nothing to do with party politics or philosophies or ideologies. The point is, we cannot call ourselves a civilised nation, and we cannot call ourselves a land of Gandhi, Nehru and Sardar Patel unless we bring dignity and equal respect for our Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Minorities and if I may add, our largest neglected vulnerable group women.

These are the four, which are most vulnerable in this country. Wherever you go, in the academia, in the universities where human rights organisations gather, the question that is often asked is, very well you are a dynamic nation, you are a growing power, but how do you treat your Scheduled Castes, how do you treat your Scheduled Tribes, how do you treat your Minorities and how do you treat your women.

In Scheduled Castes and Scheduled Tribes, as I said, this is something very deeply connected to the way in which our society is organised. In fact, creative destruction of some of these structures in society is the only way in which we can get over these differences.

SHRI KALYAN BANERJEE : In other countries how many Scheduled Castes are there?

SHRI P. CHIDAMBARAM: Hardly. In other countries, there are other divisions. There is a division of race, there are divisions of tribes, some tribes are considered superior, and some tribes are considered inferior. So, these divisions are there in some other countries too. But we are peculiar; we are unique in this caste system. But we have to get over these. We have to encourage people to transcend caste, to

break these caste barriers and encourage our young people to think beyond caste. I am not sure whether we are doing the right thing sometimes when we deepen the entrenchment of caste. But that will open up a larger debate and I have no intention of opening up a larger debate at this hour of the day.

Some steps that we take entrench caste, and, on the other hand, we talk about how to break caste barriers and to creatively destruct the structure of our society. Be that as it may, in my view the principal responsibility lies with the State Governments. They are our Governments; they are your Government, my Governments in the State. We must impress upon the State Governments to enforce these laws. We will make these laws stronger when we amend these rules. And, if necessary, I am sure the Minister will come back to Parliament even to amend the Act itself. In the meanwhile, my sincere appeal to the State Government, to the Executive and the Judiciary, the Executive must bear great responsibility; the Chief Ministers must take special responsibility; the District Magistrates must take special responsibility in ensuring that prevention and punishment take place in the most vulnerable areas.

Finally, I would once again appeal to the District Judges, you are at the apex of the judicial system; you have the power which no other man or woman has the power to punish. That is an extraordinary power: a power that is given to the ruler alone. You alone have the power to punish. Judicial power is the most potent power in society. You have the power to punish. It is your duty to ensure that criminal justice is administered properly. You must chair these meetings once a month. You must call the DM, the SP and the Prosecutor. You must review these cases. You must improve the rate of disposal. You must ensure witnesses appear, trials take place quickly and punish the people.

As far as the victims are concerned, the Executive and the Judiciary must ensure that the victims are compensated and social and economic rehabilitation takes place. If all of us, collectively, together, demonstrate greater will and determination, I am sure, things will improve. Even if we cannot say in our lifetimes we have changed everything, I hope in our children's life time, at least, this humiliation and crimes and

atrocities that we heap upon Scheduled Castes and Scheduled Tribes, I hope a day will come when we say they are free from these crimes and free from these atrocities and they can live with dignity in this country.

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): सभापति महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। ...(व्यवधान) आपने हमें बाढ़ एवं सुखाड़ विषय पर प्रश्न पूछने दिया था, लेकिन अब आप हमें प्रश्न नहीं पूछने दे रही हैं। ...(व्यवधान)

डॉ. बलीराम (लालगंज): सभापति महोदय, मंत्री जी ने पूरा जवाब नहीं दिया है। ...(व्यवधान)

सभापति महोदया : किसी भी माननीय सदस्य की कोई बात रिकार्ड में नहीं जायेगी।

...(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार : सभापति महोदया, आप हमें इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने नहीं दे रही हैं, इसलिए मैं सदन से वाक आउट करता हूं।

17.43 hrs.

Shri Shailendra Kumar then left the House

डॉ. बलीराम : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उसमें उन्होंने राज्य सरकारों के ऊपर कानून व्यवस्था थोप दी है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जो आपके बस में है, जो केन्द्र सरकार की जिम्मेदारियां हैं, जैसे हमारे तमाम माननीय सदस्यों ने कहा कि हमारा जो रिजर्वेशन है, वह आज तक नौकरियों में पूरा नहीं हुआ है। जो सैंट्रल गवर्नमैंट की यूनीवर्सिटीज हैं, उनमें यूजीसी की गाइडलाइन्स के आधार पर अनुसूचित जाति-जनजाति के जो कोटे भरे नहीं गये हैं, उसके लिए क्या किया जा रहा है? ...(व्यवधान)

सभापति महोदया : आप डायरेक्ट प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदया : माननीय सदस्यगण, आप लोग बैठिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदया : माननीय सदस्यगण, हम बहुत गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं, आप लोग बैठ जाइए।

डॉ. बलीराम जी, आप केवल प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

---

*Not recorded.

सभापति महोदया : आप लोग शांत रहिए, उनको प्रश्न पूछने दीजिए।

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): महोदया, जो बैकलॉग है, वह पूरा हो जाए तो कोई परेशानी नहीं होगी।...(व्यवधान)

MADAM CHAIRMAN: Nothing will go on record except the hon. Minister's reply.

*(Interruptions)**

SHRI P. CHIDAMBARAM : Madam, on the question of reservation, let us be very clear. I am not trying to boast about this. All the constituent Parties of the UPA, I am sure all other Parties here too, and the Congress Party which heads the Government has from the year, 1950, the first amendment, totally committed to reservation for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and to the OBCs. Now, in 1986-87, when Shri Rajiv Gandhi was the Prime Minister and I had the privilege of being the Minister for Personnel, we did the first special drive for filling backlog vacancies, and 55,000 vacancies were filled in a matter of seven months. That is a record.

In UPA-I, the Government, through the DoPT, through the Ministry of Social Justice, etc. filled 54,000 backlog vacancies. These backlogs, you know, accumulate for a variety of reasons. Many of them are legal reasons by people who invent legal reasons but we are totally committed to filling this backlog. In UPA-I we filled 54,000 vacancies. If we find that the backlog is accumulating despite our best efforts to appoint people to these reserved vacancies, we will come up with another drive to fill the backlog vacancies.

MADAM CHAIRMAN: Now, Shri Shailendra Kumar.

… (*Interruptions*)

MADAM CHAIRMAN: Nothing will go on record except what Shri Shailendra Kumar says.

*(Interruptions) **

MADAM CHAIRMAN: Please speak one by one.

… (*Interruptions*)

---

*Not recorded.

डॉ. बलीराम : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।...(व्यवधान)

सभापति महोदया : आपका प्रश्न हो चुका है, उसका उत्तर आ गया है।...(व्यवधान)

शैलेन्द्र कुमार जी, आप बोलिए।

डॉ. बलीराम : महोदया, 68,000 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति की नौकरियों को सामान्य कैटेगरी के लोगों से भर लिया गया है, उसके बारे में क्या होगा?...(व्यवधान)

MADAM CHAIRMAN: Nothing will go on record.

*(Interruptions)**

श्री दारा सिंह चौहान : अनुसूचित जाति आयोग का गठन नहीं किया गया है, अनुसूचित जाति आयोग का गठन होना चाहिए।...(व्यवधान)

सभापति महोदया : श्री दारा सिंह चौहान जी, आप बैठ जाइए।

SHRI P. CHIDAMBARAM: Just a moment. To the best of my understanding of the law, if I am wrong I will correct myself tomorrow or you correct me tomorrow, a reserved vacancy of Scheduled Caste and Scheduled Tribe can only be carried over, can never be filled by a non-Scheduled Caste and a non-Scheduled Tribe. … (*Interruptions*)

श्री दारा सिंह चौहान : किसी भी पीएसयू में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक भी शिड्यूल्ड कास्ट्स का आदमी नहीं है।...(व्यवधान)

सभापति महोदया : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्रीमती परमजीत कौर गुलशन (फ़रीदकोट): रेलवे में ऐसी बहुत सी वैकेंसी पड़ी हुई है।...(व्यवधान)

सभापति महोदया : कृपया आप बैठ जाइए।

SHRI P. CHIDAMBARAM: Tell me which Department, which Ministry. I will look into it personally. … (*Interruptions*) Tell me, I will look into it.

---

*Not recorded.

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय सभापति महोदया, आपने मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं विशेष रूप से अध्यक्ष महोदया का भी आभारी हूं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर नियम 193 के तहत चर्चा की अनुमति प्रदान की। यहां पर आदरणीय सोनिया जी, चिदम्बरम जी, मुकुल वासनिक जी और सदन के नेता श्री प्रणब मुखर्जी उपस्थित हैं। स्वर्गीय प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी जी के समय अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान चलाया था। आज उसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, जिससे अनुसूचित जाति और जनजाति का कोई विकास नहीं हो पा रहा है। आपने जो अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का गठन किया है, उसे कोई संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। मेरा निवेदन है कि उसे भी चुनाव आयोग की तरह संवैधानिक अधिकार देने की व्यवस्था की जाए और इस आयोग में चार महीने से पद खाली हैं, उन्हें शीघ्र भरा जाकर इसका गठन किया जाए।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): सभापति महोदया, अनुमंडल से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक न्यायपालिका में अनुसूचित जाति और जनजाति का प्रतिनिधित्व नहीं है, वह क्यों नहीं रहा है? केन्द्र सरकार द्वारा देश भर में अधिवक्ताओं को मनोनीत किया जाता है, उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति का प्रतिनिधित्व नगण्य है, यह क्यों है? सरकार के जितने भी पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं, बोर्ड हैं या बैंक के डायरेक्टर्स हैं, उनमें कहीं भी इनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, क्यों? गृह मंत्री जी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि सबको कास्ट सिस्टम का डर है, तो भारत सरकार जाति प्रथा के समूल नाश के लिए क्या नीति बनाना चाहती है, जिससे देश से जाति प्रथा का समूल नाश हो जाए और यह प्रथा खत्म हो जाए?

SHRI P. CHIDAMBARAM: Madam, the point now is: Are they showing separately the amount earmarked for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes? You will remember, when I was the Finance Minister, in the Budget beginning 2005-06, we put out a statement showing the amount of money allocated for programmes, which are 100 per cent for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes; and then the programmes in the second part of the statement, where they will also get the benefit. That practice is being continued. If you will kindly look at the Budget papers for this year, there is a statement, which shows that amount for the whole Government of India.

Now, I am told by my colleague that some Ministries are not following the guidelines and creating the minor heads to show for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. I have just got the information that the Planning Commission has constituted a Committee under the chairmanship of Dr. Narendra Jadhav, Member, Planning Commission, who is now looking into the matter; and that Committee will come up with guidelines, instructions for which we will insist that every Ministry, every Department show what is the amount and how it is being spent.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. NARAYANASAMY): Madam, on the issue of Discussion on flood and drought situation in the country, it was partly discussed in this House. It is a very important issue. If you permit, tomorrow we may sit a little late, discuss and conclude this discussion.

MADAM CHAIRMAN : It has already been concluded today.

… (*Interruptions*)

श्री गणेश सिंह (सतना): मंत्री जी को यह भी नहीं मालूम कि इस पर डिसकशन खत्म हो गया है।

सभापति महोदया : मंत्री जी दूसरे सदन में थे।

… (*Interruptions*)

17.54 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

Availability of fertilizers

MADAM CHAIRMAN: The House will now take up Item No. 15 : Half-an-hour Discussion

SHRI RUDRAMADHAB RAY (KANDHAMAL): Madam, I am very much thankful to your for giving me the opportunity to raise a discussion on points arising out of the answer given by the Minister of Chemicals and Fertilizers on 5th August, 2010 to Starred Question No. 162 regarding availability of fertilizers.

The gist of the questions are, whether a number of fertilizer units have been closed down; the number and reasons for closure; loss of production; action taken for availability of fertilizers, consequent availability; and the Empowered Committee of Secretaries' recommendations and action taken thereof? These are the points which were raised in that Question.

Madam, you might have known that the entire House and Members cutting across party lines had uttered their displeasure at the answer of the Minister. The Minister in his answer has admitted that five units of FCIL and three units of HFCL have been closed down.

17.56 hrs. (Dr. M. Thambidurai *in the Chair*)

Similarly, in private sector, three units have been closed down. So, the domestic demand of the country is 280 LMT. The annual production in our country is 211.12 LMT. So, there is deficiency of 70 LMT of fertilizers in our country, especially urea. The Government has arranged for import of urea. So, in the answer, the Minister has spelt out that only one company, that is, Oman India Fertilizer Company has imported 20.62 LMT. So, as against the shortfall of 70 LMT, only 20.62 LMT has been arranged as per the Minister's answer. So, who is going to import the remaining 50 LMT?

Therefore, this raises a doubt in the House and the Minister should spell out how they are going to meet the demand of urea required for the farmers of India. Sir,

you know the application of fertilizers will increase the production of agricultural produces. By increasing the production we can fight against poverty in our country. Sir, you know by increasing the application of fertilizers, we can increase the production. Compared to our neighbouring countries, our country is far behind in application of fertilizers. In China, there is consumption of 260 kg. per hectare but in India the consumption is 120 kg. per hectare. In Orissa, it is merciless, that is, 62 kg. per hectare. So, we have to increase the application of fertilizers.

Therefore, the Government has set up an Empowered Committee of Secretaries to find the modalities and investment avenues for revival of closed units, and they had given their recommendations to the Government.

MR. CHAIRMAN : Mr. Rudramadhab Ray, please try to raise the questions.

SHRI RUDRAMADHAB RAY : But the Minister has not spelt out in his answer what is the recommendation of the Committee. So, the Minister should spell out here what the Empowered Committee of Secretaries recommended to the Government for revival of the units.

Another thing is that the Minister is so confused regarding revival of the units in Orissa. In Talcher in Orissa, the Minister has given two statements, which has caused suspicion in the minds of me as well as in the minds of the people of Orissa.

MR. CHAIRMAN: Whatever questions you want to raise, you raise.

… (*Interruptions*)

SHRI RUDRAMADHAB RAY : On 12.6.2010, the Minister had expressed to *Samaj,* one of the most leading daily newspapers of Orissa, that Talcher unit will be a coal based fertilizer plant.

18.00 hrs.

And gas will be generated out of coal. But, on 20th August it has come in *The Economic Times* in which the same Minister has told that the revival plan included the proposal to convert Talcher Plant from coal based urea plant to a gas based urea plant. There is no problem of water in Talcher. Non-availability of gas remains the bigger hurdle in the way of revival. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Now it is 6 o'clock. If the House accepts, we can extend the time of the House further till the Half-an-Hour Discussion and 'Zero Hour' are over. The hon. Member may proceed and try to put the question.

SHRI RUDRAMADHAB RAY : The proposed gas pipeline will be laid with Reliance Industry carrier gas from Krishna-Godavari basin to West Bengal. However, the Minister will take a final view after consultations and going through the detailed report in the financial revival of Talcher unit. I want a clarification from the hon. Minister whether the Talcher unit will be gas based unit … (*Interruptions*)

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): सभापति महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है, सदन में कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है।

MR. CHAIRMAN: Not necessary. The Minister who has to give the answer is here.

… (*Interruptions*)

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी.नारायणसामी): Hon. Minister Shri Mukul Wasnik was here. वे अभी यहां से गए हैं।

श्री दारा सिंह चौहान : सरकार को किसानों की कोई चिंता नहीं है।

श्री वी.नारायणसामी : कैबिनेट मिनिस्टर अभी आ जाएंगे।

MR. CHAIRMAN: He has come. The Cabinet Minister is here.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

*(Interruptions)**

MR. CHAIRMAN: Let the hon. Member put the question. We have to take up the 'Zero Hour' also. Please try to wind up.

---

*Not recorded.

SHRI RUDRAMADHAB RAY : The hon. Minister should clarify whether the Talcher unit will be a gas based industry out of coal or a pipeline to be drawn through Talcher. He may also spell out in this House as to what is the time bound programme.

Secondly, this is the Government which is very very careless in regard to production of fertilizers. There is a shortfall of 50 lakh metric tonnes of fertilizers. They have not yet planned out as to how to make it up.

Similarly, the Dharitri paper of Orissa..… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: That cannot be allowed. Nothing will go on record.

*(Interruptions)**

MR. CHAIRMAN: Shri G. Hansraj Ahir to speak.

(Interruptions) *

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): महोदय, मैंने सुबह नोटिस दिया था। आप हमें भी बोलने का मौका दीजिए।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: I can go only according to the ballot. Otherwise, there is no end. This is a Half-an-Hour discussion. We have to follow certain rules.

श्री शैलेन्द्र कुमार : महोदय, आप हमें बोलने का मौका दीजिए। यह परम्परा गलत है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Shri G. Hansraj Ahir is speaking. Please do not interfere in his time.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: If you go on interfering like this, I cannot run the House.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Why are you interfering, when he is raising the issue?

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: It is his turn to speak. Why are you interfering now?

श्री शैलेन्द्र कुमार : यह व्यवस्था का प्रश्न है। हमने सुबह नोटिस दिया है। …(व्यवधान)

---

*Not recorded.

MR. CHAIRMAN: Have I called you? Why are you interfering now?

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: You do not dictate terms to the Chair. When he is speaking, you cannot interfere. Let him finish first.

… (*Interruptions*)

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपने 5 तारीख को जवाब दिया था वह यूरिया के बारे में ही था। प्रश्न यूरिया के लिए ही नहीं पूछा गया था बल्कि सभी उर्वरकों के बारे में पूछा गया था। डीएपी की भी कमी है, अनेक उर्वरकों की देश में कमी है। आपको सारे उर्वरकों के बारे में जवाब देना था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने जवाब को दुरुस्त करेंगे। आपने स्वीकार किया है कि देश में सरकार द्वारा संचालित आठ इंडस्ट्री बंद हो गई हैं। आपने इनके बंद होने की वजह बिजली की कमी, गैस की कमी बताई है। इसके साथ अधिक इम्पलाएमेंट देने की वजह से कंपनी को लॉस हो रहा था, इस वजह से भी बंद की हैं। सरकार इसे हल कर सकती थी लेकिन आपने वह प्रयास नहीं किया है। आपने सिर्फ यूरिया के बारे में कहा है, यूरिया की कमी के बारे में बताया है कि 60 लाख टन यूरिया कम है। डीएपी की कितनी कमी है? अन्य उर्वरकों की कितनी कमी है। आपने 20 लाख टन आयात किया है जबकि कमी 60 लाख टन है। इसके चलते हो यह रहा है कि देश में सभी जगह उर्वरकों की कमी से कालाबाजारी हो रही है। खाद की आपूर्ति कम होने की वजह से नकली और मिलावटी उर्वरक बेचे जा रहे हैं। विदर्भ में गोंदिया में एक उद्योगपति को जैन इंडस्ट्री, जो नकली खाद बना रहे थे। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please try to put the questions you want to ask.

श्री हंसराज गं. अहीर : महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि कमी का परिणाम क्या हो रहा है। नकली और मिलावटी खाद बिक रहा है जिसे गरीब किसानों को लेना पड़ता है। यह इतने में ही नहीं रुकता है, अगर कोई डीएपी या यूरिया ले रहा है, कोरोमंडल इंटरनेशनल कंपनी द्वारा गोदावरी डीएपी दिया जाता है, तो वहां जो कंपनियां सप्लाई करती हैं,उसके लिए लिंकिंग की जाती है कि आपको गोदावरी गोल्ड लेना ही पड़ेगा जो आर्गेनिक खाद है जबकि किसानों को इसकी जरूरत नहीं है। इफको द्वारा यूरिया लेते है तो काक्रेस ऑर्गेनिक खाद लेनी ही पड़ती है। इस तरह से आरसीएफ में भी लिंकिंग हुई है।

MR. CHAIRMAN: Shri Dharmendra Yadav, you speak now. Otherwise I will call the next person.

… (*Interruptions*)

श्री हंसराज गं. अहीर : इस तरह की पद्धति में किसान लूटा जा रहा है। मैं आपको बता रहा था कि पैरामिंट पीपीएल कंपनी जिप्सम लेने के मजबूर करती है। मैंने विदर्भ में यवतमाल जिले में चन्द्रपुर जिले में दुकानों में जाकर नजदीक से देखा है इसलिए मैं कह रहा हूं कि कमी है। आप आयात भी कर रहे हैं तो भी पूरा नहीं हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि बंद इंडस्ट्री शुरू करने के लिए सरकार क्या प्रयास करने जा रही है? ईमानदारी से प्रयास करने वाली है या ऐसे ही जवाब देगी? क्या आप खाद की कमी को पूरा करने के लिए आयात करने जा रहे हैं? जब फसल बोनी होती है किसानों को डायरेक्ट और वक्त पर खाद देने की जरूरत पड़ती है लेकिन आपके यहां से सप्लाई में विलंब होता है।

MR. CHAIRMAN: This is not a discussion. Please understand.

… (*Interruptions*)

श्री हंसराज गं. अहीर : जिससे किसानों को ब्लैक में खाद लेनी पड़ती है। हम पूछना चाहते हैं कि सरकार इस मुद्दे पर और क्या कार्यक्रम बना रही है?

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except the statement of Shri Dharmendra Yadav.

(Interruptions)[*]

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ): मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं।

MR. CHAIRMAN: You have to ask the questions and not give a speech.

श्री धर्मेन्द्र यादव : महोदय, किसानों का मसला है, आधा घंटा तो चलने दीजिए।

MR. CHAIRMAN: Already 15 minutes are over. The Minister has to give reply also.

[*] Not recorded

श्री धर्मेन्द्र यादव : सभापति महोदय, अपने जवाब में माननीय मंत्री जी ने यह बताया है कि इतने कारखाने बंद हैं और कारखाने बंद होने के कारण यूरिया और अन्य तमाम उर्वरकों की कमी है। लेकिन माननीय मंत्री जी मेरा आपसे पहला सीधा सवाल यह है कि देश जानना चाहता है कब तक बंद कंपनियां शुरू होंगी और भारत जैसा कृषि प्रधान देश यूरिया और रसायन के मामलों में कब तक आत्मनिर्भर होगा? मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि पहले सरकार की कृषि में सहायता देने की योजना थी और यह योजना भी थी कि अधिकतम मूल्य निर्धारित हो जाता था। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के उतार-चढ़ाव का बोझ सरकार झेलती थी। लेकिन भारत सरकार की नीति मुझे समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि भारत सरकार ने न्यूनतम सहायता घोषित कर दी और ऊपर की सहायता पूरी की पूरी भारत के गरीब किसानों के कंधों पर लाकर छोड़ दी है। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय बाजार, इसके निर्माता, इसके निर्यातकों का एक बड़ा कार्टेल बना हुआ है। भारत सरकार हमारे देश में यूरिया की कालाबाजारी नहीं रोक पा रही है। लेकिन उसके बावजूद विदेशी निर्यातक, विदेशी निर्माताओं के हाथ में भारत के करोड़ों किसानों का भविष्य छोड़ दिया गया है।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के उतार-चढ़ाव के लिए आपके पास कौन सा फार्मूला है, जिस फार्मूले से आप भारत के किसानों को प्रभावित होने से रोक पायेंगे? यदि अंतर्राष्ट्रीय निर्माता और निर्यातक मिल गये तो आपके पास ऐसा कौन सा तरीका है, जिससे हमारे किसान बच पायेंगे? आपने न्यूनतम सहायता घोषित कर दी है और उसके अलावा पूरा किसानों के ऊपर छोड़ दिया गया। हम कहना चाहते हैं कि तमाम आंकड़े कह रहे हैं और हम बड़ा गर्व कर रहे हैं कि इस अतर्राष्ट्रीय मंदी के दौर में भी हमने 8 से 10 प्रतिशत की विकास दर बनाकर रखी है। वहीं मैं मंत्री से कहना चाहता हूं कि आज किसानों की विकास दर दो फीसदी से भी नीचे हो गई और यूरिया के नाम पर आपने सब्सिडी रोक दी है, आखिर इस देश का किसान कहां जायेगा, यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): सभापति महोदय, आपने उर्वरकों की उपलब्धता के बारे में मुझे अपना मत रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। हमारे उर्वरक राज्य मंत्री जी ने 22 जून, 2010 को सभी सांसदों को खत लिखा था कि इस साल उर्वरकों की कमी नहीं रहेगी। जबकि इसके विपरीत पूरे देश में यूरिया की कमी महसूस की जा रही है। एक तरफ देश में एक तरफ यूरिया की बहुत ज्यादा तंगी है, वहीं दूसरी तरफ कंडला, मुंद्रा जैसे बंदरगाहों पर 70 लाख टन यूरिया पत्थर हो गया है। हमारे देश की उर्वरक कंपनियां पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक गैस न मिलने के कारण अपना विस्तार नहीं कर पा रही हैं। जबकि दूसरी ओर सरकार ने इफको और कृभको के साथ मिलकर ओमान जैसे देशों में कंपनियां स्थापित की हैं।

मेरा मंत्री जी से सवाल है कि इन कंपनीज से आम किसानों को कितना सस्ता खाद मिलेगा? कई फैक्टरियों में सरकार गलत तरीके से सब्सिडी दे रही है। उसकी जांच होनी चाहिए। Further, eight public sector and two cooperative fertilizer companies are closed, and not a single new fertilizer company has been installed in the last 10 years.

My question to the hon. Minister is this. Is there any scam in the Urea sector? मेरी मांग है कि इसके बारे में पूरी तरह से जांच होनी चाहिए और किसान को सही मात्रा में यूरिया मिले, सरकार इसका उपाय करे।

MR. CHAIRMAN: Shri Shailendra Kumar to put one question to the hon. Minister.

श्री शैलेन्द्र कुमार : माननीय सभापति महोदय, आधे घंटे की चर्चा में आपने मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अभी तमाम सम्मानित सदस्यों ने प्रश्न किये हैं। इस आधे घंटे की चर्चा के लिए माननीय स्पीकर महोदया ने जो अनुमति प्रदान की है, उसके लिए मैं उनका भी आभारी हूं। इसमें ज्यादातर मांग की गई है कि पूरे देश में यूरिया और डीएपी की मांग के अनुसार हम आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। खाद की उपलब्धता के बारे में यहां प्रश्न किये गये और नकली खाद का भी सदन में जिक्र आया। पिछले सत्र में हम लोगों ने इसी सदन में चर्चा की थी और प्रश्नकाल के दौरान भी हमने चर्चा की थी कि बड़े पैमाने पर नेपाल और बंगलादेश में इन खादों की तस्करी हो रही है और उसे रोकने के लिए सरकार की ध्यान भी आकर्षित किया गया था। लेकिन कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो मांग और आपूर्ति में अंतर है, उसे आप कैसे पूरा करेंगे? अभी कहा गया कि नकली खाद आयी हुई है, उस पर आप कैसे रोक लगायेंगे? बांगलादेश और नेपाल के रास्ते से जो डीएपी और यूरिया खाद की तस्करी हो रही है, उसे रोकने के लिये आप क्या व्यवस्था करेंगे?...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Let the hon. Minister reply. Nothing is going on record except the Minister's statement.

(Interruptions) *

MR. CHAIRMAN: Kindly hear the Minister.

श्री वी.नारायणसामी : अभी मिनिस्टर साहब का जवाब सुनिये।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Let him reply first to the questions raised by the hon. Members. Please take your seat.

...(व्यवधान)

* Not recorded

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): चेयरमन सर...(व्यवधान)

श्री श्रीकांत जैना : आप पहले मेरी बात सुन लीजिये।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Mr. Minister, please address the Chair. Do not address the Member, Mr. Jena; please address the Chair.

श्री श्रीकांत जैना : चेयरमैन साहब, मैं आपका आभारी हूं कि बहुत दिन के बाद यह चर्चा हो रही है। मैं तो सदन से यह अपेक्षा करता था कि कम से कम फर्टिलाइजर और किसान के सवाल पर ढंग से चर्चा होती। इस आधे घंटे की चर्चा में न मैं सब को संतुष्ट कर पाऊंगा और न आपके प्रति न्याय कर पाऊंगा।...(व्यवधान) फर्टिलाईजर के दो सवाल उठ रहे हैं। एक तो जो यूनिट्स बंद हो गये हैं, उन्हें कब रिवाइव कर रहे हैं और दूसरा, अभी यूरिया और डीएपी की देश में कितनी एवेलेब्लिटी है? बहुत सी स्टेट्स में जहां बारिश हुयी है, वहां ठीक से जितनी यूरिया की आवश्यकता है, उतनी नहीं पहुंच पा रही है, ऐसी शिकायत आ रही है। मैंने प्रश्न के उत्तर में बताया था कि 2002 में यूपीए की सरकार नहीं थी। सिन्दरी, गोरखपुर, तालचेर, बरौनी, कोरबा रामगुंडम, दूर्गापुर और हलदिया यूनिट्स को बंद कर दिया गया था जहां पर 23 लाख मीट्रिक टन यूरिया का प्रोडक्शन हो रहा था। ...(व्यवधान) मेरी बात तो सुन लीजिये।

फैक्टरी टैम्पोरेरी क्लोज डाऊन होती है, एक महीने के लिये भी हो सकती है। बहुत सी फैक्ट्रियां बंद भी होती हैं और खुल भी जाती हैं । अगर परमानैंट किसी में सील लग गया तो वह बंद है। उसके बाद भारत सरकार ने, कैबिनेट ने यूपीए गवर्नमेंट आने के बाद 2007 में तय किया कि कितनी यूरिया की देश में जरूरत है और जितनी हमारी जरूरत है, उतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। इसलिये हम इसे कैसे बढ़ायेंगे, इसके लिये जो यूनिट्स बंद हुये हैं, उनको रिवाइव किया जा सकता है या नहीं? कैबिनट ने निर्णय लिया और ग्रुप ऑफ सैक्रेटरीज की एक कमेटी बनायी और कहा कि इस मामले की छानबीन करिये whether those units can be revived or not. छानबीन हुई और ग्रुप ऑफ सैक्रेटरीज की रिकमैंडेशन्स अभी-अभी आयी हैं और उसने दो मॉडल दिये हैं । एक -रेवेन्यू शेयरिंग कि पीपीपी मोड में जायेंगे और हमारे पीएसयूज़ हैं, उन्होंने भी इंटरैस्ट शो किया कि हम रिवाइवल के लिये ले सकते हैं। रुद्र बाबू जो हमारे उड़ीसा के हैं, जब उन्होंने सवाल किया था तो मैं उन्हें समझा नहीं पाया था। तालचर यूनिट कोल बेस्ड यूनिट है। उसे बंद किया गया था। तालचर में कोयला है। तालचर मे नैचुरल गैस जाने में समय लगेगा। यह कब आयेगा, किसी को पता नहीं है? जो नयी टैक्नोलॉजी आयी है कि कोल गैसीफिकेशन रूट में क्या यह यूनिट रिवाइव हो सकती है? इसके लिए एक टीम चाइना गयी, साऊथ अफ्रीका से भी खबर ली गयी कि Coal gasification route is the best route, and it can be revived. इसीलिए राष्ट्रीय कैमिकल एंड फर्टीलाइजर, गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ

इंडिया लिमिटेड और कोल इंडिया तीनों ने मिलकर डिपार्टमेंट ऑफ फर्टीलाइजर को प्रस्ताव दिया कि हम एक कंसोडियम बनाकर इसे चलाना चाहते हैं। हमने सोचा कि ऑक्सन रूट में न जाकर, हम सीधे कैबिनेट को एप्रोच करेंगे ताकि यह यूनिट तुरन्त खुल जाये। इसी दिशा में एम्पॉवर कमेटी ऑफ सैक्रेटरीज की रिकमंडेशन आ गयी है, अब यह कैबिनेट को जा रहा है और कैबिनेट के एप्रूवल के बाद बिना टेंडर के सीधे पब्लिक सेक्टर यूनिट के नाते इसे नॉमिनेशन बेसिस पर दिया जायेगा। तालचर यूनिट पर मैंने राज्य सभा में यही उत्तर दिया था कि कम से कम समय में करें।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): हम छह महीने से यह प्रस्ताव सुन रहे हैं।

श्री श्रीकांत जेना : एक यूनिट को कौन सी टैक्नोलॉजी में हम लेंगे और एक यूनिट जिसमें दस हजार करोड़ रूपये का इन्वेस्टमेंट होगा। आप बताइये कि उड़ीसा में ऐसे कितने यूनिट आये हैं, जिसमें दस हजार करोड़ रूपये की यूनिट को आप दो दिन में, दो महीने में, छह महीने में, पांच साल में लाये हैं। इसलिए यह एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को लागू करने के लिए, मैं इसके लिए किसी को दोष नहीं दे रहा हूं कि कम से कम, जिस यूनिट को ...(व्यवधान)

श्री रुद्रमाधव राय (कंधमाल): क्या यह इकोनॉमिकल वॉयबल है?...(व्यवधान)

SHRI SRIKANT JENA: Yes, it is economically viable. That is why we are going in for that. ...(व्यवधान) आप मेरी बात सुनिये। सदन में न्यूज पेपर को कोट नहीं करते हैं। The point is, if natural gas is available to us, we will certainly go in for that. The natural gas is not available and that is why we are going in for this shortest route. The price will not be less than the price of natural gas price. That is why coal gasification route is the best route and that is why this unit can be revived earlier on other units will be revived only when the gas will be available to the Fertiliser Ministry. Not only the availability of gas, but the price of the gas is more important. … (*Interruptions*) I am coming to that.

श्री हंसराज गं. अहीर : मैं आपको जानकारी दूं। कोल गैस यूनिट के लिए 25 साल लगेंगे।

श्री श्रीकांत जेना : मैं आपको उस कमेटी में लेकर जाऊंगा।

श्री हंसराज गं. अहीर : मंत्री जी आप सही जवाब दीजिये।

श्री श्रीकांत जेना : आप मेरी बात सुनिये। Neither you are an expert nor I am an expert. आप मेरी बात सुनिये। आप जानते हैं या नहीं...(व्यवधान)

श्री हंसराज गं. अहीर : मैं जानता हूं। इसके लिए 25 साल लगेंगे।...(व्यवधान)

श्री श्रीकांत जेना : रामागुंडम और तालचर कोल गैसीफिकेशन रूट में ही चल रहा था। ऐसा नहीं है कि हम नयी टैक्नोलॉजी ला रहे हैं। Ramagundam and Talcher, these two units were operational before also on coal gasification route. It is not a new technology. The improved technology that is available today is more suitable and all over the world, wherever coal is available, those units are functional. You can go and see it. If you want, a Committee can go and see it also.

Therefore, this is the route that has been decided to revive the Talcher unit. Not only the Talcher unit, Ramagundam unit was also considered. But natural gas is now available around Ramagundam, and so Ramagundam is also going to be revived. About the other units I have already said in my reply. मैंने बता दिया है कि जो आठ यूनिट हैं, उन्हें रिवाइव करने के लिए हम कैबिनेट के पास जा रहे हैं। मुझे लगता है कि कबिनेट जल्दी से जल्दी इस पर निर्णय लेगी।...(व्यवधान) नहीं, जीओएम में नहीं जायेगा, यह सीधा कैबिनेट को जा रहा है। जीओएम इसके लिए नहीं है। दूसरी बात यूरिया की उपलब्धता के बारे में है। ...(व्यवधान)

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Can we have a GoM on coal gasification please?

SHRI SRIKANT JENA: No, it is not required because this is a technology which is approved in your own Constituency. The Jindal Group is also having a coal gasification plant. Therefore, this technology is proven. Therefore, there is no necessity of going in for a GoM or anything for that matter.

डॉ. भोला सिंह (नवादा): मंत्री जी बरौनी के बारे में बताइये।...(व्यवधान)

श्री श्रीकांत जेना : मैंने बरौनी के बारे में बताया। बरौनी को एक स्पेशल परपज वहीकल बनाया गया था। उस समय इसको पब्लिक सैक्टर को दिया गया था। अभी जो न्यू इनवैस्टमैंट पॉलिसी आ रही है, उसमें गैस का प्राइस क्या होगा, एक बार यह फैसला हो जाए तो बरौनी का काम भी शुरू हो जाएगा। ...(व्यवधान) Let me complete the speech. You can put the question. We can discuss this matter very well. The point is that the Government is very keen to revive this unit because urea is required in this country. We require 280 lakh tonnes but our availability is hardly 211 lakh tonnes. We import nearly 50 lakh tonnes of area. We do not know what will

happen to the prices because we do not have control over international market. One thing I can assure Shri Dharmendra ji that it is a controlled item. Urea consumption by the farmers is 55 per cent. 55 प्रतिशत यूरिया का कंज़म्पशन देश में किसानों द्वारा फर्टिलाइज़र के रूप में होता है, उसके बाद डीएपी और एमओपी आता है, लेकिन यूरिया सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए यूरिया की एवलेबिलिटी कराने के लिए गवर्नमैंट अभी भी यूरिया को कंट्रोल में रख रही है लेकिन डिस्ट्रिब्यूशन के बारे में बता दूँ, मैं आपको आँकड़े दे दूँ कि कौन-कौन सी स्टेट को आज तक कितना यूरिया दिया गया है। कल तक कितना यूरिया रिक्वायर्ड था और कितना दिया गया है। ...(व्यवधान)

श्रीमती ज्योति धुर्वे (बेतूल): लेकिन मध्य प्रदेश में यूरिया की बहुत कमी है। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Let the Minister complete his speech.

… (*Interruptions*)

श्री श्रीकांत जेना : आप मेरी बात सुन लीजिए। ...(व्यवधान) मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक राज्यों में वर्षा अच्छी हुई है और इसलिए यूरिया की डिमांड भी बढ़ी है। 60 rakes are moving daily to different parts of the country. Particularly wherever requirement is there, we are trying to reach that State. Let me admit that smuggling is taking place. मेरी बात सुनिये, स्मगलिंग हो रही है। यूरिया जो किसान के लिए जा रहा है, कुछ लोग उसको डाइवर्ट करके इंडस्ट्रियल परपज़ में यूज़ करते हैं। स्मगलिंग हो रही है बाहर से। ...(व्यवधान) मेरी बात तो सुन लीजिए। ...(व्यवधान) मैं वह भी बता दूँगा। ...(व्यवधान) Please listen to me with patience.

MR. CHAIRMAN: Let the Minister address the Chair. He is not addressing the Chair. That is the problem.

SHRI SRIKANT JENA: Fertilizer Control Order empowers the State Government. We are in constant touch with the State Government to know what is their requirement and as per their requirement, we make available the requirement. The availability is more than requirement and the distribution is purely the responsibility of the State Government. If the State Government will not look at that, what can I do or what you can do? Therefore, I say that I have written to all the hon. Members. Wherever there is requirement and hon. Members suggest me, I will see that urea is made available and DAP is available there. But at the same time, I have requested the hon. Minister of Rural Development. There is a Committee under the Chairmanship

of the Member of Parliament and all information would be given to the hon. MPs so that at the district level, they can also monitor as to what is the availability of the fertilizers and as to how it is being distributed. They can monitor in their own respective district also because dealers are deliberately hoarding them and giving them to the farmers at a higher price. Therefore, the FCO and the Agriculture Department of the State Government must take immediate action. Therefore, we are writing to all the Chief Secretaries; I have written letters to all the Chief Ministers and I am also writing to all the Members of Parliament to please take necessary steps. ...(व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र यादव : राज्य सरकारों को कंट्रोल नहीं कर पाए तो आप एमआरपी को कैसे कंट्रोल करेंगे? ...(व्यवधान)

श्री श्रीकांत जेना :मेरी बात सुन लीजिए। यूरिया का एमआरपी भारत सरकार द्वारा फिक्स्ड है। The MRP of urea is fixed by the Government of India. Nobody can change the MRP of urea. Anybody who is selling more than the MRP, they are penalized under the Fertilizer Control Order and under the Essential Commodities Act. ...(व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र यादव : जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार से आयात कर रहे हैं, उनको कैसे कंट्रोल करेंगे? ...(व्यवधान)

श्री श्रीकांत जेना : आप मेरी बात सुन लीजिए।...(व्यवधान) Therefore, what I suggest is that it is a matter… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Nothing except the hon. Minister's reply will go on record.

*....(Interruptions)**

श्री श्रीकांत जेना : वह भी कराएंगे, लेकिन मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप भी सजग रहिए। मैं आपको इनफार्मेशन दे देता हूं कि किस क्षेत्र में कितना फर्टिलाइज़र दिया गया है।...(व्यवधान) मेरे पास टोटल इनफोर्मेशन है, जो मैं आपको दे दूंगा।...(व्यवधान) I would share all the information with all the hon. Members. At the same time, I seek cooperation of the hon. Members. Fertilisers should reach the farmers and not to the traders who are engaged in their smuggling. Members can help the farmers and also the Government by monitoring it under the

---

*Not recorded.

Monitoring Committee at their command. I would request the Members to take initiative in this regard. I can assure the availability of fertilizers. I would see to it that wherever the shortage is, if Members write to me or tell me, fertilizers are made available there. .… (*Interruptions*)

18.31 hrs.

MR. CHAIRMAN : Now, we take up 'Zero Hour'.

Shri Ganesh Singh.

श्री गणेश सिंह (सतना): सभापति महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले की ओर भारत सरकार के डाक एवं संचार मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: We have already started with the 'Zero Hour'. Nothing except what Shri Ganesh Singh is saying will go on record.

*(Interruptions)**

श्री गणेश सिंह : डाक एवं संचार मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि देश के कई ऐसे बड़े गांव हैं, जहां पोस्ट आफिस नहीं हैं, जबकि केन्द्र एवं राज्य सरकारों ने कई जनकल्याणकारी योजनाएं पोस्ट आफिसों के माध्यम से हितग्राहियों के खाते खोलने एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन इत्यादि के भुगतान का काम कराने की नीतियां बनायी हुई हैं। रेलवे मंत्रालय ने रेल टिकट भी पोस्ट आफिस से देने की घोषणा की है। इसी तरह से मनरेगा में मजदूरों के भूगतान के खाते भी वहीं खोले गए हैं। लेकिन आज यह भी देखा जा रहा है कि देश के कई सुदूर अंचलों में 15-15 किलोमीटर तक कोई पोस्ट आफिस नहीं है। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि मेरे लोक सभा क्षेत्र में कोटर एक ऐसी जगह है, जहां तहसील मुख्यालय है और आज तक वहां उप-डाकघर नहीं बना है। मैं भारत सरकार से मांग करना चाहता हूं कि देश में एक हजार की आबादी के उन सभी गांवों में उप-डाकघर खोले जाएं और केन्द्र और राज्य सरकारों ने जो योजनाएं चलायी हैं, पोस्ट आफिस तक उन योजनाओं को लोगों तक ठीक ढंग से हम लोग चला सकें, इसलिए मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि एक हजार की आबादी वाले सभी गांवों में पोस्ट आफिस खोले जाएं।

श्री गजेन्द्र सिंह राजुखेड़ी (धार): महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के मऊ तहसील के जंगलों में आदिवासियों की छोटी-छोटी बसावट है। उन गांवों के आसपास की जमीन पर विगत 25-30 वर्षों से आदिवासी खेती करते आ रहे हैं। वर्ष 2005 की वन नीति के अनुसार उन आदिवासियों को पट्टा देना था, लेकिन पट्टा देना तो दूर, पट्टा देने की बजाय उन आदिवासियों के ऊपर अत्याचार और अन्याय किया जा रहा है।...(व्यवधान) 21 अगस्त 2010 की रात को चार बजे वन विभाग के अधिकारी 10-12 कर्मचारियों के साथ आए और एक आदिवासी श्री रामचन्द्र और उसके बेटे को ले गए, उनके साथ मारपीट की। जब रामचन्द्र थाने गया तो उसकी रिपोर्ट दर्ज करने की बजाय पुलिस ने मार-पीट करके भगा दिया। इसी प्रकार 9 जुलाई को वन विभाग के अधिकारियों ने

---

*Not recorded.

हद कर दी, जब घनश्याम नाम के एक आदिवासी की इतनी पिटाई की कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, एक नंदु की पिटाई की, उसका हाथ टूट गया, 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा कुमारी गोपी चोपड़ा, उसकी पुस्तकों को फाड़कर जला दिया गया, उसके घर को तहस-नहस करके तोड़ दिया। इसके बाद वन विभाग के अधिकारी डिप्टी रैंजर भदौरिया और एएसडीओ फारेस्ट अभय जैन महिलाओं को, मैं क्या बताऊं आपको। ये महिलाओं को अकेले में रात के अंधेरे में बात करने के लिए बुलाते हैं।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि इन लोगों को पट्टे दिए जाएं। जिस अधिकारी और जिन पुलिस अधिकारियों ने इनकी रिपोर्ट नहीं लिखी और जिन्होंने इन पर अन्याय एवं अत्याचार किया, उन पर केस दर्ज किया जाए, मेरा आपसे यही अनुरोध है।

SHRI PRATAP SINGH BAJWA (GURDASPUR): Hon. Chairman, Sir, I stand today to support the long-pending demand of Dalit Christians that they should be included in the category of Schedule Castes, since they share the same socio-economic status, and stigma as their counterparts. The plea of the Dalit Christians is that when the Schedule Castes Order has been altered twice on this issue, why can it not be amended again to include them? It has already been done in case of both Dalit Sikhs and Dalit Bodhs.

Most of the Dalit Christians are economically poor, educationally backward, politically powerless and socially outcaste. For this reason, Dalit Christians demand that the Indian Government should restore their legitimate rights and cease to discriminate against them on grounds of religion.

As per a recent study, inter-caste marriages between Dalits and non-Dalits among Christians is not common and is even prohibited, and social sanctions are imposed on those who break this taboo. Social segregation is also there in the sphere of worship and religious rituals as well as insistence on separate burial grounds for Dalit Christians. The study further says that since the last major judicial pronouncement on Dalit Christian issue, there is a lot more evidence available now on the social, economical and educational backwardness of Dalit Christians. As per this study, there is no compelling evidence to justify denying SC status to Dalit Christians.

I am made to believe that Justice Ranganath Mishra Commission has supported my contention in its report.

Since I am personally aware of the problems being faced by the Dalit Christians because there are, around 1,50,000 Christians in my parliamentary constituency, Gurdaspur in Punjab, and since there are no schemes for their upliftment, I urge upon the hon. Minister of Minority Affairs to kindly bring in the necessary amendment to the Scheduled Castes Order of 1950 to provide reservations to the Dalit Christians in order to do justice to the long-pending demand of theirs.

SHRI G.M SIDDESHWARA (DAVANGERE): Hon. Chairman, Sir, I would like to draw the kind attention of the Union Government to the need for sanctioning the salary grants for the year 2009-10 for 20 artists and one Guru in the Shivakumara Kalasangha Shivasanchara, Sanehalli, Hosadurga Taluk, Chitradurga District, Karnataka.

Shivasanchara is a reputed Theatre Repertory of Karnataka and was founded as part of the decennial celebrations of Shivakumara Kalasangha in the year 1997. A group of 20 rural artists are selected every year and trained in histrionics under the expert guidance of theatre directors. The artists are paid monthly honorarium and provided free boarding and lodging during their period of training. In addition, the Shivasanchara is regularly organizing various activities like Yearly Drama Festival from November 1st to 9th, Training Camp for Children, Seminars, Printing of Books and Street Plays with a view to strengthen their troops to render greater service in this field. For this purpose, they have demanded a financial assistance for payment to 20 Artists and one Guru for the year 2009-10.

I have written so many letters to the Ministry in this regard. And even after my personal meeting with the then Minister, the Ministry of Culture has not so far sanctioned the grant to this Kalasangha.

Keeping in view of the above, I urge upon the Union Government to sanction the financial grants to the Shivakumara Kalasangha at the earliest so that they can improve their activities further.

श्री देवजी एम. पटेल (जालौर): सभापति महोदय, मैं जो सबसे ज्यादा किल्लत पानी की है, उसके बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मेरे संसदीय क्षेत्र जालौर-सिरोही के अन्दर सिरोही में बनास नदी है, जो सबसे बड़ी है। उसके अन्तर्गत आबूरोड और पिंडवाड़ा तहसील का काफी बड़ा क्षेत्र आता है, जो कि एक पिछड़ा क्षेत्र है, जिसमें गरासिया और भील आदिवासी जाति के लोग रहते हैं। आबूरोड से 35 किलोमीटर पहले धनारी गांव में इस नदी पर एक बांध बना हुआ है। आबूरोड होते हुए गुजरात सीमा के लगभग 50 किलोमीटर तक इस नदी पर कोई बांध या एनिकट नहीं है, जिसकी वजह से इस बांध के बाद में इस नदी का बहने वाला 1.5 लाख क्यूसेक्स पानी व्यर्थ में बहकर गुजरात राज्य में चला जाता है। दातीवाड़ाबाद की ओर जाने के बाद में हमारे यहां पर पानी की बहुत बड़ी किल्लत रहती है।

कुछ वर्ष पहले यह नदी लगातार बहती थी, जिसके कारण इसके किनारे जो गांव बसे हुए हैं, उनमें यह नदी ही जल के लिए एकमात्र स्रोत थी, जो आज एकदम खत्म हो चुकी है। मैं सरकार से यह मांग करना चाहूंगा कि आबूरोड, जिसकी जनसंख्या लगभग एक लाख है, इस नदी के किनारे पर बसा हुआ है और राजस्थान गुजरात का सीमा क्षेत्र है।...(व्यवधान)

एक मिनट। मुझे पूरा करने दीजिए। मैं सुबह से बैठा हूं। मैं यह मांग करना चाहता हूं कि इसके लिए हमने बहुत सारे आवेदन दिये हैं। तहसीलदार ने भी वहां से लिखकर भेजा है। अगर मात्र 3.5 करोड़ रुपये मिल जाते तो उससे एक एनिकट बन जाता, लेकिन राज्य सरकार वापस वही राग अलापती है कि हमारे पास पैसा नहीं है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध कर रहा हूं कि मात्र 3.5 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज देकर यह बांध बनाने में हमारी मदद करे, ताकि वहां हमारी समस्या का समाधान हो सके।

SHRI G. S. BASAVARAJ (TUMKUR): Mr. Chairman, Sir, I would like to caution the Centre about the acute drinking water scarcity being faced by the people in the vast tracts of Tumkar, Kolar, Chitradurga, parts of Hassan, parts of Chikmagalur and rural and urban districts of Bengaluru. Unless this problem is tackled seriously, the above tracts are likely to be barren and drought affected in a short span of five to ten years. There are streams and tributaries that flow westwards into the sea without their full volume being harnessed for public use. Adequate water from these streams can be be harnessed by pressure tunnel process at an altitude of 915 to 920 metres from MSL without having any adverse effect on ecology and environment.

The proposed sites for such facilities can be at Madikeri, Somwarpet, Sakleshpur and Moodigere which put together can make available 90 TMC of water for drinking purposes for meeting the demands from the drought prone tracts as mentioned above and also to recharge more than 13,000 tanks and ponds. At the instance of Karnataka, the National Remote Sensing Agency, Hyderabad had undertaken an aerial survey of these streams and tributaries flowing westwards and on the feasibility of excess water getting diverted to feed the drought prone areas. The Report is lying with the Government of Karnataka.

I would like to urge upon the Centre to take up the issue with the Government of Karnataka to implement the project by offering maximum possible Central assistance for providing drinking and recharge of the ground water level.

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड (मुम्बई दक्षिण-मध्य): सभापति महोदय, मैं शासन का एक बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मुम्बई में दादर चैत्य भूमि के ऊपर डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर का स्मारक है। डाक्टर बाबा साहब अंबेडकर को सभी जानते हैं, जो संविधान के निर्माता हैं और उन्होंने देश में समानता लाने की कोशिश की। बाबा साहब का जो स्मारक है, वह बहुत छोटे पैमाने पर है। महाराष्ट्र शासन और केंद्र शासन और बाबा साहब के सभी अनुयायी भी चाहते हैं कि बाबा साहब का एक राष्ट्रीय स्तर का स्मारक होना चाहिए। यह हम सब की इच्छा है।

महोदय, जब बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिन आता है, तब 25 से 30 लाख लोग वहां पूरे देश से आते हैं। वहां खड़े होने की जगह भी नहीं रहती है। मेरी मांग है कि उसके पास में इंडिया यूनाइटेड मिल्स डाई वर्क्स नामक मिल है, जो बंद पड़ी हुयी है, जो केंद्र सरकार की मिल है। उस मिल के बंद होने के बाद हमने वस्त्र उद्योग मंत्री को एक लेटर लिखा था। उन्होंने भी इसकी सहमति दी है। मैं चाहता हूं कि इस मिल की जगह डा. बाबा साहब अंबेडकर स्मारक के लिए दी जाए। वहां बाबा साहब के जीवन की आर्ट गैलरी बना सकते हैं, वहां बाबा साहब का पूरे जीवन की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक लाइब्रेरी बना सकते हैं, भिक्षु निवास बना सकते हैं, बौद्ध फिलास्फी के लिए एक केंद्र बना सकते हैं। मेरी मांग है कि केंद्र सरकार की जो मिल है, जिसके लिए मंत्री महोदय ने सहमति दी है कि यह जगह देने के लिए केन्द्र शासन तैयार हैं। अगर जल्दी से जल्दी महाराष्ट्र शासन को जगह मिलेगी तो वहां बाबा साहब के नाम की एक अंतराष्ट्रीय स्तर की स्मारक लायब्रेरी बना सकते हैं।

महोदय, मेरी आपके माध्यम से मंत्री महोदय और सरकार से विनती है कि इस स्मारक को बनाने के लिए जल्दी से जल्दी जगह दे।

SHRI PRALHLAD JOSHI (DHARWAD): Mr. Chairman Sir, we are all aware that Railway Mail Services (RMS) are the age-old basic utility services rendered by Postal Department in coordination of the Railways. It is the lifeline of Postal Department. But there seems to be a deliberate attempt by the postal authorities to shift these services towards the area of privatisation especially mail services without formally announcing it. This is confirmed beyond doubt by turning away these mail services from RMS to road transport vehicles.

In my constituency, namely, the Hubli Division of Karnataka itself, it is reported to me that a section of RMS working in Guntakal Passenger Train, the section working in the Hubli-Bangalore-Mysore Intercity Train and Hubli-Bellary Railway Mail Services are withdrawn and in its place, private vehicles are being hired and mail bags are dispatched. Likewise, the RMS route towards Sholapur, Bijapur and Bagalkot are also being converted into Road Transport Mail Services by hiring private vehicles. The reason being given includes speedy mail services, unlike in the RMS as there have been less frequency in rail services, and we can reach out to various interior places quicker by road than by rail. But this is not well justified if we look at an example of how the mail bags that are carried by Ranichannamma Express from Bangalore to Hubli which are meant to be dispatched towards Bijapur and Bagalkot. These mail bags are said to be dumped in Hubli RMS office till late in the evening to be picked up by private vehicles which cause inordinate delay in distribution. It is distributed only late in the evening.

It is needless to explain how this move for privatisation results in reduction of staff strength and lead to distress in the existing staff working in RMS. It is repeatedly brought to my notice by the RMS Employees Union. Therefore, I urge the Central Government to take this matter into consideration.

I have one more point to be brought to your kind notice and it is about the long pending issue of regularisation of 32 casual labourers in Hubli Division. It is pending

since many years and even the Supreme Court in its recent judgement has directed the Government of India to lay down specific guidelines. In spite of this, RMS Hubli Division has not taken it into consideration and the labourers are not being regularised. They are working there for more than 15 years. They should take their service into account and justice should be given to them.

श्री मनीष तिवारी (लुधियाना): सभापति महोदय, पिछले दिनों समाचार पत्रों में एक बहुत ही चिंताजनक खबर छपी थी, जिसकी ओर मैं आपका और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। गुजरात के महसाना जिले में ओंजा शहर है, वहां पर दो पत्रकारों ने, एक व्यक्ति को जिसका नाम कल्पेश मिस्त्री है, आत्मदाह करने के लिए उकसाया था।

मकसद यह कि उनका जो टीवी चैनल था, जिसके लिए वे काम करते थे, उसकी टीआरपी बढ़ जाए। क्योंकि यह फौजदारी का मामला है और सदन में अगर कोई भी बात कही गई तो उसका असर उस जांच पर पड़ सकता है, इसलिए इस विषय के तथ्यों में न जाकर मैं एक बड़ा सवाल खड़ा करना चाहता हूं। आज इस देश और मीडिया को टीआरपी के आतंक से निजात दिलवाने की जरूरत है। सारा खेल आंखों की पुतलियों, जिसे अंग्रेजी में आई बॉल्स कहते हैं, का है। जितने आई बॉल्स उतने विज्ञापन। हम इस सदन में और बाहर जितना मर्जी कह लें कि जो आई बॉल्स या टीआरपी है, यह देश की वास्तविकता को प्रदर्शित नहीं करती। लेकिन जिन व्यक्तियों ने विज्ञापन देना है, उनके लिए मापदंड सिर्फ एक ही है और वह टीआरपी है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश के मीडिया को बचाने के लिए, जो लोकतंत्र का स्तम्भ है, टीआरपी और पेड न्यूज का जो आतंक है, इससे निजात दिलवाने के लिए कोई न कोई ठोस कदम जल्द उठाए जाने चाहिए। मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से संथाल-परगना जहां से मैं मैम्बर ऑफ पार्लियामैंट हूं, उसकी स्थितियों के बारे में ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। श्री प्रेमचंद की एक नमक का दरोगा कहानी है। उसमें कहा जाता है कि अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी जहरीली होती है। मैं यह बात इसलिए कहता हूं कि संथाल-परगना या झारखंड इस देश का 50 प्रतिशत माइन्स और मिनरल्स प्रोड्यूस करता है। मैं जिस एरिया से आता हूं, इसके बावजूद वहां 75 प्रतिशत लोग शैडयूल्ड कास्ट्स, शैडयूल्ड ट्राइब्स, बैकवर्ड हैं और वे बीपीएल श्रेणी में निवास करते हैं। उसका बार्डर एक तरफ बंगलादेश से जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ नेपाल से जुड़ा हुआ है। वहां पीने के पानी का यह समस्या है कि आदमी पानी पी रहा है या जानवर पानी पी रहा है, इसका अंदाजा नहीं है। स्कूल का यह हाल है कि वहां 20 से 22 प्रतिशत महिलाएं ही केवल स्कूल जा रही हैं, साक्षर हैं। छः जिले - गोड्डा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़ और साहबगंज है। उसका साक्षरता का

प्रतिशत 20 से 22 है। वहां जो इरीगेशन प्रौजेक्ट चल रहे हैं, किसी भी खेत में पानी नहीं है। वे 40-40 साल से चल रहे हैं। आप समझिये कि वह करप्शन का सबसे बड़ा अड्डा है। वहां कोई इलैक्ट्रीसिटी नहीं है। दस हजार मेगावाट वहां जो कोयला है, संथाल-परगना में एशिया का सबसे बड़ा राजमहल कोल ब्लाक, चित्रा कोल ब्लाक है। उससे बिहार के कहलगांव में पावर प्रोड्यूस हो रही है, फरक्का में प्रोड्यूस हो रही है और वहीं से पंजाब जा रही है, वैस्ट बंगाल जा रही है। पूरे संथाल-परगना में एक भी पावर प्लांट नहीं है। एक महिला कालेज नहीं है और जो महिला कालेज है, उसकी पूरी दीवार टूटी हुई है। लड़के जो कालेज में आते हैं, उनकी अटेंडैंस का केवल दस से बारह प्रतिशत का ही चार्ट है। मैं कहना चाहता हूं कि वह डिप्राइव्ड सैक्शन है, बंगलादेश और नेपाल से बार्डर जुड़ा हुआ है, रोजगार का कोई भी साधन नहीं है, सब बेरोजगार हैं। इस कारण वह ईपी सैंटर है। केन्द्र सरकार ने अभी जो 34-35 जिले लिये हैं और जिनमें वह 15 हजार करोड़ रुपये इन्वेस्ट कर रही है, मैंने प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखा है, गृह मंत्री जी से कहा है, वित्त मंत्री जी को कहा है कि जब तक आप इन छः जिलों को इनक्लूड नहीं करेंगे, मैं आपको बता दूं कि जब हमारे पड़ोसी मुल्क के एक व्यक्ति प्रधान मंत्री बने, जो माओइस्ट हैं, जब वे यहां आये, माननीय शरद यादव जी इस सदन के सांसद हैं। जब उन्होंने दिल्ली में प्रैस कांफ्रेस की, तो कहा कि जब वे अंडर ग्राउंड थे, तब उन्होंने पांच साल उसी संथाल-परगना में बिताये। यह उन्होंने टीवी पर ऑन रिकार्ड कहा, मीडिया में कहा कि वह इतना बड़ा नक्सलवादियों का ईपी सैंटर है। मेरा केन्द्र सरकार से आपके माध्यम आग्रह है कि आप उन छः जिलों को नक्सलाइट अफैक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में इनक्लूड कीजिए, नहीं तो आपका 15 हजार करोड़ रुपया डूब जायेगा, क्योंकि नक्सलवादी वहीं से उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश या बिहार जा रहे हैं।

SHRI KODIKKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, Attappady is one of the important tribal areas of Kerala which is located in the Palakkad district, the border of Tamil Nadu. Sir, you are very much aware of it.

Attappady is home to 6,000 tribal families in 180 hamlets scattered over 745 sq. km. in three panchayats. From being more than 91 per cent of the population in 1951, the tribals have since been reduced to a minority. The non-tribal population has increased considerably due to migration from Tamil Nadu and other parts of Kerala. There is a sharp decline in agriculture as well. The region has gradually suffered ecological degradation, resulting in all classes of land – private farms, forest, riverbanks, wetlands and common lands – becoming wasteland. By the early 1990s, more than 80 per cent of its people had sunk below the poverty line. Attappady was

stricken with rampant child labour, migration to the plains and disease and hunger. The tribes slowly started migrating and shifted from agriculture to labour generated by welfare schemes. But when the villagers came back to their respective land, they found that outsiders had occupied their land and the sale documents that were shown also looked authentic.

Sir, in a particular area stretched over 224 acres; 50 acres belong to the forest department and the rest to the tribals. But the land mafia has bought and sold 400 acres by double-selling the same plot. Property is changing hands every few months, bringing profit to a small circle. Banks even offer loans against such property. Initially, duplicate documents are made in the name of individuals/middlemen, and then they transfer the land to corporates and multinationals. But the revenue records prove that the land really belongs to the tribals.

Under Kerala's Tribal Land Act of 1975, the tribal land can only be sold to other tribals and that too in unavoidable circumstances. The Supreme Court has asked the Government to cancel all transactions after 1986. But the law is subverted by convincing adivasis that the land is being taken on rent. Pune-based Sarjan Realities, which arranges land for Suzlon Energy Ltd., has managed to et 623 acres in Attappady, on which 30 windmills have been set up and most of this is in Sholayoor and Agali panchayats near Coimbatore area, the border of Tamil Nadu. When the project was inaugurated in 2007 by the State Power Minister, Suzlon announced, it aimed at producing 20 m.w. of power. However, the demand in the region is only 0.5 m.w., and most of the power would be utilized in other parts of Palakkad district.

The Left Democratic Front (LDF) Government in Kerala is not taking any steps to return the tribal people their land lost to the windmill company in Attappady. The incident of forcibly taking away the tribal land and putting up windmill farm over there was an encroachment on the rights of the tribal people. The Minister for Welfare of Scheduled and Backward Communities had stated that no action could be taken against the company since the land was purchased after the cut off date of the Tribal Land Restoration of 1986.

Sir, in Kerala, in the entire Attappady area, the tribal people have started their agitation. But so far the State Government of Kerala is not taking any step to return their land. So, Sir, I would like to request, through you, to the Government of India to intervene in this matter.

श्री प्रदीप कुमार सिंह (अररिया): सभापति महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने मुझे इस लोक महत्व के मुद्दे पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं अपने संसदीय क्षेत्र अररिया से चलने वाली सीमांचल एक्सप्रेस में ए.सी. डिब्बे तथा रसोई यान लगाने की आवश्यकता की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं, क्योंकि इस ट्रेन में न भोजन की व्यवस्था है, न कोई रसोई यान है और न ही कोई अलग से प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी ए.सी. डिब्बे का प्रावधान है।

19.00 hrs.

महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र अररिया पड़ोसी देश नेपाल से सटा हुआ सीमावर्ती इलाका है और हमेशा सैलानियों का आना-जाना उस क्षेत्र से होता है। देश की राजधानी दिल्ली तक आने के लिए वहां से मात्र एक ट्रेन है, जो नेपाल की सीमा के निकट जोगबनी से अररिया होते हुए दिल्ली तक आती है। यह हास्यास्पद बात है कि इस ट्रेन में एक ही ए.सी. डिब्बा है जिसमें आधा थ्री टियर का है और आधा टू टियर है और उसमें भोजन की भी व्यवस्था नहीं है। इस ट्रेन को आने-जाने में में 24 घंटे से अधिक समय लगता है। उस ट्रेन में सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। अभी 15 दिन पहले उस ट्रेन में डकैती हो गयी।

मैं आपके माध्यम से सरकार और माननीय मंत्री से कहना चाहूंगा कि अलग से फर्स्ट टियर, टू टियर और थ्री टियर ए.सी. बोगी का प्रावधान किया जाए। इस ट्रेन में स्लीपर के मात्र चार डिब्बे हैं, अलग से स्लीपर के चार डिब्बे और लगाने की मांग करता हूं। लोगों को आने-जाने में काफी दिक्कतें होती हैं, पूरे रास्ते भर लोगों को भूखे आना पड़ता है, रास्ते में यात्रियों को स्टेशनों पर उतरकर भोजन करना पड़ता है, जिसकी वजह से कभी-कभी उनकी ट्रेन छूट जाती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि इस ट्रेन में स्लीपर एवं ए.सी. कोचेज की व्यवस्था एवं खान-पान की व्यवस्था कराने की कृपा करें।

श्री सुरेश काशीनाथ तवारे (भिवन्डी): महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र भिवन्डी में वाशिन्द रेलवे स्टेशन है, जहां पर 62 नंबर गेट को बंद कर दिया गया है जिसकी वजह से लोगों को आने-जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। बारिश के दिनों में पानी जाने के लिए जो मोरी बनाई गयी थी, वहां से लोग अभी आना-जाना कर रहे हैं, लेकिन बारिश के दिनों में ज्यादा बारिश होने की वजह से वह रास्ता भी बंद हो जाता है और करीबन 50 से 60 हजार लोगों को वहां पर आने-जाने में दिक्कत होती है। खासतौर से जो बीमार और बुजुर्ग लोग हैं, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि जब तक वहां पर फ्लाईओवर नहीं बनता है, उस गेट को खोला जाए और वहां पर लोगों को आने-जाने की सुविधा मिले। यही मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं।

SHRI MAHENDRA KUMAR ROY (JALPAIGURI): Mr. Chairman, Sir, I would like to raise a very serious matter of very urgent public importance.

Sir, you are aware that NH-31D, NH-31, NH-31A in West Bengal are the only connecting National Highways between the North-Eastern India and the rest of India. But now those roads have turned into dilapidated roads and the condition is very bad. There are a huge number of potholes and ditches in many places. Water-logging during the rain season has become a common feature and now it has become an

accident-prone area. At present, the roads from Bagdogra to Siliguri, Siliguri to Jalpaiguri, Jalpaiguri to Moinaguri, Dhopguri and Falakata, and from Alipurduars to Assam Border have been totally damaged. The National Highway is not safe for use of any kind of vehicles. So, the transport system has damaged causing much harassment and inconvenience to all concerned.

Now, I would urge upon the Government, particularly, the Minister concerned to take an immediate and urgent action for repairing the NH-31D, NH-31, NH 31-A by sending a survey team there immediately. I hope the Government will take proper action.

SHRI K. SUDHAKARAN (KANNUR): Mr. Chairman, Sir, I would like to draw the attention of this august House and the Government to the exploitation taking place on the hard earned money of the employees of the organized sector under the shield of Provident Fund Pension Scheme.

The Employees Provident Fund Pension Scheme, 1995 covers nearly four crores of beneficiaries in its ambit. It is known that their contribution towards EPF Pension alone comes to over Rs. Three lakh crore. It is surprising to know that a scheme having such a huge capital is paying only a meagre static amount to its members as Pension, which does not even come to par with the returns that could be earned from any other investment.

An employee who retired after 15 years of service, after contributing Rs. 541 per month towards EPF Pension Scheme, last month drew a meagre amount of Rs. 1,393 only as pension. It is shocking to learn how the EPFO, for a long time, has been exploiting the Provident Fund pensioners, keeping them under the cloud. On analyzing, it is learnt that if an amount of Rs. 541 per month is deposited under any recurring deposit scheme for 15 years, it would yield up to approximately Rs. Two lakh, inclusive of interest earned, by the end of 15 years. If this saving of Rs. Two lakh is deposited for interest at the rate of 10 per cent per annum, then the minimum return would be Rs. 1,558 per month, apart from keeping their desposits safe in their

own account. But in the EPF Pension Scheme, the Pension paid is only Rs. 1,393 apart from the ownership of deposit fund being with the Government.

This is a gross injustice being done to the common man, who largely belongs to economically weaker class. For worsening the damage done to these employees, two main attractive provisions beneficial to the members were withdrawn two years ago. They are Death Relief Fund and Commutation. Both these provisions, which were quite beneficial to the employees, were scrapped even without the consultation of the Trade Union leaders.

Taking into account the total EPF Pension contributions of an employee throughout his employment, it is very clear that even the meagre pension which he draws under the EPF Pension Scheme is much below than what he would have earned, had he deposited his total contributions to some other account.

My request here to the Government is to immediately set up a Commission in this regard to study this case and to ensure a satisfactory pension to these retired employees. I would also urge upon the Government to restore the two main attractive provisions, namely, Death Relief Fund and Commutation which were withdrawn, for the true welfare of the employees of the organized sector, which I understand, may not cause any financial burden on the Government.

SHRI ADHALRAO PATIL SHIVAJI (SHIRUR): Mr. Chairman, Sir, I wish to draw the attention of this House towards an important issue pertaining to the discriminatory treatment with Urban Cooperative Banks for giving the benefit of interest under the Subvention Scheme.

As per the guidelines of the Reserve Bank of India, all Commercial Banks and Urban Cooperative Banks having A.D. Cat. 1 license are eligible to extend export finance to the exporters at a concessional rate. The Ministry of Finance, Government of India, through Reserve Bank of India, also provides subsidy in the form of interest subvention of 2 per cent over and above the concessional rate for exporters and specified sectors and hence, export finance is thereby made available at a cheaper rate of 7 per cent. Accordingly, since June, 2009, all Urban Cooperative Banks, who are

dealing in foreign exchange work, were made eligible for getting the benefit of interest under the Subvention Scheme.

All these banks have submitted their quarterly claims with the Reserve Bank of India for the last three quarters, after giving concession to the exporters. The total amount of claim of all Urban Cooperative Banks together is Rs. 4.81 crore approximately is yet to be settled by the Reserve Bank. Reserve Bank of India is yet to receive this subsidy amount from the Ministry of Finance and Ministry of Commerce. Similarly, the scheme has already been extended to Commercial Banks from April, 2010 onwards up to March, 2011. However, discriminatory treatment is being meted out to the Urban Cooperative Banks and the scheme is yet to be extended to Urban Cooperative Banks from April, 2010 onwards.

I urge upon the Government to remove these discrimination and extend the scheme to Urban Cooperative Banks also upto March, 2011 as is done in the case of Commercial Banks so that the exporter clients of these banks will be benefited.

I also urge upon the Government to arrange to release the subsidy amount of all the Urban Cooperative Banks immediately.

DR. TARUN MANDAL (JAYNAGAR): Mr. Chairman Sir, I am grateful that you have allowed me to raise this serious and important issue pertaining to the problems of linguistic and religious minority people of Assam. Sir, I also gave a Calling Attention Notice on this matter.

On 21st July, 2010, in front of the DC Office of Barpeta, Assam, the police fired on one lakh odd peaceful demonstrators. Four persons were killed on the spot, 26 were bullet injured and more than 100 persons were seriously injured. They were protesting and demonstrating against the unjust and discriminatory pilot project for updating National Register for Citizens (NRC), 1951 of Assam. It was being done on the basis of incomplete and incorrect voters' list, that is, electoral rolls of 1966 and 1970. It called for applications from citizens at Barpeta and Chhaygaon Circles of Assam.

As that was discriminatory and derogatory, out of 73,000 persons of that Circle, only 10,000 applied and the rest refused to apply. Why? It was because as per Rule 4 and 6(1) of the Citizenship Rules 2003, Registrar General of India should notify preparation of National Register for Citizens throughout the country, at a time, and not for a particular State or any Circle. The people of Assam have a strong apprehension that the pilot project is aimed at branding religious and linguistic minority communities of Assam as foreigners at the behest of all Assam Students Union (AASU).

Why will the *bona fide* citizens of India have to apply again for citizenship? They are not against NRC updation or preparation or detection and deportation of any Bangladeshi, but this should be done as per the prevailing norms and Rule of the Land. The foreigners should be detected using Foreigners' Tribunal.

Sir, more than 1.5 lakh people have been kept as D-voters, that is, doubtful voters having lost their voting rights for the last 15-16 years. They should be given voting rights immediately.

Sir, in Rule 4A provision was made setting aside Rule 4 in the Citizenship Act and that was done by the hon. Home Minister in this House, which was not discussed or ratified by any House. For that provision the State Government initiated this pilot project. But it should be rejected on the same ground by which Supreme Court rejected the IMDT Act..

So, I demand that the State Government should immediately annul 4A, do the NRC on the basis of Rule 4. I would also demand that stop pilot project and adequant compensation should be given to the victims immediately and guilty police officials be punished accordingly.

डॉ. भोला सिंह (नवादा): सभापति महोदय, माननीया अध्यक्ष जी ने नवादा संसदीय क्षेत्र के संबंध में मुझे बोलने के लिए इजाजत दी है, इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। सभापति महोदय, बिहार का नवादा जिला संपूर्ण रूप से सुखाड़ से अभिशप्त है। नदियां, तालाब सूखे हैं, जमीन के नीचे पानी का लेयर नहीं हैं, इंसान और पशु एक साथ पेयजल के लिए यत्र-तत्र बेबसी में घूमते रहते हैं। हजारों महिलाएं घड़े और बाल्टी लेकर दो-तीन किलोमीटर से पानी लाने के लिए बाध्य हो रही हैं। वे महीने में कभी-कभार ही स्नान कर पा रहे हैं। आजादी के 63 साल बाद भी यह स्थिति रोंगटे खड़ी करती है। नवादा जिले में जो भी थोड़ा बहुत पानी है, उसमें फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण विकलांगता दर बहुत अधिक है। गांवों के गांवों में विकलांगों की पीड़ियां हैं। इस संबंध में राज्य से लेकर केन्द्र सरकार ने, इन वर्षों में, कोई सार्थक प्रयास नहीं किया है। इस जिले में परसकरी, तिलैया, घाघर नदियां हैं जो वर्षा के पानी के कारण तबाही का कारण बनती रही हैं। इस पर सिंचाई और विद्युत उत्पादन के लिए डैम बनाने की परियोजना वर्षों से लम्बित है। करीब 25 लाख की आबादी में दो-तिहाई आबादी महादलित, दलित, पिछड़े, अति-पिछड़े, अल्पसंख्यक एवं गरीब लोगों की है, जिन्हें आज भी रोटी-पानी उपलब्ध नहीं है। मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वे इन समस्याओं के लिए राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ सामूहिक बातचीत कर, अभियान के तौर पर एक कारगर योजना बनाकर, अपने स्तर पर पहल करे और योजनाओं के निर्माण के लिए निधियां उपलब्ध कराए। मैं इस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

श्री के.डी. देशमुख (बालाघाट): महोदय, मध्य प्रदेश में नक्सल प्रभावित बालाघाट के मार्गों का उन्नयन से जन सुविधा का विकास किए जाने हेतु राज्य सरकार ने कुछ सड़क निर्माण की सूची केन्द्र सरकार को भेजी है, जो कि जनहित में अति आवश्यक है। वासिसवन-कटंगी मार्ग लंबाई 30 किलोमीटर, यह प्रस्ताव राज्य शासन मध्य प्रदेश द्वारा केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत केन्द्र को भेजा गया है। परसाटोला जत्ता मोहगांव मार्ग, लंबाई 17 किलोमीटर, यह प्रस्ताव राज्य शासन मध्य प्रदेश द्वारा एलडब्ल्यूई योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार को भेजा गया है। लांजी दुर्ग मार्ग छत्तीसगढ़ बोर्डर तक, लंबाई 34 किलोमीटर, एलडब्ल्यूई योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार को भेजा गया है। लांजी सालेटेकरी मार्ग छत्तीसगढ़ बोर्डर तक, लंबाई 59 किलोमीटर, एलडब्ल्यूई योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार को भेजा गया है। राजेगांव किरनापुर लांजी अमगांव मार्ग, लंबाई 57 किलोमीटर, एलडब्ल्यूई योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार को भेजा गया है। उक्त सड़कों का निर्माण कार्य किए जाने हेतु राज्य शासन ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास हेतु केन्द्र शासन को प्रस्ताव भेजे हैं, जो भारत शासन के पास विगत छः मास से लंबित हैं। बालाघाट जिला नक्सल प्रभावित जिला है, इसीलिए बालाघाट जिले पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। अतएव भारत सरकार से मांग है कि जनहित में और नक्सल प्रभावित जिला

मानकर उक्त सभी सड़कों को जो राज्य शासन ने स्वीकृति हेतु केन्द्र शासन को भेजे हैं, उनको स्वीकृत किया जाए।

SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for giving me this opportunity. This is to bring to the notice of the Government and of this august House that Sikkim is presently facing and coping with one of the worst cases of widespread landslides due to torrential rain and cloud burst that has not yet abated.

Many people have lost their lives. Many people have been made homeless. Farmers have been affected very badly with standing crops being washed away at several locations.

The National Highway 31A, which is the only lifeline, has been breached at several places. Many remote locations have been cut off for days. The State capital was till recently cut off for over three days. Prices of commodities have risen. The poorer sections of our population have been hard hit.

I request the Government of India to immediately send a team to inspect the extent of damage to life, property and State assets and help the State Government in coping with this crisis. These are short-term measures that need to be taken up forthwith.

What in my opinion is a more important one are the long-term measures for securing the security of life and property in mountain States like Sikkim, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, and Arunachal Pradesh. Mountain specificities are clearly being ignored in current planning. More and more mountain specific planning and programmes need to be initiated in light of the fact that more and more of these cloud bursts and peculiar rainfall are happening in the mountain States. Delhi and the plain-centric thinking will only aggravate the situation.

I would like to request the hon. Speaker Madam for a full discussion on this issue during the next Session of Parliament on a priority basis.

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Mr. Chairman, Sir, it would have been better if the Cabinet Minister who was in this House just a short time before, had responded, but I would request the hon. Minister of Parliamentary Affairs to lend his ears and, if possible, may respond to this important aspect.

Seldom anyone will remember Shivaram Hari Rajguru today. But he is remembered as only Rajguru along with Bhagat Singh and Sukhdev. Last Tuesday, that was 24th of August, his native village celebrated his 101st Birth Anniversary. They have kept his name alive. But what efforts have been made by the nation to remember him?

Today, a proposed international airport, a residential school, an SEZ and acres of farm land are Rajguru Nagar's current claim to fame. Yes, the people of his village have named their village as 'Rajguru Nagar', which is 45 kilometres from Pune, in Maharashtra. The memorial to freedom fighter, Rajguru is nowhere near complete.

Most of the 'Wada' as they call it in Maharashtra, where he lived, is dilapidated. Only the room where he was born in 1908 and the outhouse have been restored, and the retaining wall along the Bhima river has been built. The rest of the work on the place, it seems, has been abandoned.

In 2008, during the monsoon Session, I had drawn the attention of this House about the Centenary Celebration of Rajguru. I do not know what steps have been taken by the Government. Do we not remember that Rajguru was sent to the gallows by the British in 1931 along with Bhagat Singh and Sukhdev? Is it not necessary to keep alive the memory of our freedom fighters and martyrs for the future generation?

I do not belong to Maharashtra but Rajguru belongs to this country, to this nation, and he gave away his life for our freedom. I would like to get a response from the Minister and the Government. If only he can speak a few words, at least what I have uttered here can be circulated tomorrow. We should have discussed this matter, and for the last one week I have been trying to raise this matter. I would like to get a response from the hon. Minister.

DR. TARUN MANDAL : Sir, I would like to associate with the issue raised by Shri Mahtab.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. NARAYANASAMY): Sir, the hon. Member has raised a very serious issue of the freedom fighter. According to the hon. Member, his Centenary was celebrated last year. Whatever possible could be done will be done. We will take it up with the Ministry concerned, we will see that his original house is restored and also he will be remembered by the society.

SHRI B. MAHTAB : Thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN : Shri Hansraj G. Ahir and Dr. Tarun Mandal are associating with the issue raised Shri B. Mahtab.

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): महोदय, आपने मुझे अपने राज्य के विषय को उठाने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। झारखंड राज्य में राज्य निर्माण के पश्चात् बीपीएल सर्वे हुआ। आज से लगभग तीन महीने पहले सर्वे का काम चला और सर्वे के बाद केंद्र सरकार के पास भेजा गया। वर्तमान में यहां राष्ट्रपति शासन है। यहां से ग्रामीण विकास मंत्रायल के एडीशनल सैक्रेट्री साहब भी वहां गए हुए थे और उनसे भी चर्चा हुई थी। झारखंड में अभी अकाल की स्थिति है और पिछले वर्ष भी अकाल पड़ा था। यहां बीपीएल परिवार की बुकलेट इश्यू नहीं हुई इसके चलते जो गरीब लोग हैं, चाहे एपीएल या बीपीएल परिवार के हैं, उन्हें भारत सरकार के राहत कार्य से लाभ नहीं मिल पा रहा है। वर्तमान में लोग भूख से मर रहे हैं। हमारा गिरीडीह लोकसभा क्षेत्र में बोकारो, गिरीडीह और धनबाद, तीन जिले हैं, अभी तक यहां 12 व्यक्ति मर चुके हैं। जानवरों को चारा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। हमारा आग्रह है कि वर्तमान सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था में अविलंब राहत कार्य शुरू करवाया जाए। आपको ताज्जुब होगा कि आठ साल पहले एपीएल और बीपीएल परिवारों का राशन कार्ड बना था लेकिन आज तक नया राशन कार्ड नहीं बना है। इससे भी बड़ी बात है कि वहां से मजदूर पलायन कर रहे हैं, उग्रवाद की घटनाएं बढ़ रही हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि सुखाड़ के नाम पर वहां एमसीसी द्वारा दो दिन का राज्य बंद घोषित किया गया। हमारा आग्रह है कि इस पर अविलंब कार्यवाही की जाए। मंत्री महोदय यहां बैठे हैं, हमारा आग्रह है कि वे इस पर चिंतन करें।

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): सभापति महोदय, हमारे महाराष्ट्र में करीब आठ थर्मल पावर प्लान्ट्स ऐसे हैं, जो कोयला बेस्ड हैं। उनके यहां कोल इंडिया द्वारा कोयले की आपूर्ति होती है। पिछले माह सभी पावर प्लान्ट्स में खराब और कीचड़ से लदा हुआ कोयला आने की वजह से बिजली के जनरेशन पर भारी असर पड़ा है। वहां अभी चालीस प्रतिशत बिजली का निर्माण हो रहा है।

मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार और विशेषकर कोयला मंत्रालय से विनती करूंगा कि जो कोयला वहां कोल इंडिया की डब्ल्यूसीएल इकाई द्वारा सप्लाई होता है, वहां वर्तमान में जितने भी रैक्स जा रहे हैं, सब गीले और कीचड़ में सने कोयले के कारण रैक्स भी खाली नहीं हो रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां कितना खराब कोयला जा रहा है। इस वजह से महाराष्ट्र सरकार ने वहां बिजली के पावर प्लान्ट्स में कोयले की जगह ऑयल का उपयोग किया और ऑयल जलाने की वजह से बिजली का उत्पादन महंगा हो रहा है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि अच्छा कोयला सप्लाई करने हेतु वहां पर कोल इंडिया या कोल इंडिया की इकाई डब्ल्यूसीएल को निर्देश दें। इसके अलावा वहां ऐसे कोयले की सप्लाई क्यों हो रही है, इसकी जांच करने हेतु एक जांच दल भेजा जाए, ताकि भविष्य में महाराष्ट्र में जहां पहले ही छः हजार मेगावाट बिजली की कमी है, वहां ऐसे खराब कोयले की आपूर्ति के कारण बिजली के उत्पादन पर भारी असर हुआ है, जिसके कारण वहां की जनता और उद्योग प्रभावित हुए हैं। मेरी आपसे मांग है कि इस पर सरकार तुरंत ध्यान दे। धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN : The House stands adjourned to meet again tomorrow, 31st August, 2010 at 11 a.m.

19.27 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, August 31, 2010/Bhadrapada 9, 1932 (Saka)